Monday, 26 March, 1962

लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ६१, १९६२/१८८३-८४ (शक)

[१२ से २६ मार्च, १९६२/२१ फाल्गुन, १८८३ से ५ चैत्र १८८४ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation
14-5-
Fumigated
On ...
Parliament Library

सोलहवां सत्र, १९६२/१८८३-८४ (शक)

(खण्ड ६१ में अंक १ से १० तक हैं)

Preservation Unit
Fumigated
On ...
Parliament Library

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

द्वितीय माला

विषय–सूची

[द्वितीय माला खंड ६१—अंक १ से १०—१२ से २६ मार्च १९६२/
२१ फाल्गुन, १८८३ से ५ चैत्र, १८८४ (शक)]

पृष्ठ

अंक १—सोमवार, १२ मार्च, १९६२/२१ फाल्गुन, १८८३ (शक)

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . १

राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया १—८

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ८–९

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ९—१४

सदस्यों द्वारा त्याग पत्र १४

विधेयक पुरस्थापित—

(१) संविधान (बारहवां संशोधन) विधेयक . १४–१५

(२) गोआ, दमन और दीव (प्रशासन) विधेयक . . १५

(३) अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक १५

अध्यादेशों के बारे में विवरण . . १५

दैनिक संक्षेपिका १६—२१

अंक २—मंगलवार, १३ मार्च, १९६२/२२ फाल्गुन, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १ से १५ तक . २३—४९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६ से १८ ४९—५१

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से १६ ५१—५९

स्थगन प्रस्ताव के बारे में ५९

गोआ की कार्यवाही में हताहत व्यक्तियों संबंधी प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . ६०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६०—६२

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ ६२

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२ ६२

विषय-सूची पृष्ठ

प्राक्कलन समिति—

एक सौ उन्नचासवां प्रतिवेदन ६२

रेलवे आय-व्ययक, १९६२–६३—उपस्थापित . . . ६३—६६

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . . ६७—७९

खंड २ से २३ और १

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . ७९

गोदी कर्मचारी (रोज़गार का विनियमन) संशोधन विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . ७९—८७

खंड २ से ७ और १ . . . . ८६–८७

संशोधन रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ८७

भारतीय रेलवे (दूसरा संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव । . ८७—९२

खंड २ से ६ और १ . . . ९१–९२

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . ९२

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़सठवां प्रतिवेदन ९२

दैनिक संक्षेपिका . . . ९३—९६

अंक ३—बुधवार, १४ मार्च, १९६२/२३ फाल्गुन, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न* संख्या १९ से २९ और ३१ से ३४ . ९७—११८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३० और ३५ . . . ११८–१९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७, १९ से ३८ और ४० से ५४ . ११९—३४

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने के बारे में . . १३४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३४–३५

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

बानवेवां प्रतिवेदन . १३५

सदस्यों द्वारा त्याग पत्र . . १३६

हेवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड में हड़ताल के बारे में वक्तव्य . . १३६

पृष्ठ

कार्य मंत्रणा समिति

अड़सठवां प्रतिवेदन . . १३६–३७

संसिधान (बारहवां) संशोधन विधेयक . . . १३७—४७

विचार करने का प्रस्ताव . . . १३७—४७

खंड २, ३ और १ १४५–४६

पारित करने का प्रस्ताव १४६

गोआ, दमन और दीव (प्रशासन) विधेयक १४७–५९

विचार करने का प्रस्ताव . १५९

खंड २ से ११ और १ . . १५९

पारित करने का प्रस्ताव

सामान्य आय-व्ययक, १९६२–६३ —उपस्थापन १६०—६८

वित्त विधेयक, १९६२—पुरस्थापित . १६८

दैनिक संक्षेपिका १६९—७३

अंक ४—गुरुवार, १५ मार्च, १९६२/२४ फाल्गुन, १८८३ (शक) —

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ४३, ४६, ४७, ४९ से ५२ और ५५ से ५८ . . . . . १७५—९७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४, ४५, ४८, ५३, ५४, ५९ और ६० १९७—२००

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ से ८६ २००—१३

पटल पर रखे गये पत्र २१३–१६

विधेयकों पर राय २१६

प्राक्कलन समिति—

एक सौ बावनवां प्रतिवेदन . २१६

विधेयक पुरस्थापित—

(१) संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक . २१६–१७

(२) सम्पदा शुल्क (वितरण) विधेयक २१७

(३) अतिरिक्त उत्तपादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुयें) विधेयक राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . २१७

दैनिक संक्षेपिका . २५६—६१

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव २१८—५५

पृष्ठ

अंक ५—शुक्रवार, १६ मार्च, १९६२/२५ फाल्गुन, १८८३ (शक)—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३, ६७ से ७२, ७४, ७६, ७७, ७९, ८१, ८२, ६१, ६५, ६४ और ७३ . . . . २६३—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६२, ६६, ७५, ७८ और ८० . २८६—८८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८७ से १२१ . . . २८८–३०२

दिनांक १४ नवम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १३ के उत्तर में शुद्धि ३०२—३०३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

नेपाल के विदेश मंत्री का वक्तव्य जिसमें भारत से होने वाली नेपाल सरकार विरोधी कार्यवाहियों का आरोप है। ३०३–०४

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ३०४—०६

लोक लेखा समिति—

चालीसवां प्रतिवेदन . . ३०७

प्राक्कलन समिति—

एक सौ पचासवां प्रतिवेदन . . . ३०७

सदचेयों द्वारा त्यागपत्र . . ३०७

सभा का कार्य . . . ३०७–०८

राष्ट्रपति के अभिभाषश पर प्रस्ताव . . . ३०८—२९

अनिवार्य सैनिक शिक्षा के बारे में संकल्प—वापिस लिया गया . ३२९—३२

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

बानवेवां प्रतिवेदन ३३२

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा समाज सेवा के बारे में संकल्प . . ३३२—५०

कार्य मंत्रणा समिति—

उनहत्तरवां प्रतिवेदन . . ३५०

दैनिक संक्षेपिका . . . . . ३५१—५७

अंक ६—सोमवार, १९ मार्च, १९६२/२८ फाल्गुन, १८८३ (शक)—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६, ८८ से ९२, ९४, ९५, ९७ से ९९, १०१ और १०२ . . . . . ३५९—८१

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ और २ ३८१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३ से ८५, ८७, ९३, ९६ और १०० . . ३८६—८८

विषय	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या १२२ से १४८ .	३८८—४००
स्थगन प्रस्ताव—	
रेलवे दुर्घटनायें . . .	४०१–०२
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	४०२–०३
विधेयकों पर राय . . .	३०३
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ सत्तावनवां प्रतिवेदन . . .	४०३
लोक लेखा समिति—	
इकतालीसवां प्रतिवेदन	४०४
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र . .	४०४
कार्य मंत्रणा समिति—	
उनहत्तरवां प्रतिवेदन . .	४०४
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव .	४०४–१२, ४२७–३७
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१–६२ .	४१२—२६
विनियोग विधेयक १९६२—पुरस्थापित और पारित .	४२६–२७
संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) विधेयक .	४३८—४१
विचार करने का प्रस्ताव . .	४३८–३९
खंड २ से ६ और १	४३९
पारित करने का प्रस्ताव	४३९—४१
सम्पदा शुल्क (वितरण) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	४४१–४२
पारित करने का प्रस्ताव	४४२
अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक .	४४२—४५
विचार करने का प्रस्ताव . . .	४४२
दनिक संक्षेपिका	४४३—४७

अंक ७—मंगलवार, २० मार्च, १९६२/२९ फाल्गुन, १८८३ (शक)—

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०७, ११०, १११, ११३ से ११७, ११९, १२१, १२३ और १२५ से १२७ . .	४४९—७०

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १०३ से १०६, १०८, १०९, ११२, ११८, १२०, १२२, १२४, १२८ और १२९	४७०—७५
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १६९, १७१ से १९३, १९५ और १९६	४७५—९५
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	४९५—९९
प्राक्कलन समिति--	
एक सौ चौवनवां प्रतिवेदन . .	४९९
तेल कम्पनियों से हुए करारों के बारे में वक्तव्य . . .	४९९—५००
अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (विशेष महत्व की वस्तुएं) संशोधन विधेयक .	५०१—०३
विचार करने का प्रस्ताव . .	५०१–०२
खंड २ से ४ और १ . .	५०३
पारित करने का प्रस्ताव . .	५०३
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (रेलवे), १९६१–६२ . . .	५०३—१३
विनियोग (रेलवे) विधेयक, १९६२--पुरस्थापित और पारित .	५१३—१४
सामान्य आय-व्ययक--सामान्य चर्चा .	५१४—३४
दैनिक संक्षेपिका .	५३५—४१
अंक ८--शुक्रवार, २३ मार्च, १९६२/२ चैत्र, १८८४ (शक)--	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १३०, १३१, १३३ से १३५, १३९ से १४१, १४४, १४५, १४७, १४८ और १५०	५४३—६४
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १३२, १३६ से १३८, १४२, १४३, १४६, १४९ और १५१ से १५७	५६४—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या १९७ से २१८, २२० से २२७ और २२९ से २४०	५७०—८७
स्थगन प्रस्ताव—	
उत्तर कछार पहाड़ियों की कथित दुर्घटना तथा पाकिस्तानियों द्वारा एक भारतीय का कथित अपहरण . . .	५८७–८८
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
कच्चे पटसन का मूल्य	५८८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	५८८–८९
राज्य सभा से सन्देश	५९०

विषय	पृष्ठ
हिन्दी साहित्य सम्मेलन विधेयक—	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . .	५९०
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ छप्पनवां प्रतिवेदन . .	५९०
ब्लिट्ज के सम्वाददाता श्री ए० राघवन द्वारा क्षमा याचना	५९०
सदस्यों द्वारा त्यागपत्र .	५९१
सामान्य आय व्ययक—सामान्य चर्चा .	५९१—६०६
संविधान (संशोधन) विधेयक—(अनुच्छेद २२६ का संशोधन) .	
[(१) श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् और (२) श्री नरसिंहन् का] वापिस लिया गया	६०६
प्रवर समिति को सौंपने के बारे में प्रस्ताव	६०६—१४
दैनिक संक्षेपिका	६१५—२०
अंक ९—शनिवार, २४ मार्च, १९६२/३ चैत्र, १८८४ (शक)—	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९, १६०, १६२, १६४, १६५, १६९, १७१, १७३, १७५, १७७ से १७९, १८२, १८५ से १८७ और १८०	६२१—४५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५८, १६१, १६३, १६६ से १६८, १७०, १७२, १७४, १७६, १८१, १८३ और १८४ . .	६४५—५१
अतारांकित प्रश्न संख्या २४१ से २५२ और २५४ से २८५ . .	६५१—७०
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
तार घरों में 'धन प्रोत्साहन योजना' का जारी किया जाना .	६७०—७१
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	६७२—७३
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ पचपनवां, एक सौ अट्ठावनवां और एक सौ उनसठवां प्रतिवेदन	
सभा का कार्य . . .	६७३—६७४
सामान्य आयव्ययक—सामान्य चर्चा .	६७४—७१७
राष्ट्रपति का सन्देश . . .	७११
लेखानुदान की मांगें, १९६२—६३ . . .	७१७—२२
विनियोग (लेखानुदान) विधेयक—पुरस्थापित और पारित .	७२२—२३
वित्त विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	७२३—२४
दैनिक संक्षपिका	७२५—३०

विषय	पृष्ठ
अंक १०—सोमवार, २६ मार्च, १९६२/५ चैत्र, १८८४ (शक)—	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८८, १८६, १९६ से १९९, २१३, २००, २१२, २१४, २२०, २२१, २११, २०५ और २१९ .	७३१—५१
प्रश्नों के लिखित उत्तर .	
तारांकित प्रश्न संख्या १९० से १९५, २०१ से २०४, २०६ से २१० और २१५ से २१८ .	७५१—५८
अतारांकित प्रश्न संख्या २८६ से ३३५ .	७५८—८२
स्थगन प्रस्ताव—	
१. कछार पहाड़ियों पर दुर्घटना . . .	७८२—८३
२. पाकिस्तान में कर्णफुली बांध और भारतीय राज्य क्षेत्र में उसका प्रभाव . . .	७८३—८४
३. इटली की फर्म के साथ तेल करार .	७८४—८५
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	७८५—८८
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ साठवां, एक सौ इकसठवां और एकसौ बासठवां प्रतिवेदन—	७८८
वित्त विधेयक, १९६२—	
विचार करने का प्रस्ताव .	७८८—९५
खंड २ से ४ और १	७९५
पारित करने का प्रस्ताव . . .	७९५
टेलीग्राफ की तारें (अवैध रूप से रखना) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव .	७९५—९७
खंड २, ३ और १ . .	७९६—९७
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	७९७
रेलवे बजट—सामान्य चर्चा .	७९७—८०५
दैनिक संक्षेपिका	८०६—१२

नोट:—मौखिक उत्तर वाले किसी प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

लोक सभा

सोमवार, २६ मार्च, १९६२

५ चैत्र, १८८४ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

पाकिस्तानी विमानों द्वारा भारतीय सीमा का अतिक्रमण

†*१८८. श्री प्र० गं० देव :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १२ दिसम्बर, १९६१ को रनबीरसिंहपुरा के निकट एक पाकिस्तानी वायुयान ने भारतीय सीमा का अतिक्रमण किया ; और

(ख) यदि हां, तो घटना का क्या ब्योरा है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) १२ दिसम्बर को भारतीय वायु सीमा का कोई उल्लंघन नहीं हुआ । तथापि ११ दिसम्बर को रनबीरसिंहपुरा के निकट एक पाकिस्तानी जेट विमान हमारी सीमा में घुस आया था ।

(ख) सैनिक पर्यवेक्षक को अतिक्रमण की शिकायत भेज दी गयी है और उस का निर्णय प्रतीक्षित है ।

†**श्री प्र० गं० देव** : मैं यह जानना चाहता हूं कि पाकिस्तानी विमान को क्यों नहीं मार गिराया गया जैसाकि तीन वर्ष पूर्व पाकिस्तान ने भारतीय जेट विमान को मार गिराया था ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : प्रथम तो यह मामला अतिक्रमण अधिकारियों के समक्ष है और हमें इस में विस्तार में जाने की जरूरत नहीं । परन्तु जहां तक सामान्य प्रश्न का सम्बन्ध है, सभ्य देश शांति के समय प्रथम बार ही किसी विमान को मार नहीं गिराते और इस प्रकार सीमा पर हमारी वायु सीमा का अतिक्रमण करने वाले विमानों को मार गिराना सरकार की नीति नहीं है ।

†**श्री प्र० गं० देव** : क्या यह सच है कि २३ मार्च को पाकिस्तान ने श्रीमती केनेडी के स्वागत में अत्यन्त आधुनिक सुपरसोनिक अमरीकी जेट विमान प्रदर्शित किये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्ण मेनन :** वह अन्य प्रश्न है ।

†**श्री अ० मु० तारिक :** पाकिस्तान सरकार द्वारा इस्तेमाल किया गया यह विमान कहां का बना हुआ था और क्या यह सच है कि यह विमान उन विमानों में से था जो अमरीका सरकार ने पाकिस्तान सरकार को सहायता के रूप में दिये हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** जी, हां । यह उन में से था जो पाकिस्तान को मिले हैं । जहां तक रेंज का सवाल है, पाकिस्तान से हर जहाज की रेंज भारत में होगी क्योंकि यह पड़ौसी देश है । जेट विमान सियालकोट की तरफ से जम्मू की ओर हमारे क्षेत्र पर उड़ा । मैं समझता हूं कि हम जानते हैं कि जहाज किस प्रकार का है परन्तु हम ने पहचान चिन्ह नहीं देखे हैं । यह प्रशिक्षण विमान नहीं है, यह लड़ाकू विमान है ।

†**श्री अ० मु० तारिक :** क्या यह सच है कि पाकिस्तान सरकार के पास अमरीकी विमानों के अतिरिक्त और कोई विमान नहीं है और क्या यह भी सच है कि पाकिस्तान सरकार को यह सहायता देने से पूर्व अमरीका सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि ये विमान और अन्य शस्त्रास्त्रों का भारत के विरुद्ध प्रयोग नहीं किया जायेगा ? यदि ऐसा है तो क्या भारत सरकार ने इस बारे में अमरीका सरकार से विरोध प्रकट किया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** हम ने सैनिक पर्यवेक्षक को शिकायत भेज दी हैं और हमें पाकिस्तान सरकार से अतिक्रमण के बारे में कहने की कोई आवश्यकता नहीं है । प्रश्न के दूसरे भाग का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है । अमरीका ने जो कुछ कहा है, उसे विश्व जानता है, अमरीका जानता है और हम जानते हैं । परंतु पाकिस्तान वायु-बल के पास ये विमान अमरीका में बने हुए हैं । उन्होंने हमारी वायु-सीमा का अतिक्रमण किया है । इस में कोई सन्देह नहीं कि वे पाकस्तानी विमान हैं ।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि जब पाकिस्तान सरकार को यह बताया गया कि अमरीका ने हमें यह आश्वासन दिया है कि पाकिस्तान को अमरीका द्वारा दिये गये शस्त्रास्त्र हमारे विरुद्ध इस्तेमाल नहीं किये जायेंगे, तो पाकिस्तानी अधिकारियों ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि यह अमरीका का काम नहीं है कि वह देखे कि जो शस्त्रास्त्र हम लेते हैं उन्हें किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं, और यदि हां, तो पाकिस्तान सरकार द्वारा इस्तेमाल किये गये इस अमरीकी जहाज द्वारा यह अतिक्रमण उस का ही एक भाग है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** सरकार को कुछ प्रक्रियाओं के अनुसार चलना पड़ता है । इस मामले में अतिक्रमण युद्ध-विराम रेखा के पार हुआ और अतः हम ने पाकिस्तान सरकार से बातचीत नहीं की । हम ने युद्ध-विराम अधिकारियों से बातचीत की ।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** प्रतिरक्षा मंत्री महोदय ने अभी बताया कि एक सभ्य देश अपने वायु-सीमा के अतिक्रमण पर अन्य देशों के विमानों को मार नहीं गिराता । पाकिस्तानी विमानों द्वारा और हमारे उत्तरी पड़ौसी, चीन द्वारा बराबर वायु-सीमा का उल्लंघन किया गया है । क्या मंत्री महोदय का यह मतलब है कि चाहे जो हो, जहाजों को कभी भी मार कर नहीं गिराया जायेगा चाहे वे बार बार आयें या बड़ी संख्या में आयें ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** मैं ने बताया कि हम पहली बार ही उन को मार नहीं गिरायेंगे । शांति के समय में इसलिये एक विमान को मार गिराना, कि उसने उस के क्षेत्र पर उड़ान की, सभ्य देशों की

---

†मूल अंग्रेजी में

आदत नहीं है । पहले अन्य उपाय किये जाने चाहियें । प्रथम उपाय है युद्ध-विराम अधिकारियों से शिकायत करना । हम को कुछ अन्तर्राष्ट्रीय करारों पर चलना है और हमारा काम युद्ध-विराम अधिकारियों से शिकायत करना है । यदि वे कहते हैं कि अतिक्रमण नहीं हुआ तो मामला समाप्त हो जाता है । यदि वे कहते हैं कि अतिक्रमण हुआ तो हम देखेंगे कि आगे क्या करें ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : काश्मीर में संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक हैं । इस मामले में उन का क्या प्रतिवेदन है और इस मामले में उन्हों ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैं भी तो यही कह रहा हूं । हम ने उन से अतिक्रमण की शिकायत की है । उचित तरीका यह है कि जब कभी सेना द्वारा या विमान द्वारा युद्ध-विराम रेखा पर अतिक्रमण होता है, जोकि युद्ध-विराम करार के विरुद्ध है, शिकायत की जाती है । फिर वे जांच करते हैं और वे या तो उन के विरुद्ध या हमारे विरुद्ध अतिक्रमण करार देते हैं या कहते हैं कि कोई अतिक्रमण नहीं हुआ । यदि पाकिस्तानी अधिकारियों के विरुद्ध अतिक्रमण हुआ तो मैं नहीं कह सकता कि आगे क्या होगा क्योंकि मामले की अभी जांच पड़ताल की जा रही है ।

आसाम में संगठित रूप से अवैध प्रवश[1]

†*१८९. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार आसाम में संगठित रूप से अवैध प्रवेश को रोकने के लिये एक योजना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो उस का ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस को कब अन्तिम रूप दिये जाने और इस पर अमल किये जाने की सम्भावना है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). माननीय सदस्या का ध्यान २० मार्च, १९६२ को अतारांकित प्रश्न सख्या १५४ के उत्तर का ओर दिलाया जाता है । जिसमें यह कहा गया था कि पूर्व पाकिस्तान से पाकिस्ताना राष्ट्रजनों के अवैध प्रवेश के विरुद्ध भारत-पाकिस्तान सीमा पर गश्त और देखभाल बढ़ाने के लिये और उन लोगों के विरुद्ध कार्यकारा कार्यवाही करने के लिये, जो वैध यात्रा कागजातों पर आसाम में आकर अपने आवास का अधिकृत अवधि समाप्त होने पर देश से नहीं जाते हैं कुछ अतिरिक्त पुलिस कर्मचारियों की मंजूरी के लिये आसाम सरकार से प्राप्त हुई एक प्रस्थापना विचाराधीन है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या सरकार को पता है कि आसाम के सीमावर्ती जिलों में आसाम के अन्य जिलों की अपेक्षा जनसख्या में दुगुनी और तिगुनी वृद्धि हो गयी है ?

†**श्री दातार** : यह सच है कि कुछ अवैध प्रवेश हुआ परन्तु जनसख्या में इस वृद्धि के अन्य कारण भी हैं, जैसा कि पिछले वर्ष की जनगणना में बताया गया है ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या यह सच है कि बाद में आसाम सरकार ने सीमा की रक्षा के लिये एक योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या उस सरकार ने सघ सरकार से वित्तीय सहायता मांगी है ? यदि हां, तो कितनी ?

---

†मूल अग्रेजी में

[1]Drgainzed infiltration

†**श्री दातार :** यह भी प्रस्ताव किया गया जो विचाराधीन है । वे चाहते हैं कि गश्त और देखभाल बढ़ाई जावे । उसके लिये उन्होंने सारी सीमा पर पुलिस बल बढ़ाने का प्रस्ताव किया है और उन्होंने केन्द्रीय सरकार से यह खर्च वहन करने को कहा है ।

†**श्री बसुमतारी :** क्या यह सच है कि १९६१ की जनगणना में विशेषत: तीन जिलों कामरूप, गोलपाडा और दारग में मुस्लिम जनसख्या में ४० प्रतिशत वृद्धि हुई है ?

†**श्री दातार :** मेरे पास समूचे राज्य के आंकड़े हैं । उनसे पता चलता है कि इस दस वर्ष की अवधि में मुस्लिम जनसंख्या में ३८.५६ प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या यह सच है कि वहां पर जनसंख्या द्वारा सहयोग न दिये जाने के कारण प्रगणकों के लिये वास्तविक वृद्धि का पता लगाया जाना बहुत कठिन है ?

†**श्री दातार :** यह कहना बड़ा व्यापक है कि वहां पर सहयोग नहीं है परन्तु तथ्य यह है कि सीमा के दोनों ओर सम्बन्धी हैं । ऐसी रिश्तेदारी अथवा दोस्तों से अक्सर कठिनाइयां पैदा होती हैं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** मंत्री महोदय ने मुस्लिम जनसख्या में वृद्धि सम्बन्धी आंकड़े बताये । गैर-मुस्लिम जनसख्या में कितनी वृद्धि हुई ?

†**श्री दातार :** समूचे आसाम राज्य में कुल ३४.४२ प्रतिशत वृद्धि हुई । हिन्दू जनसख्या में ३३.९४ प्रतिशत वृद्धि हुई और मुस्लिम जनसख्या में ३८.५६ प्रतिशत वृद्धि हुई ।

श्री अ० मु० तारिक : यह जो आबादी बढ़ी है क्या सिर्फ इसलिए बढ़ी है कि लोग पाकिस्तान के उस तरफ से यहां आते हैं या यह आबादी इसलिए बढ़ी है कि यहां लोगों ने ज्यादा औलादें पैदा की हैं ?

†**श्री दातार :** जहां तक जनसंख्या में स्वाभाविक वृद्धि का सम्बन्ध है, मैं कुछ नहीं कह सकता । जहां तक अन्य बातों का सम्बन्ध है, इस क्षेत्र का औद्योगीकरण किया जा रहा है । वहां पर अन्य लोग भी आ रहे हैं और अवैध प्रवेश भी हो रहा है । इस वृद्धि के लिये ये सभी पहलू उत्तरदायी हैं ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : पिछली बार इसी प्रकार के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए गृह-कार्य मंत्री महोदय ने बतलाया था कि भारत में कुल मिला कर १९६१ की जनगणना में २४ प्रतिशत: वृद्धि हुई है और असम में ३४ प्रतिशत: वृद्धि हुई है । अभी आप ने बताया है कि वहां पर मुसलमानों की सख्या में ३८ प्रतिशत: वृद्धि हुई है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कुछ इस प्रकार की जानकारी लेने का यत्न किया कि इतनी अधिक वृद्धि का कारण क्या है और यदि हां, तो सरकार किस निश्चय पर पहुची है ?

†**श्री दातार :** यहां पर एक आधे घंटे की चर्चा हुई थी और मैंने बताया था कि किन परिस्थितियों में सभवत: जनसख्या में वृद्धि हुई ? हम ने इस मामले पर राज्य सरकार से बातचीत की है और भारत के अन्य स्थानों की अपेक्षा आसाम में इस असामान्य वृद्धि के कारणों की जांच की जा रही है ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : यह जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न संख्या १९०। श्री प्र० चं० बरुआ। वह अनुपस्थित हैं। प्रश्न संख्या १९१—श्री दी० च० शर्मा। वह अनुपस्थित हैं। प्रश्न संख्या १९२। श्री भक्त दर्शन भी अनुपस्थित हैं। प्रश्न संख्या १९३। श्री विभूति मिश्र अनुपस्थित हैं। प्रश्न संख्या १९४। श्री बै० च० मलिक—अनुपस्थित। प्रश्न संख्या १९५। श्री मुरारका और श्री त० ब० विट्ठल राव दोनों अनुपस्थित हैं।

दिल्ली में प्रशासनिक और नगरपालिका व्यवस्था

†*१९६. **श्री बलराज मधोक :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य-क्षेत्र, दिल्ली की वर्तमान प्रशासनिक एवं नगरपालिका व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने के लिये निर्णय किया गया है;

(ख) क्या दिल्ली के लिये दिल्ली नगर निगम के अतिरिक्त प्रादेशिक परिषद् स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी प्रादेशिक परिषद् के गठन, अधिकार और कृत्यों का क्या ब्योरा है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (ग). २ मार्च, १९६२ को हुई दिल्ली के लिये गृह मंत्री की मंत्रणा समिति में यह मामला उठाया गया था जहां गृह मंत्री ने यह बताया था कि इस बारे में किये गये विभिन्न प्रस्तावों पर उचित समय पर विचार किया जायेगा।

†**श्री बराज मधोक :** समाचारपत्रों में यह रिपोर्ट छपी हैं कि निगम और नई दिल्ली नगरपालिका के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई एक प्रादेशिक परिषद् स्थापित करने का निर्णय किया गया है। यह कहां तक ठीक है ?

†**श्री दातार :** यह रिपोर्ट निराधार है। जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध हैं हम अभी तक किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। नगर निगम इस प्रश्न पर विचार कर रहा है कि नगर निगम के अधिकार किस हद तक बढ़ाये जायें ? सारे मामले पर विचार करने से पूर्व हम उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि केन्द्रीय प्रशासित राज्यों में जो टैरीटोरियल कौंसिल है उस के लिए एक कार्यकारिणी समिति अथवा प्रबन्ध कारिणी समिति बनाई जाय, यदि हां, तो यह कहां तक सच है ?

†**श्री दातार :** गृह मंत्री द्वारा इस सदन में और दूसरे सदन में इस प्रश्न के बारे में एक वक्तव्य दिया था कि क्या हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मनीपुर की प्रादेशिक परिषदों को विकास वाले विषयों के बारे में अधिक अधिकार दिये जायें। उसमें दिल्ली का जिक्र नहीं था। जहां तक उस प्रश्न का सम्बन्ध है, विधि मंत्री महोदय की अध्यक्षता में वित्तीय और अन्य पहलुओं पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई है।

श्री म० ला० द्विवदी : इस समिति की रिपोर्ट कब तक आ जायगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार :** इस समिति की एक बार बैठक हुई है। यह अगले महीने के अन्त तक अपनी रिपोर्ट दे देगी।

†**श्री बलराज मधोक :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली राजधानी है, क्या मैं जान सकता हूं कि जब व्यवस्था में काई परिवर्तन किया जायेगा तो दिल्ली में सभी सदों और अन्य हितों से परामर्श किया जायेगा ?

†**श्री दातार :** इन सब निकायों के लिये केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड है। सामान्यतः उनसे परामर्श किया जाता है।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि दिल्ली में और अन्य दूसरी यूनियन टैरोटेरीज में विधान सभायें कायम करने में सरकार के सामने क्या दिक्कत है और दिल्ली के साथ यह पक्षपातपूर्ण बर्ताव क्यों किया जा रहा है जब कि दूसरी यूनियन टैरीटेरीज में टैरीटोरियल कौंसिल्स की शक्ति बढ़ाई जा रही है तों दिल्ली में टैरीटोरियल कौंसिल न तो बनाई जा रही है और न ही उस की शक्ति बढ़ाई जा रही है ?

†**श्री दातार :** जहां तक दिल्ली और अन्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है, दृष्टिकोण में जो अन्तर है, उसको सभा में स्पष्ट किया जा चुका है। भारत की राजधानी होने के नाते दिल्ली की समस्या अन्य क्षेत्रों की समस्या से भिन्न है। इसी कारण दिल्ली को छोड़ कर अन्य तीन क्षेत्रों के बारे में वक्तव्य दिया गया था।

संघ राज्य-क्षेत्र

\+

†*१९७. **श्री वारियर :**
श्री साधन गुप्त :
श्री तंगामणि :

क्या **गृह-कार्य** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य-क्षेत्रों में, और विशेषतः त्रिपुरा और मनीपूर में, उत्तरदायी सरकार की स्थापना के बारे में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, क्या निर्णय किया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) और (ख) माननीय सदस्य का ध्यान हिमाचल प्रदेश, मनीपुर और त्रिपुरा के संघ-राज्य-क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में ७ दिसम्बर, १९६१ को गृह-मंत्री जी द्वारा सभा में दिये गये वक्तव्य की ओर दिलाया जाता है। तदनुसार, इस बारे में उठने वाले सभी कानूनी, वित्तीय, प्रशासनिक और अन्य मामलों की जांच करने के लिये विधि मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई है। समिति का प्रतिवेदन प्रतीक्षित है।

पहले प्रश्न के उत्तर में भी मैंने यह कहा था।

†**श्री वारियर :** प्रतिवेदन कब तक दे दिया जायेगा ?

†**श्री दातार :** यह अगले महीने के अन्त तक मिलने की आशा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री ब्रजराज सिंह : क्या त्रिपुरा और मनीपुर में उत्तरदायी सरकार के लिये आन्दोलन हुए । अब प्रादेशिक परिषदों के चुनाव किये गये हैं और उन के परिणाम घोषित किये जा चुके हैं । इन क्षेत्रों के लोगों की मांग को पूरा करने में क्या कठिनाई है और यह समिति नियुक्त कर के और अन्तिम रूप से उन को कुछ अन्तिम रूप न दिये जा कर मामले में विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

†श्री दातार : संसद् में इस प्रश्न पर कई बार विचार किया जा चुका है और सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुकी है । इस के बाद ही गृह मंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था और अब यह समिति इस प्रश्न की जांच कर रही है कि इन तीन प्रदेशों में आर्थिक और अन्य पहलुओं के बारे में प्रादेशिक परिषदों के अधिकारों को किस हद तक बढ़ाया जाये ।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या इस कार्य को पूर्ण रूप से गृह मंत्रालय पर छोड़ने के बजाय संघ राज्य क्षेत्रों की समस्याओं के लिये एक पृथक मंत्रालय बनाने की प्रस्थापना है ?

†श्री दातार : सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

†श्री ब्रजराज सिंह : क्या सरकार को यह पता चला है कि दिसम्बर में गृह मंत्री के सभा में दिये गये पिछले वक्तव्य के बाद इन संघ राज्य क्षेत्रों में लोगों की प्रतिक्रिया प्रस्तावित स्थापना के प्रति पक्षपूर्ण नहीं है ? क्या सरकार इन क्षेत्रों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के बारे में अपने दृष्टिकोण को बदलेगी ?

†श्री दातार : गृह कार्य मंत्री द्वारा इस सदन में दिये गये वक्तव्य को सरकार क्रियान्वित कर रही है और इस निर्णय को बदलने के लिये कुछ नहीं हुआ है ।

निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा

†*१९८. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन राज्यों के बारे में कोई समीक्षा की गई है जिन के नगरों तथा नगरपालिकाओं में सभी बच्चों के लिये निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का लक्ष्य पूरा नहीं किया गया है ;

(ख) ऐसे राज्यों की संख्या और उन के नाम क्या हैं;

(ग) क्या कारण है कि पश्चिम बंगाल के कलकत्ता तथा अन्य नगरपालिकाओं में अभी तक बच्चों के लिये निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं की जा सकी है; और

(घ) क्या इन क्षेत्रों के ऐसे बच्चों की संख्या के बारे में सर्वेक्षण किया गया है जो गरीबी के कारण शिक्षा हासिल नहीं कर सकते हैं ?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख) इस बारे में प्रति वर्ष समीक्षा की जाती है ।

(ग) यह कहना सही नहीं है कि कलकत्ता निगम ने और पश्चिम बंगाल में नगरपालिकाओं ने निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा नहीं दी है । वास्तव में स्थिति यह है कि कलकत्ता निगम और नगरपालिकाओं द्वारा चलाये जा रहे स्कूलों में शिक्षा निःशुल्क है । परन्तु गैर-सरकारी स्कूल फीस लेते हैं ।

(घ) ऐसा सर्वेक्षण करना पश्चिम बंगाल सरकार का काम है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या यह सच है कि निगम और नगरपालिकाओं द्वारा चलाये जा रहे निःशुल्क प्राथमिक स्कूलों में जाने वाले ५ प्रतिशत बच्चे भी नहीं आते, यदि हां, तो क्या बाकी ९५ प्रतिशत को भी निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जावेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इस मामले को तो पश्चिम बंगाल सरकार ने तै करना है। यदि हम सारे भारत के आंकड़ों को देखें तो पता चलेगा कि प्राथमिक शिक्षा पर कुल व्यय का केवल कुछ ही प्रतिशत फीस से पूरा होता है। भारत भर के लिये यह प्रतिशतता केवल २.५ है। बम्बई में यह सर्वाधिक थी जहां यह १०.९ प्रतिशत थी। पश्चिम बंगाल का नम्बर दूसरा है जहां यह ७.५ प्रतिशत है। अतः निगम अथवा नगरपालिका द्वारा बच्चों को शिक्षा पर जो कुछ खर्च करना पड़ता है, उस की तुलना में फीस से जो खर्च चलता है, वह नगण्य है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्योंकि सरकार तृतीय योजना के अन्त तक कम से कम छः वर्ष से ११ वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देने को वचनबद्ध है क्या मैं जान सकती हूं कि क्या सरकार यह देखेगी कि राज्य सरकारें तृतीय योजना के अन्त तक अर्थात् १९६५ तक इस को क्रियान्वित करें। कलकत्ता शहर में इस बारे में क्या पग उठाये गये हैं ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी, हां। सरकार ने छः और ११ वर्ष के बीच की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का निर्णय किया है और हम ने राज्य सरकारों को इस बारे में लिख भी दिया है। कई राज्य सरकारों ने कानून बना लिये हैं और हमें आशा है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाकी अगले कुछ वर्षों में बाकी राज्य भी कानून बना लेंगे। मुझे आशा है कि पश्चिम बंगाल भी पीछे नहीं रहेगा।

डा० गोविन्द दास : जहां तक बम्बई और कलकत्ता का सम्बन्ध है, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा ये इस सम्बन्ध में सब से आगे हैं। कुछ राज्य बहुत पीछे हैं। और जो राज्य बहुत पीछे हैं क्या केन्द्रीय सरकार उन राज्यों को कोई हिदायतें देने वाली है कि उन की गति बहुत असन्तोषजनक है और उन को अपनी गति तीव्र करनी चाहिये तथा इस में केन्द्रीय सरकार से किस प्रकार की सहायता मिल सकेगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : केन्द्रीय सरकार आर्थिक सहायता करती है लेकिन अगर सदस्य महोदय जो पिछड़े हुए राज्यों से आते हैं वह स्वयं भी अगर थोड़ा सा जोर इन राज्य सरकारों पर डालें तो उन्हें मदद मिलेगी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार नगरपालिकाओं द्वारा शिक्षा कर लगाये जाने पर जोर दे रही है क्योंकि नगरपालिकायें ऐसा नहीं कर सकती और इसलिये वे योजना को क्रियान्वित नहीं कर रही हैं ? क्या केन्द्रीय सरकार इस में यह देखेगी कि वे इस वचन का किस प्रकार पालन करते हैं कि वर्ष १९६५ तक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा हो जायेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यदि पश्चिम बंगाल सरकार को कोई कठिनाई है तो वह केन्द्रीय सरकार से वार्ता करे।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : सरकार की ओर से जो इन शिक्षण संस्थाओं को अनुदान दिया जाता है, उस में प्राथमिक शिक्षा जहां होती है उस का सारा भार सरकार अपने कंधों पर ले लेती है। क्या मैं

†मूल अंग्रेजी में

जान सकता हुं कि गुरुकुलों में जहां प्राथमिक शिक्षक्ष दिया जाता है उस में प्राथमिक शिक्षा का भार सरकार अपने कंधों पर लेगी ? क्या इस संबंध में भी कोई योजना तैयार की गई है ।

डा० का० ला० श्रीमाली : यह प्रश्न तो इस में से उठता नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री रघुनाथ सिंह ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** १९९। प्रश्न संख्या २१३ का उत्तर भी इसी के साथ दिया जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है ।

भारी गलाये जान वाले रद्दी लोहे का निर्यात

\+

†*१९९. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० पशुपति मण्डल :
श्री पु० र० पटल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी गलाये जानेवले रद्दी लोहे (हैवी मैल्टिंग स्क्रैप) के निर्यात पर प्रतिबन्ध तथा प्राप्ति स्थान पर उस के अर्जन तथा वितरण का नियमन करने के लोहा तथा इस्पात निदेशक के अधिकारों के कारण, बेकार नं० २, २ए, तथा ३ शीट कटिंग स्क्रैप के तथा टर्निग और बोरिग स्क्रैप के निर्यातकर्ताओं को क्यों बाध्य किया जाता है कि वे देश के भट्टी मालिकों को इसे निर्यात 'लेवी' के रूप में दें;

(ख) क्या यह सच है कि रद्दी लोहे के निर्यातकर्ताओं ने अभ्यावेदन दिया है कि बेकार नं० २, २ए, तथा ३ शीट कटिंग स्क्रैप तथा टर्निग और बोरिंग स्क्रैप के निर्यात पर भारी 'मैल्टिंग स्क्रैप' की अनिवार्य "लैवी" लगाने के कारण देश से फालतू स्क्रैप के निर्यात पर बुरा असर पड़ रहा है ; और

(ग) क्या सरकार का यह विचार है कि नं० २, २ए, तथा ३ शीट कटिंग तथा टर्निग और बोरिंग स्क्रैप पर से निर्यात लेवी हटा दी जाये जिस से उस का निर्यात बढ़ सके तथा स्क्रैप के अधिकतम निर्यात से विदेशी मुद्रा की आय बढ़ जाये ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) भारी गलाये जाने वाले रद्दी लोहेके निपटाने को विनियमत करने के लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के अधिकार तभी लागू किये जा सकते हैं जब संसाधन नियंत्रित संसाधन घोषित कर दिया जाये । गैर नियंत्रित संसाधनों में रद्दी लोहे को वे अपनी इच्छा से खरीदारों को बेच सकते हैं । क्योंकि नियंत्रित संसाधनों से उपलब्ध भारी गलाये जाने वाले रद्दी लोहे की मात्रा भट्टी मालिकों की आवश्यकता के लिये अपर्याप्त है, निर्यातकों को भारी गलाया जाने वाला रद्दी लोहा तब देना पड़ता है जब कभी वे २, २क और ३ चादरों की कतरनें निर्यात करें ।

(ख) निर्यातकों की कठिनाइयां लो ा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा लगाये गये प्रतिबन्धों के कारण नहीं है परन्तु आयात करने वाले देशों में मांग में कमी के कारण है ।

(ग) भावी निर्मात नीति पर हाल ही में दिये गये रद्दी लोहा समिति के प्रतिवेदन पर, जिस की सिफारिशें विचाराधीन हैं, सरकार के निर्णय के आधार पर निर्णय किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रद्दी लोहे का निर्यात

+

†*२१३. श्री रघुनाथ सिंह :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० पशुपति मण्डल :
श्री पु० र० पटल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्क्रैप निर्यात व्यापारियों की ओर से यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि निर्यात बाजार से रद्दी लोहे (स्क्रैप) की कम मांग है, कम निर्यात मूल्य, समुद्र भाड़ा अत्याधिक होने तथा निर्यात लेवी आदि उपरिव्यय बढ़ जाने के कारण स्क्रैप के निर्यात में लाभ नहीं रहा तथा यह व्यापार उत्साहवर्धक नहीं रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार बेकार और फालतू स्क्रैप के निर्यात को, जो अनुमानतः काफा बढ़ चुका है, बनाये रखने और प्रोत्साहित करने के लिये क्या प्रोत्साहन देने का विचार कर रही है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) रद्दी लोहे के निर्यात व्यापार में कमी आयात करने वाले देशों में मांग में कमी के कारण है। इस से निर्यात मूल्य में गिरावट आयी है। नीति में इस उपबन्ध का, कि रद्दी लोहा, निर्यात करने वालों को कुछ भारी गलाया जाने वाला रद्दी लोहा भट्टी स्वामियों को देना होगा, रद्दी लोहे के निर्यात व्यापार में वर्तमान कमी से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(ख) सरकार स्थिति पर ध्यान दे रही है और उपयुक्त समय पर उचित पग उठायेगी।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : रद्दी लोहा समिति की क्या सिफारिशें हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : इस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट दी है और वह अभी विचाराधीन है। अभी इस बारे में सरकार किसी अन्तिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है परन्तु यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं वह बातें बता सकता हूं जिन पर समिति को सिफारिशें करनी थीं।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मेरा प्रश्न है कि समिति की सिफारिशें क्या हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : समिति की रिपोर्ट मेरे समक्ष नहीं है। इस की अभी जांच की जा रही है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : मंत्री महोदय ने बताया कि नियंत्रित संसाधनों से भारी गलाया जाने वाला रद्दी लोहा पर्याप्त नहीं था। और इसलिये उन्हों ने कर लगाना चाहा। जहां तक मुझे याद है, अन्य अनावश्यक १०० टन रद्दी लोहे के बारे में २० टन भौंरी गलाया जाने वाला रद्दी लोहा देना पड़ता है। यदि ऐसा है, तो क्या निर्यातकों को यह भारी गलाया जाने वाला रद्दी लोहा अन्य संसाधनों से अधिक मूल्य पर नहीं खरीदना पड़ता।

†**श्री के० दे० मालवीय** : सामान्यतः प्रथम श्रेणी के चादरों की कतरनों का निर्यात नहीं करने दिया जाता। दूसरी २क और तीसरी श्रेणी की चादरों की कतरनों के निर्यात को प्रोत्साहन के लिये निर्यातकों को, इस शर्त पर कि निर्यातकर्ता लोहा तथा इस्पात नियंत्रक द्वारा स्वीकृत किसी भी भट्टी स्वामी से बिना-आपत्ति पत्र प्राप्त करे, श्रेणी २, २क, और ३ की चादरों की कतरनों का ५ प्रतिशत

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रथम श्रेणी की चादरों की कतरनों के रूपमें निर्यात करने की आज्ञा दी जाती है। दूसरे शब्दों में निर्यात कर्ता को श्रेणी १, २, २क और ३ का निर्यात १:२० के अनुपात में करने की आज्ञा दी जाती है। यह भी सत्य है कि देशी भट्टी मालिकों की भारी गलाये जाने वाले रद्दी लोहे की मांग अधिक है और लोहा तथा इस्पात नियंत्रक नियंत्रित संसाधनों से उन की आवश कता पूरी नहीं कर सकते। निर्यातकर्ताओं को निर्यात की जाने वाली २, २क, और ३ श्रेणी की चादरों की प्रत्येक १०० टन कतरनों के लिये २०० टन भारी गलाया जाने वाला रद्दी लोहा लो ा तथा इस्पात नियंत्रक को देना पड़ता है।

†**श्री पु० र० पटेल :** भारी गलाया जाने वाला रद्दी लोहा भट्टी मालिकों को निर्धारित मूल्य पर देना पड़ता है। क्या देशीय भट्टी मालिकों द्वारा बेचे जाने वाले उत्पाद का मूल्य भी निर्धारित है?

†**श्री के० दे० मालवीय :** इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मुझे पूर्व सूचना दी जानी चाहिये।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि पहले केवल १० टन भारी गलाया जाने वाला रद्दी लोहा लेवी के रूप में देना पड़ता था, इस को बढ़ा कर अब २० टन कर देने के क्या कारण हैं?

†**श्री के० दे० मालवीय :** क्योंकि मांग कम हो गई है, अनुपात में यह परिवर्तन निर्यात के लिये प्रोत्साहन देने के लिये किया गया है।

†**श्री पु० र०. पटेल :** क्या सरकार को पता है कि देशीय भट्टी मालिक बड़ा मुनाफा कमा रहे हैं क्योंकि उन को सरकारी आदेशानुसार निर्धारित मूल्य पर भारी गलाया जाने वाला लोहा दिया जाता है?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं नहीं कह सकता। माननीय सदस्य इस बारे में अपनी राय कायम कर सकते हैं।

बिजनौर में इंजीनियरिंग कालज

*२००. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में ३ इंजीनियरिंग कालिजों के खोलने की गत वर्ष योजना थी उन में से एक बिजनौर में खोला जाना था ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना को कार्यान्वित करने का क्या कोई फैसला हो गया है;

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजनावधि में उत्तर प्रदेश में कितने इंजीनियरिंग कालेज खोलने का विचार है तथा क्या उन के लिये स्थान चुन लिये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो वह स्थान कौन-कौन से हैं?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) : (क) जी, नहीं।

(ख) सवाल पैदा नहीं होता।

(ग) और (घ) गोरखपुर में एक इंजीनियरिंग कालिज खोलने का विचार है।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या मैं य ा जान सकता हूं कि जब इस प्रकार के इंजीनियरिंग कालिज खोलने की कोई योजना विचाराधीन होती है, तो उस के स्थान का निर्णय किस आधार पर किया जाता है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हुमायून् कबिर :** विभिन्न बातों पर विचार किया जाता है। राज्य सरकार से परामर्श किया जाता है। अखिल भारतीय प्राविधिक शिक्षा परिषद् की प्रादेशिक परिषद् भी इस मामले पर विचार करती है और फिर हम निर्णय करते हैं।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री: क्या सरकार की जानकारी में यह बात भी है कि भारत का सब से पहला भारतीय इंजीनियर, राजा ज्वाला प्रसाद, बिजनौर में उत्पन्न हुया था ? क्या सरकार के पास कोई इस प्रकार के ज्ञापन प्राप्त हुए हैं कि उन का सम्मान करने की दृष्टि से वहां पर एक इंजीनियरिंग कालेज स्थापित किया जाये ?

†**श्री हुमायून् कबिर :** मैं नहीं समझता कि एक इंजीनियरिंग कालिज की स्थापना के लिये वह कोई कारण है।

कम लागत के पूर्वनिर्मित मकान

\+

*२१२. **श्री वारियर :**
श्री साधन गुप्त :
श्री तंगामणि :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट कम्पनी का वाणिज्यिक स्तर पर काम लागत के पूर्वनिर्मित मकान बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो उन मकानों की मुख्य रूपरेखायें क्या हैं;

(ग) उन मकानों पर गर्मी और सर्दी का प्रभाव न पड़े, इस के लिये क्या तरीका अपनाया गया है;

(घ) ये मकान वास्तविक उपभोक्ताओं को किस मूल्य पर दिये जायेंगे; और

(ङ) ये कब तक बेचे जायेंगे ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड ने एक पूर्व-निर्मित मकान बनाया है जिस को भारतीय उद्योग मेला, १९६१ में प्रदर्शित किया गया था, इस को वाणिज्यिक स्तर पर बनाने के बारे में अन्तिम रूप से अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(ख) ढांचा "मेकैनों टाइप किट" के सिद्धान्त पर आधारित है जो कुछ व्यक्ति थोड़े ही समय में इस ढांचे को बना सकते हैं और अलग कर सकते हैं।

(ग) आवश्यक तापवरोधन के लिये दुहरी दीवारें बनाई गई हैं जिन के बीच में हवा भर जाती है।

(घ) और (ङ). उपरोक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुए यह उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री वारियर :** इस मकान की अनुमानित लागत क्या होगी ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि उत्पादन-स्तर पर इसका हिसाब नहीं लगाया गया है। यह बहुत मंहगा नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राधेलाल व्यास :** इन पूर्व निर्मित मकानों के निर्माण में कौन सा कच्चा माल लगेगा ? क्या हिन्दुस्तान आवास कारखाने से इन मकानों के पूर्व निर्माण में लाभ उठाया जा सकता है ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** हम ने बताया है कि हम ने इस पर उत्पादन-स्तर पर विचार नहीं किया है। हिन्दुस्तान आवास कारखाने के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता परन्तु यह धातु का बना हुआ है और हिन्दुस्तान आवास कारखाने में कंकरी का काम होता है।

†**श्री वारियर :** क्या हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड इन को बनाने में अपनी वर्तमान क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है अथवा इस में कोई अतिरिक्त क्षमता लगाई जायेगी ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** वह अपनी वर्तमान क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति का प्रतिवेदन

*२१४. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिये जो पीछे जांच समिति नियुक्त हुई थी, क्या उस की रिपोर्ट को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट को स्वीकार करने के पश्चात् क्या विश्वविद्यालय में किसी प्रकार के कुछ परिवर्तन हुए हैं ;

(ग) क्या सरकार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आन्तरिक ढांचे में कुछ परिवर्तन की अपेक्षा अनुभव करती है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके लिये संसद् में किसी विधेयक के उपस्थित किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो इस विधेयक को कब तक संसद् में उपस्थित किया जायेगा ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) जी हां।

(ख) जांच समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये विश्वविद्यालय ने बहुत सी कार्यवाइयां की हैं।

(ग) से (ङ). जांच समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अधिनियम और परिनियमों में संशोधन करने का प्रश्न विचाराधीन है।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री कुछ इस प्रकार की जानकारी सदन को देने की कृपा करेंगे कि जांच समिति की रिपोर्ट को ज्यों का त्यों स्वीकार किये जाने के पश्चात् वहां पर मीटे मोटे परिवर्तन किये गये हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, लेकिन अगर मुझे उन सब को बताना पड़े, तो वक्त लगेगा। बेहतर यह होगा कि जितनी भी सिफारिशें यूनिवर्सिटी ने मानी हुई हैं और जो-जो सिफारिशें उन्होंने कार्यान्वित की हैं, उन का लेखा मैं सदन के सामने रख दूं, ताकि सदन को कुछ लाभ हो।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अगर माननीय मंत्री मुख्य और महत्वपूर्ण बातें बता सकें, तो कृपा हो।

डा० का० ला० श्रीमाली : कौन-सी बातें महत्वपूर्ण है और कौन सी महत्वपूर्ण नहीं हैं, यह तो माननीय सदस्य ही निश्चित करें। मेरी दृष्टि में तो सभी महत्वपूर्ण हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की थी कि विश्व-विद्यालय के आन्तरिक ढ़ांचे में ये-ये परिवर्तन होने चाहियें। क्या शिक्षा मंत्री इसे बात से सन्तुष्ट हैं कि जांच समिति की रिपोर्ट ज्यों की त्यों स्वीकार कर लिये जाने के पश्चात् वे परिवर्तन कर दिये गये हैं, या वहां भी वे अभी तक विचाराधीन हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : कुछ तो परिवर्तन हो गये हैं, कुछ हो रहे हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि परीक्षा सम्बन्धी और प्रवेश सम्बन्धी जो बड़ी-बड़ी शिकायतें की गई थीं, वे सब ठीक कर ली गई हैं और अब इस सम्बन्ध में वहां कोई दुर्बलता नहीं रह गई है।

डा० का० ला० श्रीमाली : जहां तक मैं समझता हूं, वे ठीक की गई हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि आय-व्यय के विषय में जो शिकायतें थीं, उनके सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जहां तक हिसाब का सम्बन्ध है, उसके सम्बन्ध में कई कार्यवाहियां की गई हैं और जो आडिट के आब्जैक्शन्स थे, वे भी साफ किये गये हैं और किये जा रहे हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि जैसे हिन्दू यूनिवर्सिटी के सम्बन्ध में एक विधेयक बहुत शीघ्रतापूर्वक स्वीकृत किया गया, क्या उसी प्रकार का विधेयक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में भी स्वीकृत किया जायेगा।

डा० का० ला० श्रीमाली : वह प्रश्न विचाराधीन है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मंत्री महोदय ने श्री प्रकाशवीर शास्त्री के इस प्रश्न का उत्तर दिया कि क्या जांच समिति की सिफारिशों के अनुसार विश्वविद्यालय की परीक्षा की पद्धति में परिवर्तन कर दिया गया है। जहां तक जांच समिति के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है, परीक्षाओं के बारे में कोई सिफारिश नहीं की गई है। अतः दिये गये उत्तर का ठीक स्वरूप क्या है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** विश्वविद्यालय जांच समिति ने विश्वविद्यालय से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर विचार किया है। और जहां तक मुझे याद है, परीक्षाओं के बारे में भी कुछ उल्लेख किया गया है, परन्तु स्पष्ट रूप से मैं कुछ नहीं कह सकता।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या सरकार ने उन व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है जो विश्वविद्यालय के धन को खत्म करने के लिये उत्तरदायी हैं और यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** इस बारे में सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं करनी है। इस बारे में विश्वविद्यालय ने आवश्यक कार्यवाही करनी है। यह समिति विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त की गई थी और विश्वविद्यालय मामले की जांच कर रहा है।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या शिक्षा मंत्री जी की जानकारी में यह है कि जब यह जांच समिति चल रही थी, तो विश्वविद्यालय के उन प्राध्यापकों को जो वहां के विभागों के अध्यक्ष थे और जांच समिति के सामने उपस्थित हुए, उस समय भी परेशान किया गया और जब वे किसी कारणवश छुट्टी पर अमरीका जा रहे थे, तो वह छुट्टी प्राप्त करने के सम्बन्ध में भी उनको परेशानियां हुई और जाने के पश्चात् छुट्टी को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, जिस का परिणाम यह है कि विश्वविद्यालय के सम्मान-पूर्ण प्राध्यापक धीरे-धीरे वहां से निकल रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० का० ला० श्रीमाली : मेरी जानकारी में नहीं है ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : क्या माननीय मंत्री जानने का प्रयत्न करेंगे ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जरूर, अगर माननीय सदस्य मुझे बतायेंगे ।

भारी गलाये जाने वाले रद्दी लोहे के निर्यात पर 'लेवी'

†*२२०. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० पशुपति मण्डल :
श्री पु० र० पटेल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने निर्यात किये जाने वाले प्रति १०० टन नम्बर २, २ए अथवा ३ शीट कटिंग स्क्रैप पर जो २० टन भारी गलाये जाने वाले रद्दी लोहे (हैवी मैल्टिंग स्क्रैप) और निर्यात किये जाने वाले प्रति १०० टन टर्निंग्स और बोरिंग्स, ढ़लुआ लोहा या इस्पात पर १० टन की जो लैवी निर्धारित की है और निर्यात किये जाने वाले स्कल स्क्रैप पर कोई लेवी निर्धारित नहीं की है उस का युक्तियुक्त आधार क्या है; और

(ख) क्या यह सच है कि इस 'लैवी' को कानून की स्वीकृति नहीं है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) यह कदम इसलिये उठाना गड़ा क्योंकि नियंत्रित संसाधनों से उपलब्ध भारी गलाये जाने वाले रद्दी लोहे की मात्रा देश की आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं थी । तथापि यह मात्रा तदर्थ आधार पर निर्धारित की गई है ।

(ख) जी, नहीं ।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** क्या सरकार ने इस रद्दी लोहे पर "लेवी" की मंजूरी की कानूनी रूप स जांच की है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** इस का कोई कानूनी आधार नहीं है इसके लिये कोई कानूनी मंजूरी नहीं है । परन्तु यदि माननीय सदस्य यह चाहें कि मैं कोई विशिष्ट जांच करूं तो वह मुझे बतायें और मैं उन को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न करूंगा ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या यह सच नहीं है कि 'लेवी' केवल चादरों की कतरनों की रद्दी के निर्यात पर है जब कि स्कल स्क्रैप के निर्यात पर कोई "लेवी" नहीं है ? क्या यह भेदभावपूर्ण और नियम के विरुद्ध नहीं है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं नहीं कह सकता । इस के लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति का प्रतिवेदन

*२२१. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि अलीगढ़-मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति के प्रतिवेदन में कुछ ऐसे भी तथ्य सामने आये हैं जिन से यह पता लगता है कि विश्वविद्यालय का धन ले कर

†मूल अंग्रेजी में

कुछ लोग भारत में ही रह रहे हैं और रजिस्टरों में यह लिख दिया गया ह कि वह पाकिस्तान चले गये हैं, इसलिये वह धन प्राप्त नहीं किया जा सकता ;

(ख) यदि हां, तो जो लोग भारत में रह रहे हैं, उन से विश्वविद्यालय के धन को वापस लेने के कौन से प्रयत्न किये जा रहे हैं ; और

(ग) सब मिला कर ऐसी यह कितनी धनराशि है जो प्रत्यादेय है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) से (ग). जांच समिति की रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख है कि हानि के लिए उत्तरदायी विश्वविद्यालय के कुछ भूतपूर्व कर्मचारी भारत में हैं। अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार, विश्वविद्यालय के इंजीनियरी कालेज वर्कशाप के एक भूतपूर्व कर्मचारी, श्री अब्दुल हाई, जिनके बारे में यह खबर दी गई थी कि वह पाकिस्तान चले गये हैं, कानपुर में रहते हुए पाए गये हैं। विश्वविद्यालय ने उनसे तथ्यों का स्पष्टीकरण करने के लिए कहा। उपर्युक्त व्यक्ति के संबंध में, तथा भारत में किसी अन्य ऐसे कर्मचारी के उपस्थित होने के संबंध में जांच की जा रही है और यथासमय एक विवरण सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : माननीय मंत्री जी ने अभी जानकारी दी ह कि एक सज्जन कानपुर में रह रहे थे जिन के लिए कहा गया था कि वह धन ले कर पाकिस्तान चले गए हैं और अभी तक उन से वह धन प्राप्त नहीं हो सका है। माननीय मंत्री जी ने यह भी बताया ह कि किसी अन्य ऐसे कर्मचारी के उपस्थित होने के सम्बन्ध में भी जांच हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि कुल मिला कर कितना धन इन लोगों के पास शेष है जिस के लिए लिख दिया गया है कि ये पाकिस्तान चले गए हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जहां तक अब्दुल हाई का ताल्लुक है गलत तरीके से स्टोर्ज़ वगैरह जो खरीदे गए थे उसमें २१,१३० रुपये १४ आने ६ पाई का नुक्सान हुआ था। कुछ गलत तरीके से मशीनें खरीद ली थीं उसमें १४,६६० रुपये का नुक्सान हुआ था।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : इसके अतिरिक्त भी आपने बताया है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके सम्बन्ध में जांच हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि कुल धन की राशि कितनी है जो कि इनके पास शेष है और जिन के बारे में यह लिख दिया गया है कि वे पाकिस्तान चले गए हैं ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इसके बारे में अभी मेरे पास ब्यौरा नहीं है।

सेठ अचल सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि पिछले आम चुनावों में अलीगढ़ यूनिवर्सटी के कुछ अध्यापकों ने ऐसा बुरा प्रचार किया कि जिससे वातावरण खराब हुआ था ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह प्रश्न इस प्रश्न में से कैसे उठता है ?

अध्यक्ष महोदय : "कैसे उठता है," क्यों कहते हैं ? यह कहिये कि "नहीं उठता है"।

डा० का० ला० श्रीमाली : यह प्रश्न इस प्रश्न से नहीं उठता है।

†**श्री हेम बरुआ** : रिपोर्ट में जो ४५ लाख रुपये की हानि के बारे में बताया गया है, जो धन मेडिकल कालिज के लिये इकट्ठा किया गया था, उस बारे में क्या बात है ? इस हानि में अन्तर्ग्रस्त व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इसके लिये मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : माननीय मंत्री जी ने विवरण में कहा है कि यह धन विश्वविद्यालय से हटाया गया हैं और अभी तक विश्वविद्यालय के खाते में जमा नहीं किया जा सका है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने विश्वविद्यालय को इस प्रकार का कोई निर्देश दिया है कि अमुक अवधि तक इसकी पूर्ति हो जानी चाहिए ?

डा० का० ला० श्रीमाली : वक्त वक्त पर यूनिवर्स्टी की रिपोर्ट आती है और जैसे मैंने निवेदन किया है जितने मामले इस रिपोर्ट में उठाए गए हैं उन सब मामलों की जांच हो रही है और जितनी भी बातें थीं हिसाब वगैरह की वे साफ करने की कोशिश की जा रही है ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : अनिश्चित काल तक यह चीज़ चलेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** शांति, शांति । माननीय सदस्य बैठे बैठे प्रश्न न पूछें ।

श्री राधेलाल व्यास : जो सज्जन कानपुर में मिले हैं उनको यह नोटिस देने के बजाय कि वह रुपया जमा करायें, उनके खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई क्यों नहीं कराई गई, क्यों उनकी गिरफ्तारी वगैरह नहीं की गई और उनको नोटिस दे कर यह मौका क्यों दिया गया कि जो कुछ भी उनके पास है, उसको भी वह खुर्दबुर्द कर दें ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** पहले तो यूनिवर्स्टी को यह जांच करनी पड़ेगी कि उनकी कितनी जिम्मेदारी थी । हिसाब किताब वगैरह से जरूर उनका सम्बन्ध था लेकिन पुलिस में कार्रवाई करने के पहले यूनिवर्स्टी को सन्तोष करना पड़ेगा कि उन्हीं की जिम्मेदारी थी या कुछ और दूसरे व्यक्तियों की भी थी ।

†**श्री दामानी :** विश्वविद्यालय समिति ने किस आधार पर यह कहा है कि वह व्यक्ति पाकिस्तान चला गया है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली :** आधार स्पष्ट है । यह व्यक्ति भूतपूर्व वर्कशाप सुपरिन्टेन्डेन्ट था । अतः जहां तक समिति का सम्बन्ध है उसका वर्कशाप सुपरिन्टेन्डेन्ट के रूप में कुछ उत्तरदायित्व था । परन्तु विश्वद्यिालय द्वारा अब विस्तृत जांच करनी पड़ेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्नों की सूची समाप्त हो गई है । मैं पुनः शुरू करता हुं । परन्तु यदि माननीय सदस्य यह न बतायें कि वे किसी प्राकृतिक कारण से बाहर गये थे मैं उनके यहां आकर चले जाने पर उनको यह सुविधा नहीं दूंगा । जो माननीय सदस्य यहां आये और वे उस समय अपने स्थान पर नहीं थे, जब मैंने उनका नाम पुकारा तो कम से कम वे अपना स्थान पर न रहने के लिये सभा से क्षमा याचना करे । यदि कोई सदस्य देर से आया हो तो उसके बारे में मैं जोर नहीं देता परन्तु यह सदन की अवज्ञा है कि प्रश्न की सूचना देकर सदस्य उस समय अनुपस्थित रहते हैं जब उनका नाम पुकारा जाता है । माननीय सदस्य ध्यान रखें । यदि ऐसा है तो यह तो एक पंचायत की तरह हो जायेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्री बलराज मधोक :

†**श्री बलराज मधोक :** प्रश्न संख्या २११ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब भी वह क्षमा नहीं मांगते ।

†**श्री बलराज मधोक :** मुझे खेद है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

प्रतिरक्षा पदाधिकारियों के वेतन मान

+

†*२११. { **श्री बलराज मधोक :**
श्री आसर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिरक्षा सेनाओं के पदाधिकारियों के वेतन मानों में और अधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या जवानों और 'अदर रैंक्स' के वेतन मानों को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिय परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १२]**

(ग) जी, नहीं ।

(घ) सितम्बर, १९६० में जारी किये गये १ जुलाई, १९५९ से लागू होने वाले सरकारी आदेशों के अधीन जवानों और अन्य रैंक्स के वेतन मान काफ़ी अच्छे हो गये हैं ।

†**श्री बलराज मधोक :** यद्यपि जवानों के वेतन में कुछ वृद्धि की गई उनमें बहुत असन्तोष है क्योंकि जवानों और अफसरों के वेतन-स्तरों के मामले में बहुत भिन्नता है । क्या मैं जान सकता हूं कि क्या जवानों के वेतन-स्तरों में भी अनुपाति वृद्धि की जावेगी ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** हमें किसी असन्तोष का पता नहीं है । परन्तु जवानों और अफसरों के वेतन-स्तरों में हमेशा ही भिन्नता रहेगी ।

†**श्री बलराज मधोक :** अन्तर बहुत अधिक है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इन मामलों को विवाद के समय उठाया जा सकता है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** श्रीमती इला पालचौधरी ।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** प्रश्न संख्या २०५ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह भी खेद व्यक्त नहीं कर रही हैं । वह क्यों उपस्थित नहीं थीं ?

†**श्रीमती इला पालचौधरी:** किसी ने ज़रूरी काम की वजह से मुझे बुला लिया था, श्रीमान। मुझे बहुत खेद है ।

दिल्ली में 'मजिस्ट्रेसी' तथा 'पुलिस' का विस्तार

†*२०५. **श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में "मैजिस्ट्रेसी' तथा 'पुलिस' के विस्तार की योजना भारत सरकार को प्रस्तुत की है ;

(ख) यदि हां, तो उसके ब्योरे क्या हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन द्वारा इस सम्बन्ध में भेजे गये प्रस्ताव हाल में प्राप्त हुए हैं और उनकी जांच की जानी है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह सच है कि जो ५० मजिस्ट्रेट हैं उनमें से अधिकांश अवैतनिक हैं और इस कारण काम समाप्त नहीं हो पाता ?

†**श्री दातार** : २४ मजिस्ट्रेट वैतनिक हैं और २७ अवेतनिक।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन ने कहा है कि समूची व्यवस्था का विस्तार न किया गया तो दिल्ली में विधि और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है ?

†**श्री दातार**: निलम्बित मामलों को तेज़ी से निबटाने के लिये दिल्ली प्रशासन ने कुछ वैतनिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति की मांग की है। यह प्रस्ताव हमें तीन दिन पहले प्राप्त हुआ है और मामला विचारारधीन है।

†**श्री बलराज मधोक** : वैतनिक और अवैतनिक मजिस्ट्रेटों के लिये क्या योग्यतायें रखी गई हैं ? क्या उनका विधि का स्नातक होना आवश्यक है ?

†**श्री दातार** : जहां तक वैतनिक मजिस्ट्रेटों का सम्बन्ध है उनके लिये वही योग्यतायें हैं जो उत्तर प्रदेश और पंजाब में रखी गई हैं। अवैतनिक मजिस्ट्रेटों के लिये विशिष्ट योग्यतायें निश्चित की गई हैं और एक समिति है जो उनकी योग्यता और मामलों को निबटाने की क्षमता की जांच करती है। तब जाकर उन्हें नियुक्त किया जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने पूछा है कि क्या मजिस्ट्रेटों के पास विधि की उपाधि होनी चाहिये ?

†**श्री दातार**: वैतनिक मजिस्ट्रेट विधि के स्नातक होते हैं। अवैतनिक मजिस्ट्रेटों से कानून का प्रयाप्त ज्ञान होने की अपेक्षा की जाती है।

सेठ अचल सिंह: क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि लेडी आनरेरी मजिस्ट्रेटस की संख्या कितनी है ?

†**श्री दातार** : कुछ महिलायें मजिस्ट्रेट हैं ; मैं याददाश्त से बता रहा हूं।

†**श्रीमती इला पालचौधरी**: क्या यह सच है कि यातायात के सैंकड़ों मामले अनिर्णीत हैं क्योंकि इस सम्बन्ध के कानून बहुत स्पष्ट नहीं है और इसलिये यह आवश्यक है कि इस कानून का खासा ज्ञान रखने वाला कोई व्यक्ति हो जो इन मामलों को निबटा सके ?

†**श्री दातार** : यह सच है कि कुछ मामले अनिर्णीत हैं किन्तु उनका निबटारा भी सन्तोषजनक है। ३०-९-१९६१ को छ :महीने से अधिक काल तक अनिर्णीत मामलों की संख्या केवल ७७४ थी।

†**श्री बलराज मधोक** : क्या अवैतनिक मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति मितव्ययता के विचार से की जाती है या इसलिये कि ऐसे लोगों को कुछ आश्रय दिया जाना होता है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री दातार :** उनकी नियुक्ति के कई कारण हैं । उनका काम कुल मिलाकर सन्तोषजनक है । वे सप्ताह में तीन दिन काम करते हैं ।

†**श्री राधा रमण :** क्या अवैतनिक मजिस्ट्रेट किसी विशिष्ट अवधि के लिये नियुक्त किये जाते हैं या उनकी नियुक्ति हर साल की जाती है ?

†**श्री दातार :** इसके लिए एक समिति है जो हर साल उनकी योग्यताओं और कार्य की जांच करती है और इसके बाद उन्हें नियुक्त किया जाता है ।

पुलिस अधिकारियों के वेतनक्रम

+

†*२१९. { **श्री बलराज मधोक :**
श्री आसर :
श्री शिवदत्त उपाध्याय :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्रों में काम कर रहे पुलिस अधिकारियों के वेतन हाल में बढ़ाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या पुलिस कांस्टेबलों का वेतन बढ़ाने पर भी सरकार विचार कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) से (घ). दिल्ली और त्रिपुरा के पुलिस कर्मचारियों के, जिनमें कांस्टेबल भी शामिल हैं, वेतनक्रम १ जुलाई, १९५९ से बढ़ाये गये हैं । अन्डमान और निकोबार में कांस्टेबलों को छोड़ कर अन्य सब कर्मचारियों के वेतन-क्रमों में संशोधन किया गया था और अब कांस्टेबलों के वेतन भी १ जुलाई, १९५९ से बढ़ाने का निश्चय किया गया है । मनीपुर और हिमाचल प्रदेश के पुलिस कर्मचारियों के वेतनक्रमों में संशोधन नहीं किया गया है क्योंकि ये राज्य असम और पंजाब राज्य की प्रणाली का अनुसरण करते हैं जिहोंने अपने वेतन क्रमों में संशोधन नहीं किया है । संशोधित वेतन क्रमों का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिय एल० टी० संख्या ३६०६/६२ ।]**

†**श्री बलराज मधोक :** क्या कांस्टेबलों को मकान के किराये का भत्ता दिया जाता है ?

†**श्री दातार :** जी, हां । खासकर ऐंसी स्थिति में जब कि सरकार ने उन्हें कोई निवास-स्थान न दिया हो ।

†**श्री च० द० पाण्डेय :** क्या भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों के वेतन-क्रमों में भी संशोधन किया गया है ?

†**श्री दातार :** जी, हां । जहां तक इन अफसरों का सम्बन्ध है, एक प्रस्ताव पर विचार करना है कि क्या उनका वर्तमान अधिकतम वेतन बढ़ाया जाये । इस मामले पर राज्य सरकारों के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या सरकार ने सीमा पर स्थित चौकियों पर काम करने वाले पुलिस कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने पर भी विचार किया है क्योंकि इन कर्मचारियों की काम की दशा कठिन है ?

†**श्री दातार :** यह एक अलग प्रश्न है जिसका सम्बन्ध आम पुलिस से है । जहां तक सीमा पर स्थित चौकियों का सम्बन्ध है, मैंने आज ही एक प्रश्न का उत्तर दिया है मेरा ख्याल है कि उन्हें भी दूरस्थ क्षेत्रों में काम करने के लिए भत्ता दिया जाता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

मद्रास में विधि मंत्रालय की शाखा

†*१९०. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मद्रास में मन्त्रालय की एक शाखा स्थापित करने की संभावनाओं पर विचार कर रही ह ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) :** (क) जी, हां ।

(ख) अब तक कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

कोयले की श्रेणियां बनाने के लिये समिति

†*१९१. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले की श्रेणी बनाने के लिये एक वैज्ञानिक फार्मूला तैयार करने के लिये नियुक्त की गयी समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ।

(ख) यदि हां, तो उसका क्या ब्योरा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

†**इस्पात, खान और ईंतनधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) मामला अब भी समिति के विचाराधिन है ।

फौजदारी कानून के अधीन अधिसूचित क्षेत्र

*१९२. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री २३ नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फौजदारी कानून संशोधन एक्ट १९६१ की धारा ३ के अन्तर्गत उत्तरी सीमा के कुछ क्षेत्रों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने को जिस प्रश्न पर विचार किया जा रहा था, उसके बारे में निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि अभी तक निश्चय नहीं हो पाया है तो इस बारे मे देरी होने का क्या कारण है ?

---

†मल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री): (क) और (ख). दंड विधि संशोधन अधिनियम १९६१ की धारा ३ के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और हिमाचल प्रदेश के विशेष क्षेत्रों को अधिसूचित क्षेत्र घोषित करने की अधिसूचनायें जारी हो रही हैं ।

ग्रामीण क्षत्रों में अध्यापिकायें

†*१९३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् की यह सिफारिश मान ली है कि ग्राम्य क्षेत्रों में अध्यापिकाओं को अधिक वेतन दिया जाये :

(ख) यदि हां, तो सिफारिश का क्या व्योरा है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या निर्नय किया है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल तर रखा जाता है ।

विवरण

राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद् ने सिफारिश की थी कि अध्यापिकाओं को ग्रामीण भत्ता देने जैसी योजनायें राज्य सरकारों द्वारा लड़कियों की शिक्षा के विकास के लिये बनाये गये विशेष कार्यक्रमों में शामिल की जायें । शिक्षा मंत्रालय ने यह सिफारिश इस शर्त पर स्वीकार कर ली है कि यह भत्ता उन्हीं अध्यापिकाओं को दिया जाये जिन्हें क्वार्टर न दिये गयें हों ।

चूंकि लड़कियों की शिक्षा का विशेष कार्यक्रम राज्यों के क्षेत्र में रक्खा गया है इसलिये इस पर वे ही कार्यवाही कर सकती हैं । भारत सरकार ने इस सिफारिश की ओर ध्यान दिलाया है ।

उड़ीसा में निर्वाचन पर व्यय

†*१९४. **श्री बै० च० मलिक** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फरवरी, १९६२ में उड़ीसा में लोक-सभा के निर्वाचन कराने पर कितना धन व्यय किया गया है ;

(ख) क्या समूचा धन राज्य सरकार ने खर्च किया ; और

(ग) यदि नहीं, तो केन्द्रीय सरकार ने इसमें कितना धन दिया ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) जानकारी आसानी से उपलब्ध नहीं है । उड़ीसा सरकार को सम्बन्धित अधिकारियों से व्यय के आंकड़े प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) तीसरे आम चुनावों में उड़ीसा में लोक-सभा के निर्वाचन पर हुआ व्यय भारत सरकार और उड़ीसा सरकार ने २१ : २० के अनुपात में वहन किया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खेतरी में तांबा पिघलाने का संयंत्र

†*१६५. { **श्री मुरारका :**
श्री त० ब० विट्ठल राव :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में खेतरी में तांबा पिघलाने के संयंत्र की क्षमता में वृद्धि की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो पुनरीक्षित क्षमता कितनी है और संयंत्र कब स्थापित किया जायेगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख). खेतरी में तांबा पिघलाने का संयंत्र अभी स्थापित नहीं किया गया। तीसरी योजना में खेतरी में प्रति वर्ष कम से कम १०,००० टन 'इलेक्ट्रोलिटिक' तांबे के उत्पादन की आशा की जाती है। परामर्शदाताओं ने हाल में जो परियोजना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसमें इस संयंत्र से प्रति वर्ष २१,००० मीट्रिक टन तांबे के उत्पादन की आशा व्यक्त की गई है। प्रतिवेदन में दिये गये कार्यक्रम के अनुसार यह संयंत्र १९६५ के प्रारम्भ में पूरी क्षमता से उत्पादन करने लगेगा। इस प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है।

कम कीमत की कार

†*२०१. **श्री रामकृष्ण गुप्त :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड ने कम कीमत की कार का नमूना (प्रोटोटाइप) तैयार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसका परीक्षण किया गया है ; और

(ग) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) से (ग). हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड ने कम कीमत की कार का नमूना अध्ययन के तौर पर तैयार किया था और उसका काम अभी चल रहा है। इसलिये अभी परिणाम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।

दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापक

†*२०२. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा निदेशक (दिल्ली राज्य) ने अपने दिनांक ४ अक्तूबर, १९६१ के पत्र संख्या एफ ६(४७)/६१ इ०डी०एन० में दिल्ली स्कूल प्रबन्धक संस्था, दिल्ली के प्रधान को लिखा है कि सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को परिवीक्षा-अवधि में सेवामुक्त करने के लिये विभाग की अनुमति लेने की शर्त का भविष्य में यथापूर्व पालन होना चाहिये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ सहायता प्राप्त स्कूलों ने इस नियम का उल्लंघ किया है ;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे अनियमितताओं के मामलों की जांच की है ; और

(घ) यदि हां तो किन स्कूलों में इस नियम का उल्लंघन किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). इस तरह की केवल एक शिकायत मंत्रालय को प्राप्त हुई थी जिस की जांच की जा रही है । यह शिकायत रामरूप विद्या मन्दिर हायर सेकेण्डरी स्कूल के बारे में है । किन्तु दिल्ली प्रशासन यह पता लगाने के लिये कि क्या किसी अन्य स्कूल के प्रबन्धक ने इस आदेश का उल्लंघन किया है, विस्तार से पूछताछ कर रहा है ।

दिल्ली के स्कूलों के विद्यार्थियों को सहायता

†*२०३. **श्री राम गरीब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी कोई योजना अथवा व्यवस्था है जिसके अनुसार दिल्ली/नई दिल्ली के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में उत्तम श्रेणी प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कुछ वित्तीय सहायता दी जाती है ;

(ख) यदि हां, तो वह योजना क्या है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या सरकार का विचार ऐसी कोई योजना लागू करने का है जिससे विशेषत: गरीब परिवारों के बुद्धिमान विद्यार्थियों को प्रोत्साहन मिले ?

†**शिक्षा मंत्री (डा०का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

छात्रवृत्ति की एक योजना है जिसके अधीन ५वें और ८वें दर्जे के बाद ली गई परीक्षा के नतीजे के आधार पर दी जाती है । विभिन्न स्कूलों के ५वें और ८वें दर्जे के वार्षिक परीक्षा में पहले तीन स्थान प्राप्त करने वाले छात्र प्रतियोगिता परीक्षा में बैठ सकते हैं । ये छात्रवृत्तियां तीन वर्ष के बाद उन्हीं छात्रों को फिर से दी जा सकती हैं बशर्ते कि छात्रों की प्रगति सन्तोषजनक हो ।

उत्तर प्रदेश में तेल की खोज

†*२०४. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में तेल की खोज के लिये किसी विदेशी समवाय के साथ कोई समझौता किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

रूसी जैट विमान-इंजन

†*२०६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २३ नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या २०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही रूस से खरीदे गये छः रूसी जैट विमान-इंजन एच एफ–२४ विमानों में लगाये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उन का परीक्षण किया गया और उन को ठीक पाया गया;

(ग) क्या एच एफ–२४ विमान के लिये और अधिक इंजन मगाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कहां से ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)**: (क) और (ख). हमारी आवश्यकताओं के अनुसार इन इजनों का परीक्षण किया जा रहा है जो अभी समाप्त नहीं हुआ है ।

(ग) और (घ). एच एफ–२४ विमान अब ब्रिटिश डिजाइन के आर्फियस सिड़ले इंजन से चलाया जाता है किन्तु यह इंजन भारत में बनाया जाता है ।

कोयला उद्योग के लिये ब्रिटिश ऋण

†*२०७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या कोयला उद्योग के लिये कुछ ब्रिटिश ऋण मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) और (ख). कोयला उद्योग के लिये ब्रिटेन से अलग से कोई ऋण नहीं मिला है । किन्तु ३ करोड़ पौंड के ब्रिटिश ऋण में से झरिया कोयला-क्षेत्र के क्षेत्र 'डी' में रज्जुपथ के लिये १·४४ करोड़ रुपये तथा भोजुदीह स्थित कोयला साफ करने के कारखाने के लिये ०·९२ करोड़ रुपये का आवटन किया गया है ।

हिन्दू धार्मिक न्यास आयोग

*२०८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **विधि** मंत्री ८ दिसम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दू धार्मिक न्यासों के बारे में जांच करने वाले आयोग ने क्या इस बीच अपना कार्य समाप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी रिपोर्ट की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जायेगी; और

(ग) यदि अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है तो देर से देर कब तक उसके मिल जाने की आशा की जाती है ?

विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) आयोग आशा करता है कि वह अपनी रिपोर्ट मई, १९६२ के अन्त तक सरकार को प्रस्तुत कर देगा।

अलंकेश्वर में तेल की सफाई

*२०९. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने बर्मा शैल और स्टानवाक कम्पनियों से अंकलेश्वर से प्राप्त तेल की सफाई के सम्बन्ध में कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं; और

(ग) प्रति टन सफाई का क्या व्यय पड़ेगा ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वैयक्तिक क्षेत्र की शोधनशालाओं द्वारा अशुद्ध तेल (Crude oil) को साफ करने का प्रति टन का व्यय सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

धातु मिश्रित औजारी तथा विशेष इस्पात संयंत्र

†*२१०. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मिश्र धातु और विशेष औजार संयंत्र की स्थापना के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) उत्पादन कब आरम्भ होने की अपेक्षा की जाती है; और

(ग) पहले क्या विभिन्न उत्पाद बनाये जायेंगे ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्णसिंह)** : (क) भूमि के अर्जन से सम्बन्धित प्रारम्भिक काम शुरू कर दिया गया है। ज़मीन को समतल बनाने का काम तथा अहाते की दीवार, शाप आफिस तथा साइट आफिस का निर्माण शुरू कर दिया गया है। अधिकांश असैनिक इंजीनियरिंग कार्यों के लिये टेन्डर मंगाये जा चुके हैं और उन में से कुछ मजूर किये जाने वाले हैं संयंत्र और सामग्री के संभरण के लिये टेन्डर की शर्तों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और टेन्डर जल्दी ही मंगाये जाने की सभावना है।

(ख) १९६५–६६ तक।

(ग) संयंत्र में सभी प्रकार का औज़ारी, धातुमिश्रित और विशेष इस्पात बनाया जायेगा। शुरू में लगभग आधा उत्पादन छड़ों का होगा तथा शेष उत्पादन चादरों और प्लेटों का होगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

एम० ए० की परीक्षाओं में दो श्रेणियां

†*२१५. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति, श्री सी० डी० देशमुख ने एम० ए० की परीक्षाओं में तीन श्रेणियों के स्थान पर दो श्रेणियां—उत्तीर्ण और विशेष योग्यता — रखने का सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) और (ख). दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति श्री सी० डी० देशमुख ने अपनी यह व्यक्तिगत राय किसी समारोह में व्यक्त की थी। इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद उस पर विश्वविद्यालय के उपयुक्त निकाय से औपचारिक विचार-विमर्श करना उपकुलपति पर निर्भर करता है।

कनिष्ठ कर्मचारी परिषद्

†*२१६. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार के विभिन्न विभागों में से कितने विभागों में कनिष्ठ कर्मचारी परिषदों ने अपनी स्थापना के बाद कार्यावधि समाप्त होने से पहिले ही सामूहिक रूप से त्यागपत्र दे दिया है;

(ख) उनके त्यागपत्र देने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इसका सामान्य कारण यह बताया गया है कि इन परिषदों से कोई लाभ नहीं है; यदि हां, तो उन्हें और अधिक प्रभावी बनाने के लिये क्या कार्यवाही का गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) :** (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार ऐसी कोई घटना नहीं हुई।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

शारीरिक शिक्षा तथा युवक-कल्याण सम्बन्धी समन्वय समिति

*२१७. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **शिक्षा** मंत्री २७ नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शारीरिक शिक्षा मनोरंजन व युवक-कल्याण की विभिन्न योजनाओं में सामंजस्य स्थापित करने के उद्देश्य से जो समिति नियुक्त की गई थी, क्या इस बीच उस ने अपना कार्य समाप्त कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस समिति की रिपोर्ट व उस पर की गई कार्यवाही का विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

तेल का उत्पादन

†*२१८. **श्री मुरारका :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में विद्यमान तेल के कुओं से आजकल प्रति वर्ष कितना तेल निकाला जाता है;

(ख) इन में से कितना तेल नूनमती और बरौनी में साफ किया जायेगा; और

(ग) बाकी तेल कहां साफ होगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) १९६१ में लगभग ५ लाख टन ।

(ख) नूनमती में लगभग ६०,००० टन तेल साफ किया जायेगा । बरौनी स्थित कारखाने में अभी तेल साफ करने की व्यवस्था नहीं है ।

(ग) १९६१ में निकाले गये तेल में से शेष अशुद्ध तेल डिगबोई तेल-शोधक कारखाने में और बम्बई स्थित बर्मा शैल तेल-शोधक कारखाने में साफ किया गया ।

चुनाव के लिये एक क्लर्क द्वारा स्तीफा

२८६. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय को इस्टैब्लिशमेंट–१ (बा) शाखा के एक लोअर डिवाजन क्लर्क श्री बनवारी लाल ने पंजाब के कनिना रक्षित विधान-सभा निर्वाचन-क्षेत्र से चुनाव लड़ा था;

(ख) यदि हां, तो क्या उसका स्तीफा मंजूर कर लिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो कब ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जी हां ।

(ख) जा, हां ।

(ग) २४ जनवरी, १९६२ से ।

पंजाब के सरहाली क्षेत्र में निर्वाचन

२८७. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :** क्या **विधि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के सरहाली निर्वाचन-क्षेत्र के सम्बन्ध मे जहां से पंजाब के मुख्य मंत्री श्री प्रताप सिंह कैरों राज्य विधान सभा के लिए चुनाव में खड़े हुए थे कुछ शिकायतें निर्वाचन आयुक्त को प्राप्त हुई हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनकी कोई खोज की है कि उनमें कहां तक सत्य है ; और

(ग) सरकार का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित क्या उन समाचारों की ओर भी दिलाया गया है जिनमे पंजाब में निर्वाचनों की वैधता पर सन्देह प्रकट किया जा रहा है ?

विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) और (ख). सरहाली विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के उम्मीदवारों में से एक उम्मीदधार की ओर से निर्वाचन आयोग को एक शिकायत

---

†मूल अंग्रेज़ी में

प्राप्त हुई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि निर्वाचन पदाधिकारी ने मतगणना और परिणामों की घोषणा के प्रक्रम में अनेक अनियमितताएं और अवैधतायें की हैं। साथ ही इस शिकायत में उक्त निर्वाचन क्षेत्र में दुबारा मतदान कराये जाने की प्रार्थना की गई थी। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन उपायुक्त से तुरन्त इस मामले की तत्स्थानिक जांच कराई थी। चूंकि निर्वाचन पदाधिकारी ने दोनों मुख्य अभिकथनों से स्पष्टतः इंकार कर दिया था और निर्वाचन का परिणाम पहले ही घोषित हो चुका था, अतः आयोग ने विनिश्चय किया कि विधि के अधीन न तो मतों की पुनर्गणना और न पुनर्मतदान ही हो सकता है।

(ग) सरकार को समाचार पत्रों के ऐसे किसी समाचार की जानकारी नहीं है जिसमें कि पजाब के सारे निर्वाचनों की वैधता पर सन्देह प्रगट किया गया हो।

उड़ीसा के मुख्य मंत्री के पास विदेशी मुद्रा

†२८८. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के मुख्य मन्त्री के पास कितनी विदेशी मुद्रा है इस बात का पता लगाने के लिये की जा रही जांच पूरी हो गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य उस मामले के बारे में जानकारी चाहते हैं जिसका उल्लेख लोक-सभा में ३० नवम्बर, १९६१ को श्री रामकृष्ण गुप्त तथा अन्य सदस्यों द्वारा पूछे गये प्रश्न संख्या ४३३ के उत्तर में किया गया था। मामले की जांच अभी जारी है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

महाराष्ट्र में खानें

†२८९. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र की सरकार ने अपने राज्य में केन्द्र द्वारा खानों से खनिज निकालने के अधिकार को चुनौती दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उपन्न नहीं होता ।

नानावती का मुकदमा

†२९०. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कमाण्डर नानावती पर कत्ल के जुर्म में चलाये गये मुकदमे में अपने बचाव के लिये उसे कितना धन दिया गया; और

(ख) उसमें से अब तक कितना लौटा दिया गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) कमाण्डर नानावती अपने बचाव की व्यवस्था कर सके इसके लिये उसे १०,००० रुपये का इकठ्ठा अनुदान न कि ऋण आर्थिक सहायता के तौर पर दिया गया था।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हवाई प्रतिरक्षा रडार सैटों का निर्माण

†२९१. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वायु सेना के संधारण कमान के एक यूनिट द्वारा हवाई प्रतिरक्षा रडार सैटों का विकास और निर्माण आरम्भ किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) रडार की सामग्री का पूरा या आंशिक विकास किया जा रहा है ।

(ख) इससे अधिक जानकारी देना लोक-हित में न होगा ।

निर्यात संवर्द्धन के लिये आय-कर पर छूट

†२९२. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देहीजिया समिति द्वारा निर्यात सम्वर्द्धन के लिये प्रेरणा के रूप में आय-कर पर छूट (रिबेट) देने के लिये जिस योजना की सिफारिश की गई थी और जो सरकार द्वारा मंजूर की गई बताई जाती है, उसके फिलहाल कार्यान्वय की सम्भावना नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त योजना कब कार्यान्वित की जायेगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) देहीजिया समिति नाम की कोई समिति नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न के भाग (ख) और (ग) उत्पन्न नहीं होते ।

श्री ए० रामस्वामी मुदालियार के सभापतित्व में आयात और निर्यात समिति ने इस सम्बन्ध में कुछ सिफारिशें की हैं । यह प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है ।

खनिजों का सर्वेक्षण और उन की खोज

†२९३. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **इस्पात, खान तथा ईंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने भारत में अपधातुओं के व्यापक तथा सघन सर्वेक्षण, उनकी खोज तथा उनकी खुदाई के लिये जिसमें मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के राम खेर्या क्षेत्र में हीरे निकालना शासिल है, एक व्यापक कार्यक्रम बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उस पर कितना व्यय होगा और कार्यक्रम के कार्यान्वय से क्या कुछ हासिल होगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) जी, हां। भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने अपधातू के अयस्क के सघन सर्वेक्षण व खोज के लिये एक कार्यक्रम बनाया है। पन्ना जिले के राम खेर्या क्षेत्र में हीरे निकालने के लिये राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एक योजना कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण तीसरी योजना अवधि में निम्नलिखित जिलों में तांबा तथा अन्य धातुओं की सघन खोज, जिसमें खुदाई भी शामिल है, करने का इरादा रखता है :—

बिहार	सिंहभूम, हजारी बाग, संथाल परगना, मुंगेर और भागलपुर।
राजस्थान	झुंझनूं, अलवर, अजमेर, उदयपुर, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, पाली और सवाई माधोपुर।
मद्रास :	साउथ अरकाट।
मैसूर .	हसन।
मध्य प्रदेश .	बस्तर और जबलपुर।
आंध्र प्रदेश .	खम्मम्, कुर्नूल और गुंटूर।
असम .	उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण।
मनीपुर	उखरूल मोरे क्षेत्र।
पंजाब .	कांगड़ा और शिमला।
उड़ीसा :	मयूरभंज।
उत्तर प्रदेश .	अल्मोड़ा, गढ़वाल, टिहरीगढ़वाल और देहरादून।
पश्चिम बंगाल.	मिदनापुर और पुरूलिया।

इस कार्यक्रम में ८,२०० वर्गमील (२१,२४० वर्ग किलो मीटर) के बड़े पैमाने पर नक्शे बनाना, १११ वर्गमील (२८७ वर्ग किलोमीटर) के 'प्लेन टेबल' नक्शे बनाना और २५९००० फीट (७८,९४० मीटर) छिद्रण करना शामिल है।

विभिन्न राज्यों में भूतत्वीय सर्वेक्षण के लिये अलग से धन की व्यवस्था नहीं की गयी है। जो व्यय होता है वह भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा देश भर के लिये स्वीकृत अनुदान से दिया जाता है।

राम खेर्या खनन योजना पर, जिसे राष्ट्रीय खनिज विकास निगम कार्यान्वित कर रहा है, अनुमानत: ४६.२ लाख रुपये खर्च होंगे और योजना का लक्ष्य प्रतिवर्ष १२,५०० रत्ती हीरे निकालना है ; इस क्षेत्र में १९६३ में उत्पादन आरम्भ होने की सम्भावना है।

स्नेहन पदार्थ[1]

†**२९४. श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल देश में स्नेहन-पदार्थों का कितनी मात्रा में उत्पादन होता है; और

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल के अन्त तक भारत ऐसे स्नेहन पदार्थों के मामले में कितना स्वावलम्बी हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Lubricants.

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय): (क) देश में आवश्यकता का लगभग ७ प्रतिशत उत्पादन होता है ।

(ख) सम्भव है कि लगभग ५० प्रतिशत आवश्यकता स्वदेशीय उत्पादन से पूर्ण हो जाये ।

भारत सहायता 'क्लब' की बैठक

†२९५. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चन्द्रवार, २९ जनवरी, १९६२ को भारत सहायता 'क्लब' की बैठक हुई थी और उसमें भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति के लिये कुछ धन देना स्वीकार हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो कितना धन स्वीकृत हुआ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या राशियों पर मतदान बाद की किसी तारीख के लिए स्थगित कर दिया गया है और इसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). भारत को विकास के लिए सहायता देने मे रुचि रखने वाली सरकारों तथा संस्थाओं के संघ की पांचवीं बैठक वाशिंगटन में २९ और ३० जनवरी, १९६२ को हुई थी । उस में भारत की तीसरी योजना के प्रथम वर्ष के लिए जून, १९६१ की मीटिंग में दिये उनके वचनों का पालन करने में संघ के सदस्यों ने क ा कार्यवाही की, इसका पुनरीक्षण किया गया था । संघ ने यह भी स्वीकार किया कि १९६२–६३ में जितनी सहायता देने का वचन दिया गया है उससे अधिक सहायता की आवश्यकता होगी और उसने मई, १९६२ म फिर बैठक करना स्वीकार किया ।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बचत राशि

†२९६. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरे योजना काल के पांच वर्षों मे से प्रत्येक वर्ष में आय की कितनी प्रतिशत बचत हुई; और

(ख) तीसरी पंच वर्षीय काल में इस प्रतिशत को बढ़ाने के लिए यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो क्या की जा रही है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष मे राष्ट्रीय आय के साथ बचत के अनुपात के तुलनात्मक प्राक्कलन उपलब्ध नहीं हैं । फिर भी, भारत के रक्षित बैंक ने १९५०–५१ से १९५८–५९ तक बचत के प्राक्कलन तैयार किये हैं । ये प्राक्कलन भारत के रक्षित बैंक के अगस्त, १९६१ के बुलेटिन में प्रकाशित हुई हैं । क्योंकि प्रति वर्ष के प्राक्कलन बहुत विश्वासनीय और सार्थक नहीं होते, इसलिए १९५०–५१ से १९५८–५९ तक की अवधि अन्य तीन उपबन्धियों मे विभक्त की गई हैं । १९५०–५१ से १९५२–५३ तक घरेलू बचत का प्रतिशत राष्ट्रीय आय का ५.९ प्रतिशत था, प्रथम योजना के अन्तिम तीन वर्षों में यह प्रतिशत ७.३ था और दूसरी योजना के पहिले तीन वर्षों मे यह प्रतिशत ७.९ था । तीसरी पंच वर्षीय योजना सम्बन्धी रिपोर्ट में उल्लेख है कि द्वितीय पंच वर्षीय योजना के अन्त में राष्ट्रीय आय के साथ बचत का प्रतिशत लगभग ८.५ था ।

†भूल अंग्रेजी में

(ख) तीसरी पंच वर्षीय योजना में पूर्वानुमान किया गया है कि दूसरी योजना के अन्त में जो बचत राष्ट्रीय आय की ८.५ प्रतिशत वह तीसरी योजना के अन्त मे बढ़ कर ११.५ प्रतिशत हो जायेगी। जैसा कि योजना में उल्लेख है, इसके लिए कुल उत्पादन बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास करना होगा और विनियोजन की आवश्यकता द्वारा जो सीमायें निर्धारित की गई हैं, उपभोग को उस के भीतर रखने के लिए बनाई गई आर्थिक नीतियों का निरन्तर पालन करना होगा।

वरिष्ठ कर्मचारी परिषद्

†२९७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीनस्थ विभागों में वरिष्ठ कर्मचारी परिषदों के गठन के बाद परिषदों ने प्रति वर्ष कितनी सिफारिशें की हैं;

(ख) उनमें से कितनी लागू हो गई हैं;

(ग) कितनी सिफ़ारिशों पर एक वर्ष से अधिक से कोई कार्यवाही नहीं की गई; और

(घ) विभागों ने कितनी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है। [पुस्तकालय में रखा गया। **देखिये संख्या एल० टी० ३६०७/६२**]।

वरिष्ठ कर्मचारी परिषद्

†२९८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीनस्थ विभागों में वरिष्ठ कर्मचारी परिषदों के गठन के बाद परिषदों ने प्रति वर्ष कितनी सिफारिशें की हैं;

(ख) उन में से कितनी लागू हो गई हैं;

(ग) कितनी सिफारिशों पर एक वर्ष से अधिक से कोई कार्यवाही नहीं की गई; और

(घ) विभागों ने कितनी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है। **[देखिय परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १३]**.

वरिष्ठ कर्मचारी परिषद्

†२९९. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीनस्थ विभागों में वरिष्ठ कर्मचारी परिषदों के गठन के बाद परिषदों ने प्रति वर्ष कितनी सिफारिशें की हैं;

(ख) उन में से कितनी लागू हो गई हैं;

(ग) कितनी सिफारिशों पर एक वर्ष से अधिक से कोई कार्यवाही नहीं की गई; और

(घ) विभागों ने कितनी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :**

	१९५६	१९५७	१९५८	१९५९	१९६०	१९६१
(क) . . .	२५	२५	३५	७०	६६	५०*
(ख) . . .	१९	२०*	२७@	५८	४७	३९
(ग) . . .	१	—	—	—	१	--
(घ) . . .	५	५	८	१२	१८	९**

सिफारिशें मितव्ययता या प्रशासनीय कारण से अस्वीकार की गई थीं।

*इन मे से २ विचाराधीन हैं ।

**वापस ली गई एक सिफारिश साहित ।

@इसमें एक वह सिफारिश भी है जिस पर आगे कार्यवाही नहीं की गई।

नोट: उपरोक्त संख्या मे मंत्रालय से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों के बारे में जानकारी नहीं है।

वरिष्ठ कर्मचारी परिषद्

†३००. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीनस्थ विभागों में वरिष्ठ कर्मचारी परिषदों के गठन के बाद परिषदों ने प्रति वर्ष कितनी सिफारिशें की हैं ;

(ख) उनमें से कितनी लागू हो गई हैं ;

(ग) कितनी सिफारिशों पर एक वर्ष से अधिक से कोई कार्यवाई नहीं की गई है ; और

(घ) विभागों ने कितनी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और इसके पूरा होते ही पटल पर रख दी जायेगी ।

वरिष्ठ कर्मचारी परिषद्

†३०१. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीनस्था विभागों में वरिष्ठ कर्मचारी परिषदों के गठन के बाद परिषदों ने प्रतिवर्ष कितनी सिफारिशें की हैं ;

(ख) उनमें से कितनी लागू हो गई हैं;

(ग) कितनी सिफारिशों पर एक वर्ष से अधिक से कोई कार्यवाही नहीं की गई ; और

(ग) विभागों ने कितनी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) से (ख) और)घ). स्थिति निम्न है :—

वर्ष	की गई सिफारिशों की संख्या	कार्यान्वित सिफारिशों की संख्या	लागू न की गई सिफारिशों की संख्या
	(क)	(ख)	(घ)
१९५५	२	२	—
१९५६	३	३	—
१९५७	—	—	—
१९५८	१४	११	३
१९५९	६	५	१
१९६०	८	८	—
१९६१	७	७	—
योग	४०	३६	४

नोट :—उपरोक्त स्तम्भ (क) में उल्लिखित चार सिफारिशों में से दो सिफरिशें केन्द्रीय सचिवालय की क्लर्क सेवा के बारे में हैं, तीसरी में छुट्टी में यात्रा रियायत का और चौथी में दफ्तर के कमरों में गर्मी के मौसम की सुविधाओं का उल्लेख है। इन सिफारिशों के विषयों पर सरकार के सामान्य आदेशों में वर्णित नीति संबंधी निश्चय लागू होते हैं, इसलिये यह मंत्रालय संबंधित प्रशासकीय मंत्रालय की सहमति के बिना इन सिफारिशों को स्वीकार या लागू करने में असमर्थ है।

(ग) किसी को अस्वीकार नहीं किया।

वरिष्ठ कर्मचारी परिषद्

†३०२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीनस्थ विभागों में वरिष्ठ कर्मचारी परिषदों के गठन के बाद परिषदों ने प्रति वर्ष कितनी सिफारिशें की हैं ;

(ख) उनमें से कितनी लागू हो गई हैं ;

(ग) कितनी सिफारिशों पर एक वर्ष से अधिक से कोई कार्यवाही नहीं की गई ; और

(घ) विभागों ने कितनी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)**: (क) से (घ). ये परिषदें १९५४ से कार्य कर रही हैं, इसलिए इस जानकारी को एकत्रित करने में जितना समय लगेगा और मेहनत, उसके अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं होंगे।

†मूल अंग्रेजी में

वरिष्ठ कर्मचारी परिषद्

†३०३. श्री **अ० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधिनस्थ विभागों में वरिष्ठ कर्मचारी परिषदों के गठन के बाद परिषदों ने प्रति वर्ष कितनी सिफारिशें की हैं ;

(ख) उनमें से कितनी लागू हो गई हैं ;

(ग) कितनी सिफारिशों पर एक वर्ष से अधिक से कोई कार्यवाही नहीं की गई ; और

(घ) विभागों ने कितनी सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया है और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** :(क) से (घ). जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १४३ ।]**

चुनाव उम्मीदवार

†३०४. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उम्मीदवारों के नाम (निर्वाचन क्षेत्र सहित) क्या हैं जो अपने निर्देशन-पत्र देने के बाद वापस लेने की तारीख से पहिले ही मर गये ;

(ख) वापस लेने की तारीख के बाद करने वाले उम्मीदवारों के नाय क्या हैं ; और

(ग) प्रत्येक मामले में चुनाव करने के लिये क्या कार्यवाही की गई ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) उत्तर प्रदेश में सिकन्दरराव विधान सेभा क्षेत्र के लिये उम्मीदवार श्री मलखानसिंह अपने निर्देशन पत्र देने के बाद परन्तु उम्मीदवारी वापिस लेने की अन्तिम तारीख से पहिले मर गये ।

(ख) निम्न उम्मोदवार नाम वापस लेने की अन्तिम तारीख के बाद मर गये :—

१. श्री रेड्डी गिरी नरसिंह रेड्डी ।

२. श्री राचन्द्र राव गणपंतराव धोते ।

३. श्री अन्नम लाई मथुराज ।

४. श्री गिरिजेश बहादुर ।

५. श्री जुलफिकार हुसैन खां ।

(ग) प्रश्न के भाग (क) में, उल्लिखित उम्मीदवार नाम वापिस लेने की अन्तिम तारीख से पहिले मर गये थे, इस कारण उनका नाम चुनाव लड़ने वालों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया । चुनाव कार्यक्रम के अनुसार ही हुआ ।

प्रश्न के भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक मामले में मतदान लोक प्रतिनिधान अधिनियम, १९५१ की धार ५२ के अन्तर्गत रद्द कर दिया गया और चुनाव संबंधी सारी कार्यवाही फिर से की गई । इनमें से चार चुनाव पूरे हो गये हैं और पांचवां हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जामा मस्जिद दिल्ली के पास विस्फोट

†३०५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १२ फरवरी, १९६२ को जामा मस्जिद, दिल्ली के सामने हरे-भरे मजार के पीछे हुये एक विस्फोट में दो व्यक्ति घायल हुये थे ;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच पड़ताल की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)**: (क) १२ फरवरी, १९६२ को रात्रि के लगभग ९ बजे हरे-भरे मजार के पास एक डेरे में पटाखे का विस्फोट हुआ था जिसमें दो व्यक्तियों को थोड़ी चोट आई थी ।

(ख) और (ग). मामला विचाराधीन है ।

विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन

†३०६. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **वित्त** मंत्री ६ दिसम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २२०० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ जुलाई, १९६० से अब तक विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन के कितने मामले निश्चित हो गये हैं ;

(ख) क्या उनकी मात्रा निश्चित रूप से कम करने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उनका ब्यौरा और व्यक्तियों के नाम और विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत किया गया जुर्माना, पटल पर रखा जायेगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरार जी देसाई)**: (क) ३१ जुलाई, १९६० से २८ फरवरी, १९६२ तक प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के ५८० मामले तय किये ।

(ख) विदेशी मुद्रा विनियमों के उल्लंघन के मामलों की ध्यानपूर्वक जांच पड़ताल की जाती है और जहां आवश्यकता होती भारी जुर्माने किये जाते हैं । आशा है कि ऐसी कार्यवाही के फलस्वरूप उल्लंघन के मामलों की संख्या कम होगी । प्रवर्तन निदेशालय ने जांच पड़ताल विभाग की कर्मचारी संख्या बढ़ाकर और न्यायानिर्णय के कार्य में जल्दी करके अनिश्चित पड़े मामलों की संख्या कम करने की कार्यवाही की है ।

(ग) संबंधित व्यक्तियों या फर्मों पर कुल ११,८३,६९३ रु० के जुर्माने किये गये । मैं समझता हूं कि इन ५८० मामलों का ब्यौरा देने वाला भीमकाय विवरण प्रस्तुत करने से कोई लाभ नहीं होगा । फिर भी, यदि आवश्यक हुआ तो किसी भी ऐसे मामले का विवरण जिसमें दाण्डिक कार्यवाही की गई हो, प्रस्तुत किया जायेगा ।

राष्ट्री एकीकरण सम्मेलन

३०७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३० नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४४० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दिशा में इस बीच क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : राष्ट्रीय एकीकरण से संबंधित सभी मामलों की समीक्षा करने के लिये जो परिषद कायम किया गया था उसकी बैठक आम चुनावों के कारण अभी तक नहीं बुलाई जा सकी ।

आजाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिक

३०८. श्री भक्त दर्शन : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ३० नवम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को राजनैतिक पीड़ितों की सब सुविधायें देने का निश्चय जिन राज्य-सरकारों व प्रशासनों ने तब तक नहीं किया था, उन्हें मनाने में इस बीच कहां तक सफलता मिली है ; और

(ख) जिन राज्यों में यह निश्चय किया गया है, उनमें से प्रत्येक में अब तक कितने कितने आजाद हिन्द फौज के सैनिकों को वे सुविधायें दी जा चुकी हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) :** (क) सभी संघ राज्य-क्षेत्रों और आसाम, बिहार, जम्मू और काश्मीर, केरल, मद्रास, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर-प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल की सरकारों ने आज़ाद हिन्द फौज के सैनिकों को राजनैतिक पीड़ितों को सब सुविधायें देने के आदेश जारी कर दिये हैं । शेष सरकारों द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में उनके उत्तर की प्रतीक्षा है ।

(ख) सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

भारतीय लेखक

†**३०९. श्री विभूति मिश्र :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांकृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि साहित्य अकादमी ने भारतीय लेखकों के बारे में एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसमें उनके कार्यों, आदि सम्बन्धी जानकारी दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक "नागार्जुन" का नाम उसमें सम्मिलित नहीं किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) हां, श्रीमान ।

(ख) नहीं, श्रीमान । "नागार्जुन" श्री वैद्यनाथ मिश्र का उपनाम है जिनका उल्लेख साहित्य अकादमी की रचना "भारतीय लेखकों की परिचय-पुस्तक" के पृष्ठ २०८ पर है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिये मकान

†३१०. **श्री बैं० चं० मलिक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २३ नवम्बर, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिये कितने मकान बनाये गये हैं ;

(ख) ये मकान कहां बनाये गये हैं; और

(ग) मकानों में कितने परिवार चले गये है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी राज्य सरकार से मांगी गई है। जानकारी प्राप्त होने पर पटल पर रख दी जायेगी।

उड़ीसा में मतदान

†३११. **श्री बैं० चं० मलिक** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में हाल में लोक सभा के लिए हुए चुनावों में कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मत दिये ; और

(ख) विभिन्न राजनीतिक दलों ने कितने कितने प्रतिशत मत प्राप्त किये ?

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : (क) लोक-सभा के आम चुनाव में उड़ीसा में २५.८८ प्रति शत मतदाताओं ने मत डाले।

(ख) उड़ीसा में विभिन्न राजनीतिक दलों ने जो वैध मत प्राप्त किये उनका प्रति शत निम्न है :—

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	५५.५२
गणतन्त्र परिषद् .	१७.४२
प्रजा सोशलिस्ट पार्टी	१५.५०
भारत का साम्यवादी दल .	५.११
समाजवादी दल . . .	२.६७
स्वतन्त्र पार्टी	१.१६

निवृत्ति-वेतन नियम

†३१२. **श्री बलराज मधोक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ ० ३ (१)—एस्टेबलिशमेंट (स्पेशल) ४७ दिनांक १७ अप्रैल, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले नियम जो वित्त मंत्रालय के ज्ञापन संख्या २० (२)—इ० वी०।५६ दिनांक २२ मई, १९५७ और वित्त मंत्रालय, (व्ययन विभाग) कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० ४(२)—एस्ट (स्पेशल)/५९—१ दिनांक २२ अप्रैल, १९६०, १७ अप्रैल, १९५६ से लागू हैं और यदि नहीं तो किस तिथि से;

(ख) क्या उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित दिनांक २२ मई, १९५७ और २२ अप्रैल, १९६० के कार्यालय ज्ञापनों में निर्दिष्ट नियम उन व्यक्तियों पर लागू हैं जो १७ अप्रैल, १९५६

†मूल अंग्रेजी में

को या इससे बाद परन्तु २१ अप्रैल, १९६० को या इससे पूर्व सेवा-निवृत्त हुए हैं ; और यदि नहीं, तो क्यों नहीं ;

(ग) १७ अप्रैल, १९५६ और २१ अप्रैल, १९६० के बीच कितने व्यक्ति सेवा-निवृत्त हुए हैं ;

(घ) क्या उपरोक्त भाग (ग) में निर्दिष्ठ तिथियों के बीच सेवा-निवृत्त हुए केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के निवृत्ति-वेतन और उपदान सम्बन्धी दावे निपटा दिये गये हैं और यदि नहीं तो क्यों नहीं ;

(ङ) क्या ऐसे कोई मामले हैं जिनमें निवृत्ति-वेतन भोगियों को उपरोक्त भाग (क) में निर्दिष्ट नये छूट दिये गये निवृत्ति-वेतन नियम लागू करने से इन्कार किया गया यद्यपि उन्होंने अपेक्षित अवधि में अपनी इच्छा प्रकट कर दी थी; और

(च) यदि हां, तो ऐसे मामलों की क्या संख्या है और उनको किस आधार पर अस्वीकृत किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) निवृत्ति–वेतन और मृत्यु-एवं-सेवा निवृत्ति उपदान में परिवर्तन के बारे में इस मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या २० (२)—इ० वी० । ५६ दिनांक २२ मई, १९५७ के उपबन्ध १७–४–१९५६ से लागू किये गये । परन्तु परिवार निवृत्ति वेतन के सम्बन्ध में ये आदेश १–४–१९५७ से लागू किये गये यद्यपि १ अप्रैल, १९५७ से ३ वर्ष पूर्व मरने वाले व्यक्तियों के मामले पर विचार की व्यवस्था इन आदेशों के पैरा ६(२) में है ।

इस मंत्रालय का कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ० ४ (२)—एस्ट (स्पेशल) । ५९—१ दिनांक २२–४–१९६० इसके जारी किये जाने की तिथि से लागू हुआ । परन्तु इसमें यह व्यवस्था की गई कि १ नवम्बर, १९५९ को या इसके बाद से परन्तु २२ अप्रैल, १९६० या इससे पूर्व तक सेवा-निवृत्त होने वाले व्यक्तियों के लिये निवृत्ति-वेतन के लिये स्थायी सेवा और कुल वेतन उन सम्बन्धित निवृत्ति-वेतन नियमों के अनुसार लिया जायेगा जो कि उनकी सेवा-निवृत्ति की तिथि पर ही और उसके हित में अधिक हो ।

(ख) आदेशों के लागू होने की तिथि प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में ती गई है । यदि ऐसा कोई अन्य उल्लेख न हो, तो सरकारी आदेश इनको जारी करने की तिथि से लागू होते हैं ।

(ग) और (घ) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ङ) जी, नहीं । नियमों के अधीन इन्कार नहीं किया जा सकता और सरकार को ऐसे किसी मामले का पता नहीं चला है जिसमें नियमों का पालन न किया गया हो ।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कोयला धोने के कारखाने

†३१३. **श्री मुरारका** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में विभिन्न कोयला धोने के कारखानों के बारे में अब तक क्या प्रगति की गई है .

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस समय कुल कितने धुले हुए कोयले का उत्पादन होता है; और

(ग) हमारी कुल आवश्यकता कितनी है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी हुई है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या १५-१६]**

(ख) लगभग ४० लाख टन प्रति वर्ष।

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक धुले हुए कोयले की कुल आवश्यकता लगभग १५० लाख टन होगी।

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम

†३१४. **श्री गणपति सहाय** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ने अप्रैल, १९६१ में एडमिनिस्ट्रेटिव आफिसर्स के पदों के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये ;

(ख) क्या यह भी सच है कि निगम के विज्ञापन के उत्तर में आवेदन-कर्त्ताओं के बारे में बिना विचार किये ही इन पदों को भरा गया ;

(ग) यदि हां, तो क्या आवेदनकर्त्ताओं द्वारा दी गई आवेदन-पत्रों की फीस उनको वापस दे दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) और (ख). इन पदों के बारे में उस ही समय विज्ञापन दिया गया था जब अन्यों के साथ साथ राज्य सरकारों से प्रतिनियुक्ति के लिये उपयुक्त अपने पदाधिकारियों की एक सूची भेजने को कहा गया था। क्योंकि विज्ञापन के उत्तर में जिन व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र भेजे थे, उनको उपयुक्त नहीं पाया गया, ऐसी प्रतिनियुक्ति कर के दो पद भरे गये।

(ग) और (घ). आवेदन-पत्र फीस वापस करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता क्योंकि जब आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाये तो धन राशि वापस करने की प्रक्रिया नहीं है।

नई दिल्ली की सड़कों पर तांगों और रेहड़ों का चलना

†३१५. **श्री बलराज मधोक** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रातःकाल और सायंकाल कुछ विशिष्ट घंटों की अवधि में नई दिल्ली में कुछ सड़कों पर तांगों और रेहड़ों के चलने को रोकने के लिये, कोई संशोधन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां ।

(ख) निम्नलिखित छूट दी गई है—

(१) किसी भी प्रकार की गाड़ी के लिये निषेधात्मक आदेश रविवार और अन्य केन्द्रीय सरकार की छुट्टी वाले दिनों पर लागू नहीं होंगे ।

(२) शाम के समय निषेध की अवधि में आधा घंटा की कमी कर दी गयी है अर्थात् सायंकाल यह ५ बजे से ७ बज तक के स्थान पर अब ५ बजे से साढ़े ६ बजे तक लागू होगा ।

(३) मन्दिर रोड (भूतपूर्व रीडिंग रोड) पर यात्रियों को ले जाने वाले तांगों पर से यह निषेध हटा लिया गया है ।

(४) निर्बन्धित घंटों के दौरान कनाट सर्कस में चैम्सफोर्ड रोड के साथ इसके जंक्शन के बीच मिन्टो ब्रिज और थामसन रोड की ओर एक तरफा ट्रैफिक की इजाजत दी गयी है ।

(५) प्रतिबन्धित घंटों के दौरान भी तांगों को रोक वाली सड़कों पर बीच के स्थान से पार करने की आज्ञा दी गई है ।

दिल्ली में सहायता-प्राप्त स्कूलों के अध्यापक

†**३१६. श्री बलराज मधोक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली सहायता–प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को पेंशन अथवा उपदान की सुविधा नहीं दी जाती ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के अध्यापक काफी समय से इन सुविधाओं की मांग कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने में सरकार क्या पग उठायेगी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) जी, नहीं । सहायता–प्राप्त स्कूलों में अध्यापकों को पेंशन और उपदान के स्थान पर अंशदायी भविष्य निधि की सुविधा दी जाती है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) भारत सरकार सहायता–प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के लिये एक त्रि-लाभ योजना लागू करने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिसके अधीन अध्यापकों को पेंशन, भविष्य निधि और अनिवार्य बीमें की सुविधायें प्राप्त होंगी ।

दिल्ली में हत्या और आक्रमण के मामले

†**३१७. श्री बलराज मधोक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी और फरवरी में दिल्ली मे हत्या और आक्रमण की कुल कितनी घटनायें हुयीं ; और

(ख) अब तक कितने मामलों में अपराधियों का पता लगा लिया गया है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क)

	जनवरी	फरवरी	कुल
हत्या .	४	७	११
आक्रमण	५९	५६	११५
(ख) हत्या	३	५	८
आक्रमण . .	४८	२९	७७

उड़ीसा को बाढ़-सहायता

†३१८. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा को वर्ष १९६१–६२ में बाढ़-सहायता कार्य पर खर्च करने के लिये अकाल सहायता निधि में अपने अंशदान के रूप में कितनी धनराशि दी है ; और

(ख) इस अवधि में अब तक राज्य सरकार ने बाढ़ सहायता कार्य पर कितना धन खर्च किया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की अकाल सहायता निधि में प्रत्यक्ष रूप से कोई अंशदान नहीं करती। तथापि वह एक निर्धारित तरीके पर प्राकृतिक आपत्तियों के कारण राज्य सरकारों द्वारा किये गये सहायता कार्यों की कुछ मदों पर व्यय का एक भाग देती है। अभी तक उड़ीसा सरकार ने वर्ष १९६१–६२ में बाढ़ सहायता पर वास्तविक व्यय के बारे में नहीं बताया है और न ही अभी तक केन्द्रीय सहायता का स्तर तय किया गया है ।

लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय के कर्मचारियों का स्थायीकरण

†३१९. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय मे काम करने वाले कर्मचारियों की एक बड़ी संख्या कई वर्षों से अस्थायी पड़ी हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उन में से कुछ तो, जो वर्ष १९४४ से काम कर रहे हैं, अस्थायी हैं ;

(ग) क्या दूसरे वेतन आयोग की इस सिफारिश को लागू किया जायगा कि जो पद तीन वर्षों से अधिक से चल रहे हैं उन्हें स्थायी प्रकार का करार दिया जाये और उनमें से ९० प्रतिशत को स्थायी बनाया जाये ; और

(घ) एस० आर० यूनिट अपनी रिपोर्ट कब देगी ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (घ). वर्तमान प्रक्रिया के अनुसार, ऐसे अस्थायी पदों के ८० प्रतिशत पद, जो स्थायी आधार पर रखने होते

†मूल अंग्रेजी में

हैं, यदि वे तीन वर्ष लगातार चल रहे हैं तो उनको स्थायी कर दिया जा सकता है । यद्यपि लोहा तथा इस्पात नियंत्रण संगठन में लगभग सभी पद तीन वर्षों से अधिक से चल रहे हैं, अभी यह निश्चित नहीं है कि उस संगठन का कौन सा कार्य स्थायी रूप में होगा। जब तक उत्पादन और मांग स्थिर नहीं हो जाती; इस संगठन पर स्थायी रूप से कार्य की मात्रा का ठीक प्रकार से मूल्यांकन करना संभव नहीं है । तथापि, इस्पात नियंत्रण संगठन में ७०८ पदों में से ४०६ पद स्थायी बनाये जा चुके हैं। यह भूतपूर्व एस० आर० यूनिट द्वारा अप्रैल, १९५६ में तब चालू काम की मात्रा के आधार पर सिफारिश किये गये पदों की ७७ प्रतिशत है ।

वित्त मंत्रालय के एस० आर० यूनिट ने अभी हाल में कर्मचारियों की आवश्यकता की जांच करने के विचार से कलकत्ता स्थित लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय की जांच की। यह आशा की जाती है कि यह यूनिट कुछ महीनों में अपनी अन्तिम रिपोर्ट दे देगा। एस० आर० यूनिट की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अस्थायी पदों को स्थायी बनाये जाने के बारे मे और कार्यवाही की जावेगी ।

दिल्ली के स्कूल

†३२०. **श्री राम गरीब** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ मार्च, १९६२ को दिल्ली/नई दिल्ली क्षेत्र में दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली के शिक्षा निदेशालय द्वारा चलाये जा रहे ऐसे स्कूलों (प्राथमिक, मिडिल, हाई और हायर सेकेन्डरी) की क्या संख्या है जिन के पास कोई इमारत नहीं है ;

(ख) कितने स्कूलों के लिये इमारतें बन रही हैं और वे कब तक बन कर तैयार हो जायेंगी ;

(ग) क्या यह सच है कि सरोजिनी नगर, नई दिल्ली में कुछ स्कूल की इमारतें बन रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक इमारत मे किन स्कूलों को स्थान दिया जायेगा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क)

(१) शिक्षा निदेशालय	३१
(२) दिल्ली नगर निगम . . .	९३
(३) नई दिल्ली नगरपालिका . .	९
कुल	१३३

(ख)

(१) शिक्षा निदेशालय .	९—जुलाई, १९६२ में पूरी होंगी।
(२) दिल्ली नगर निगम .	५२—सितम्बर, १९६२ तक पूरी होंगी।
(३) नई दिल्ली नगरपालिका .	कोई नहीं ।

†मूल अंग्रेजी में

(ग) और (घ) जी, हां, । एक इमारत बन रही है जिसके पूरा होने पर उस में गवर्नमैंट को-एज्यूकेशन हायर सेकेन्डरी स्कूल, सरोजिनी नगर और गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकैन्डरी स्कूल, (दूसरी पारी) सरोजनी नगर को पारियों में स्थान दिया जायेगा ।

दिल्ली के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश

†३२१. **श्री राम गरीब :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में स्कूलों में मई—जुलाई के महीनों में अवकाश होता है और जब स्कूल जुलाई में फिर खुलते हैं, तो दिल्ली में वर्षा आरम्भ हो जाती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली में वर्षा के दौरान तम्बुओं वाले स्कूलों में पढ़ाई में बाधा पहुंचती है ;

(ग) यदि भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो पिछले वर्ष दिल्ली में प्रत्येक टैंट वाले स्कूल में कितने दिनों तक अध्ययन में बाधा पहुंची और इस मामले मे सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं; और

(घ) क्या स्कूलों के लिये इमारत बनाने के साथ साथ छुट्टियों को जुलाई–सितम्बर में करने का कोई प्रस्ताव है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। कुछ दिनों के लिये ।

(ग) स्कूल-वार कोई आंकड़े नहीं रखे गये । इन तम्बू वाले स्कूलों के लिये यथा-संभव शीघ्र इमारतों की व्यवस्था करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

(घ) जी, नहीं ।

जम्मू तथा काश्मीर में अखनूर मन्दिर के समीप चित्रसंकेतों[1] का मिलना

†३२२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य मे अखनूर मंदिर के समीप जम्मू की डोगरा आर्ट गैलरी के संग्राहध्यक्ष शिवदियाल खगूरिया को प्राचीन चित्र संकेत मिले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ऐतिहासिक महत्व क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर) :** (क) और (ख). कोई चिह्न संकेत नहीं मिले हैं परन्तु कुछ शिला लेख मिले हैं जिनका अध्ययन किया जा रहा है ।

सामान्य निर्वाचनों के आंकड़े

†३२३. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५२ और १९५७ के सामान्य निर्वाचनों की अपेक्षा राज्य-वार विधान-मंडलों और लोक-सभा के चुनावों में पिछले सामान्य निर्वाचन में कितने अवैध मत रिकार्ड किये गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Pictographs.

†**विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस)** : यद्यपि अधिकांश निर्वाचन-क्षेत्रों में सामान्य निर्वाचन समाप्त हो गये हैं, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बर्फ-वाले निर्वाचन-क्षेत्रों में अभी मतदान होना है । सभी निर्वाचन पूरे होने पर यह जानकारी एकत्र करने में कुछ समय लगेगा ।

इंजीनियरों का लन्दन सम्मेलन

†३२४. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरों के लन्दन सम्मेलन में भारतीय इंजीनियर भाग ले रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं और सम्मेलन में उनका क्या योग दान रहा ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

'स्कल स्क्रैप'[१]

†३२५. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० पशुपति मण्डल :
श्री पु० र० पटेल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, १९६१ में निम्नलिखित द्वारा कितना स्कल स्क्रैप बेचा गया :

(१) मेसर्ज हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के संयंत्र ;

(२) मेसर्ज टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड ;

(३) मेसर्ज इंडियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड ;

(४) मेसर्ज मैसूर आइरन एण्ड स्टील वर्क्स ; और

(५) रद्दी लोहे पर आधारित भट्टी मालिक ; और

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त इस्पात उत्पादकों को अपना 'स्कल' मुक्त रूप से भेजने की इजाज़त है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ख) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के इस्पात संयंत्र और मैसूर आइरन एण्ड स्टील वर्क्स इस्पात के स्कल की स्वयं खपत करते हैं । टाटा आइरन एण्ड स्टील कम्पनी और इण्डियन आइरन एण्ड स्टील कम्पनी को, यदि अन्य इस्पात संयंत्रों को इसकी आवश्यकता नहीं है, इसके निर्यात करने की इजाजत दी जाती है ।

---

†मूल अंग्रेजी में
[१]Skul Scrap.

इस्पात संयंत्रों को कच्चे माल का संभरण

†३२६. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान इस्पात संयंत्रों और तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित इस्पात संयंत्रों के स्थान से कच्चे माल के संसाधनों की कितनी दूरी है ;

(ख) इन दूरियों पर परिवहन के क्या साधन उपलब्ध हैं अथवा उपलब्ध किये जायेंगे ;

(ग) इस्पात संयंत्रों के भावी विकास को ध्यान में रखते हुए यदि ये साधन अपर्याप्त हैं, तो उनका किस प्रकार विकास किया जायेगा ;

(घ) रेल, सड़क और अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिये पृथक पृथक उनके विकास करने अथवा व्यवस्था करने पर कितनी लागत आयेगी ;

(ङ) क्या इस समय इस्पात संयंत्र केवल रेल परिवहन पर निर्भर है और यदि हां, तो जहां इस्पात संयंत्रों के लिये नयी रेलवे लाइनें बिछाई गई हैं अथवा उनकी पूर्ति के लिये रेलवे के स्थान पर अन्य परिवहन साधनों का विकास क्यों नहीं किया गया ; और

(च) सामान्यत: प्राथमिक लागत, संचालन की लागत और गति के बारे में ऐसे क्षेत्रों में सड़क और रेल परिवहन की आर्थिक स्थिति क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह):** (क) से (च). माननीय सदस्य का ध्यान २० मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १९४८ के उत्तर में दिये गये विवरण की ओर दिलाया जाता है ।

भारी गलाये जाने वाले रद्दी लोहे का निर्यात

†३२७. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
डा० पशुपति मण्डल :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५१–१९६१ की अवधि में भारी गलाये जाने वाले रद्दी लोहे की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया ;

(ख) उसी अवधि में देश में भारी गलाये जाने वाले रद्दी लोहे की कितनी मात्रा गलायी गयी ;

(ग) क्या यह सच है कि चालू रद्दी लोहा नीति के अनुसार भारी गलाये जाने वाले रद्दी लोहे के निर्यात पर प्रतिबन्ध जारी है ;

(घ) भारी गलाये जाने वाले रद्दी लोहे के निर्यात पर प्रतिबन्ध इसकी कमी के कारण लगाया गया है या अन्य कारणों से ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) भारी गलाये जाने वाले रद्दी लोहे की वार्षिक अनुमानित बचत या कमी कितनी है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) वर्ष १९५१–५५ के वर्षों के दौरान भारी गलाये जाने वाले रद्दी लोहे के निर्यात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वर्ष १९५५ से १९६१ तक के निर्यात के आंकड़े निम्न प्रकार हैं:

१९५५	३०,०४२ टन
१९५६	१,५८२ टन
१९५७	१,००० टन
१९५८	२१,५५६ टन
१९५९	४७,९६० टन
१९६०	४३,४५० टन
१९६१	२२,०५० टन

(ख) यह जानकारी उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) भारी गलाये जाने वाले रद्दी लोहे के निर्यात पर देश में इस किस्म के रद्दी लो की कमी के कारण वर्ष १९६१ की पिछली छिमाही से पूर्व प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

(ङ) ठीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

आसवान बांध के स्थान पर आबू सिम्बेल का मन्दिर

†३२८. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मिस्र में आसवान बांध के निर्माण के पश्चात् नील नदी के पानी में आबू सिम्बेल मन्दिर के डूब जाने का खतरा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसको डूबने से बचाने की कोई योजना है ,

(ग) उस योजना का व्यय क्या है ;

(घ) क्या भारत, योजना की क्रियान्विति के लिए अपना अंश देगा ; और

(ङ) यदि हां, तो कितना ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क)

(ख) जी हां।

(ग) यूनेस्को ने ८७० लाख डालर का अनुमान लगाया है।

(घ) और (ङ). अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय ऐक्टों का हिन्दी अनुवाद

३२९. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **विधि** मंत्री २३ नवम्बर, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय एक्टों का हिन्दी अनुवाद करने के लिये नियुक्त किये गये आयोग ने, अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितना कार्य समाप्त हो चुका है ;

(ग) क्या सरकार के पास ऐसे कोई सुझाव आये हैं कि भविष्य में जो नये बिल पेश किये जायें उन्हें अंग्रेजी और हिन्दी में साथ-साथ पेश करने की व्यवस्था की जाये ;

(घ) यदि हां, तो यह कब तक आरम्भ हो सकेगा और यदि नहीं तो ऐसा करने में क्या कठिनाइयां हैं ; और

(ङ) कुल कितने केन्द्रीय ऐक्टों का हिन्दी में अनुवाद होना है ?

विधि उपमंत्री (श्री हजरनवीस) : (क) आयोग के कार्यकारी दल ने काम करना आरम्भ कर दिया है ।

(ख) भारतीय दंड संहिता का हिन्दी में पहला मसौदा तैयार हो चुका है ।

(ग) और (घ). विधेयकों को अंग्रेजी और हिन्दी में साथ-साथ पुरःस्थापित किये जाने के सम्बन्ध में सुझाव संसद् के कुछ सदस्यों से प्राप्त हुए थे । और यह सुझाव अभी भी विचाराधीन हैं ।

(ङ) लगभग आठ सौ केन्द्रीय अधिनियम ।

केन्द्रीय शिक्षा संस्था

†३३०. **श्री बलराज मधोक** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय शिक्षा संस्था दिल्ली की बी० एड० तथा एम० एड० विद्यार्थियों में प्रत्येक वर्ष कितने विद्यार्थी आते हैं;

(ख) १९६१ में इन कक्षाओं में प्रवेश के लिए कितने विद्यार्थियों ने आवेदन पत्र दिए तथा कितने विद्यार्थियों को प्रवेश मिला;

(ग) इनमें से कितने दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के थे तथा कितने अन्य राज्यों के थे; और

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली के राज्य क्षेत्र के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण की सुविधाओं के संबंध में यह अकेली संस्था मांग पूरी करने में समर्थ नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली में दूसरा अध्यापक प्रशिक्षण कालिज खोलने का है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली): (क) बी० एड०—११०
एम० एड०—२५ ।

(ख)

	१९६१ में अभ्यर्थियों की संख्या	प्रवेश पाये विद्यार्थियों की संख्या
	बी० एड०—६८०	११०
	एम० एड०—११६	१७ ।

(ग)

कक्षा	दिल्ली संघ क्षेत्र के	अन्य राज्यों के,
बी० एड०	५१५	१६५
एम० एड०	१५	१०१

(घ) संस्था मांग पूरी कर रही है। इसके अतिरिक्त दिल्ली निकटस्थ राज्यों के विद्यार्थियों का भी प्रशिक्षण कर रही है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली में नये कालिज

†३३१. **श्री बलराज मधोक** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६२ में दिल्ली संघ क्षेत्र में लड़के तथा लड़कियों के लिए कोई नया कालिज खोला जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

†शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) और (ख). दिल्ली प्रशासन दिल्ली संघ क्षेत्र में अतिरिक्त कालिज की आवश्यकता का निर्धारण कर रहा है।

दिल्ली में पुलिस

†३३२. **श्री बलराज मधोक** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ क्षेत्र में कुल कितनी पुलिस है;

(ख) पुलिस में महिलायें कितनी है;

(ग) पुलिस कर्मचारियों के लिए (१) परिवार तथा (२) बिना परिवार के कितने क्वार्टर उपलब्ध हैं;

(घ) परिवार तथा बिना परिवार के क्वार्टरों की अलग-अलग कितनी कमी है; और

(ङ) इस कमी को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) ११,९९० ।

(ख) ९५

(ग)

परिवार क्वार्टर	बिना परिवार क्वार्टर
१३७१	सिपाहियों के लिए ५०९७ ।

(घ)

(१)	परिवार क्वार्टर	४१७०
(२)	बिना परिवार क्वार्टर	सिपाहियों के लिए १३५२ ।

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) सिपाहियों के लिए निवास स्थान के निर्माण को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है तथा दिल्ली पुलिस के पास उपलब्ध सभी जमीन पर क्वार्टर बनाये गये हैं। वजीर नगर, शकूर बस्ती तथा एन्ड्रूज गंज में हाल में ही दिल्ली पुलिस के लिए जमीन अलाट की गई है। पुलिस आवास के लिए तीसरी योजना में ३५ लाख रुपये निश्चित कर दिए गए हैं।

सरकारी कर्मचारी

†३३३. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत वर्ष श्रीमती राजेन नेहरू के सभापतित्व में विज्ञान भवन में गृह-कार्य मंत्री ने सरकारी कर्मचारियों की एक बैठक में भाषण दिया था;

(ख) क्या यह सच है कि उस बैठक में कई संकल्प पारित किए गए थे; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार)** : (क) जी हां।

(ख) सरकार को कोई संकल्प नहीं मिला है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। परन्तु बैठक से पहले एक ज्ञापन में कुछ बातें पेश की गई थीं तथा बाद में गृह-कार्य मंत्री से कुछ और अनुरोध किए गए थे। इन सभी पर विचार किया गया और उचित कार्यवाही की गई है।

कोपली में तेलशोधक कारखाना

†३३४. **श्री पु० र० पटेल** :
श्री ओझा :
श्रीमती जयाबेन शाह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोपली तथा गुजरात में तेल शोधक कारखाने के निकट कितने एकड़ भूमि का अर्जन करने का विचार है;

(ख) अर्जित की जाने वाली जमीन का अनुमानित प्रतिकर मूल्य क्या होगा; और

(ग) सरकार को कृषि उत्पाद तथा उत्पादन शुल्क की हानि से वार्षिक कितना नुकसान होगा ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) लगभग २,०६५ एकड़।

(ख) और (ग). अभी उपलब्ध नहीं है।

चाय पर केन्द्रीय तथा राज्य कर

†३३५. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चाय बागान मालिक की संस्था की कलकत्ता में हुई ३१वीं वार्षिक बैठक में उन्होंने चाय पर केन्द्रीय तथा राज्य करों का समन्वय करने की मांग की थी; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार का क्या निर्णय है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) भारतीय चाय बागान मालिकों की संस्था से ३१वीं वार्षिक बैठक की कार्यवाही की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है तथा भारत सरकार को मालूम नहीं है कि उन्होंने चाय पर केन्द्रीय तथा राज्य करों के समन्वय की मांग की है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

स्थगन प्रस्ताव

उत्तरी कचार पहाड़ियों पर दुर्घटना

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर कचार की घटनाओं से सम्बन्धित मामला जो २३ मार्च, १९६२ को स्थगन प्रस्तावों के रूप में उठाया गया था आज निपटाया जाना है। प्रधान मंत्री एक वक्तव्य देंगे।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : १५ मार्च को घटनाओं के बारे में मुझे कुछ और जानकारी प्राप्त हुई है, जो कुछ समाचारपत्रों में भी प्रकाशित हुई है। पिछली बार मैं पूरा विवरण नहीं दे सका, क्योंकि इसका सम्बन्ध मुख्यतया आसाम सरकार से था तथ्य इस प्रकार है :

१५ मार्च की शाम को राइफलों से लैस नागा उपद्रवियों के दल ने उत्तर कचार पहाड़ियों में कुछ गांवों पर हमला किया था और लगभग १७४ मकानों को आग लगा दी थी। लगभग ७०० व्यक्ति बेघर हो गये थे जिन्होंने हजादीखा गांव तथा उसके पास के जंगलों में शरण ली। हमले के दौरान एक व्यक्ति गोली से मारा गया और एक सरकारी लोक निर्माण कैम्प और एक गांव के एक लोअर प्राईमरी स्कूल में भी आग लगा दी गई। जिस क्षेत्र पर हमला किया गया था, वह पहाड़ी एक जंगली क्षेत्र था, जिसमें केवल पैदल चल कर ही पहुंचा जा सकता है, चुनाव के पूर्व वहां सेना और पुलिस ने व्यापक गश्त किया था।

खबर मिलते ही स्थानीय सब-डिवीजनल अधिकारी सशस्त्र गश्ती दल सहित वहां के लिये रवाना हो गये थे। निकटवर्ती क्षेत्र में जो पुलिस मे गश्ती दल नियुक्त थे वे भी वहां पहुंच गये। मिकिर पहाड़ियों के डिप्टी कमिशनर और पुलिस सुपरिन्टेन्डेंट भी खबर मिलने पर वहां के लिये रवाना हो गया।

आसाम सशस्त्र पुलिस की अतिरिक्त टुकड़ियां भी उस क्षेत्र में भेजी गई।

राज्य सरकार ने तुरन्त ५०,००० रुपये की मंजूरी दे दी और आवश्यकता होने पर और सहायता भी मंजूर की जायेगी। उस क्षेत्र में और चौकियां तुरन्त स्थापित की जा रही हैं और लोगों को निश्चिन्त करने के लिये व्यापक गश्त का प्रबन्ध किया गया।

यह घटना बहुत दुखमय है और इससे नागाओं के रवैये में तबदीली का पता चलता है। इसका नागालैंड के राजनीतिक आंदोलन से कोई संबंध नहीं। उन्होंने आसाम क्षेत्र में आकर एक और जाति पर आक्रमण किया है। कुछ भी हो, यह अपराध की कार्यवाही है। उनके संबंध में उसी प्रकार की

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्यवाही करनी चाहिये जैसी कि डाकुओं तथा अन्य लोगों के साथ की जाती है। डाकुओं के विरुद्ध कार्यवाही करना, चाहे वे कहीं भी हों एक कठिन समस्या है, क्योंकि वह छुप सकता हैं। मैं केवल इतना कह सकता हूं नागा उपद्रवियों के विरुद्ध प्रभावोत्पादक कदम उठाये जाने चाहियें, जैसा कि संभव हो।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : क्या सदन नागा उपद्रवियों के प्रति नीति बदले जाने की आशा कर सकता है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मेरे विचार में सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं है जिस के अनुसार उपद्रवियों को गोली से न उड़ाया जा सके। हिदायतें यही हैं कि डकैती, आग लगाने और हत्या करने वालों को देखते ही गोली का निशाना बनाया जाये।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : मैं प्रधान मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या सीमांत क्षेत्रों में प्रति-रक्षा का उचित प्रबन्ध है ? साथ ही मैं यह पूछना चाहूंगा कि भारत सरकार को किस एजेंसी द्वारा जानकारी मिलती है। प्रधान मंत्री के वक्तव्य से यह पता चलता है कि भारत सरकार जानकारी के लिये आसाम सरकार पर निर्भर है। और आसाम सरकार ने समय पर जानकारी नहीं दी।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : यदि कोई घटना राज्य सरकार के क्षेत्र में हो, तो हमें जानकारी राज्य सरकार से मिलती है, यदि वहां हमारी सैनिक चौकी न हो। जैसाकि मैंने कहा है, घटनास्थल नागालैंड में नहीं था। यह सच है कि नागा उपद्रवी आसपास के गांवों पर हमला करते हैं। इस मामले में भी उन्होंने रुपया और अन्य वस्तुओं की मांगें की थीं। चूंकि ग्रामीणों ने नहीं दीं, इसलिये उन पर हमला किया गया।

†**अध्यक्ष महोदय** : जो कुछ संभव है, सरकार कर रही है और सदन को काफी जानकारी दी जा चुकी है। अतः स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति देना आवश्यक नहीं।

पाकिस्तान में कर्णफूली बांध और भारतीय राज्य क्षेत्र में उस का प्रभाव

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री हेम बरुआ से इस स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है कि पाकिस्तान के कर्णफुली बांध परियोजना को प्रारम्भ करने, जिससे निकटवर्ती भारतीय राज्य क्षेत्र के काफी भाग के जलमग्न हो जाने की संभावना है।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : इस मामले पर ढाई वर्ष पूर्व मंत्रालय स्तर पर हुये सम्मेलन में औप-चारिक रूप से विचार किया गया था। बाद में पाकिस्तान और भारत के प्रतिनिधियों के बीच चार सम्मेलन हुये थे। हमने पाकिस्तान से कहा था कि हमें उनके कर्णफुली बांध बनाने के बारे में कोई आपत्ति नहीं है, यद्यपि उसके परिणामस्वरूप हमारे कुछ राज्य क्षेत्र में, कुछ मीलों में बाढ़ आ जाने की संभावना है परन्तु हमें यह अवश्य मालूम होना चाहिये कि वास्तव में कौन से भाग में बाढ़ आयेगी अर्थात् उसका सर्वेक्षण आदि होना चाहिये। प्रतिकर का प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक है। उसके बारे में प्रायः समझौता हो गया था।

अब समाचारपत्रों से ज्ञात हुआ है कि पाकिस्तान के प्रेसीडेंट इस योजना का उद्घाटन करने वाले हैं। मालूम नहीं है कि क्या बाढ़ आनी अभी से शुरू हो जायेगी या नहीं, किन्तु बांध लगभग बन चुका है। हमें यद्यपि बांध के संबंध में कोई आपत्ति नहीं थी परन्तु हमने इस बात का जोरदार विरोध किया है कि उन्होंने बिना हमें बताये, बिना सर्वेक्षण और बिना प्रतिकर के यह कार्यवाही कर दी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इन सब बातों का निर्णय नहीं हुआ। हमें अपने लिये भी कुछ बिजली चाहिये थी। हमने उन्हें पिछले कुछ सप्ताहों में विरोध पत्र भेजे हैं किन्तु अभी कोई उत्तर नहीं मिला।

†**श्री हेम बरुआ** : चूंकि पाकिस्तान ने बांध के निर्माण और उसके उद्घाटन का फैसला एक पक्षीय रूप से कर लिया है, सरकार इस बात के लिये क्या कदम उठाने का विचार कर रही है कि हमारी भूमि को कोई नुकसान न पहुंचे ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (बसीरहाट): प्रधान मंत्री को यह आश्वासन देना चाहिये कि बिना योजना की अन्तर्ग्रस्तताओं की छानबीन किये पाकिस्तान के साथ कोई करार नहीं किया जायेगा ?

†**श्री प्रभात कार** (हुगली): जिन लोगों की भूमि जलमग्न हो जायेगी, उनके बारे में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हमें स्थान के बारे में शुरू से ही ज्ञान है। अधिकतर भूमि तो पाकिस्तान में ही है, किन्तु कुछ सीमांत के पार है। हमारे इंजीनियरों ने बताया है कि हमारा आठ से बारह वर्ग मील का क्षेत्र प्रभावित होगा। और उसमें कुछ सौ लोग रहते हैं। उनकी प्रतिकर देने और पुनर्वास के उचित प्रबन्ध किये जायेंगे और यह काम आसाम सरकार करेगी।

पाकिस्तान सरकार ने एक पक्षीय रूप से कार्यवाही करने का निश्चय किया है। हमारे हस्ताक्षर करने का कोई प्रश्न नहीं है योंकि अभी तक जो बातचीत हुई है वह केवल सर्वेक्षण कराने के संबंध में है। सर्वेक्षण अभी नहीं हुआ है और हम ठीक-ठीक नहीं जानते कि वे क्या करना चाहते हैं।

आसाम सरकार को इस भाग में रहने वाले लोगों को होने वाली हानि की देखभाल करने की चेतावनी दे दी गई है।

†**श्री बांगशी ठाकुर** (त्रिपुर--रक्षित--अनुसूचित आदिम जातियां) : क्या यह समझौता किया गया है कि इस परियोजना से त्रिपुरा को किराये पर बिजली दी जायेगी ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : समझौते की अवस्था अभी नहीं पहुंची। तथापि यह बात हुई थी कि वे हमें बिजली देंगे और प्रतिकर भी देंगे। किन्तु कोई निश्चित निर्णय नहीं हुआ था। हमने समस्त परियोजना अथवा उसके किसी भाग के बारे में आपत्ति करने का पूरा-पूरा अधिकार है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब इस प्रश्न पर अधिक चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जो कुछ सरकार कर सकती है, वह करेगी। इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी जा सकती।

इटली की फर्म के साथ तेल करार

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री प्र० गं० देव।

†**श्री प्र० गं० देव** (अंगुल): यह आश्चर्य की बात है कि इटालियन तेल फर्म और भारत के बीच हुये करार का ब्योरा स्टट्समेन में प्रकाशित हुआ है, किन्तु मंत्री महोदय न सदन को बतलाने से इन्कार कर दिया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : मैं आज प्रातः ९ बजे दिल्ली पहुंचा हूं और स्टेट्समेन में समाचार पढ़ा है। अपने कार्यालय से मालूम करने पर मुझे पता चला कि उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है। वे छानबीन कर रहे हैं कि क्या स्टेट्समेन के आसाम के संवाददाता और इटली की राजधानी में कोई पत्रकारिता संबंध है, जिसके कारण उन्हें यह जानकारी मिली।

मैं दोनों सरकारों के बीच हुये करार के आधार का संकेत अगस्त या सितम्बर में सदन को बतला चुका हूं। मैं नहीं जानता कि ब्योरे के संबंध में दोनों सरकारों के बीच किन्हीं बातों पर अन्तिम निर्णय किया जा चुका है। मेरा निवेदन है कि मुझे कल एक वक्तव्य देने की अनुमति दी जाये।

†श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : मैं यह बताना चाहती हूं कि स्टेट्समेन के संवाददाता ने वही बातें प्रकाशित की हैं, जो मंत्री महोदय ने सदन को नहीं बतलाईं।

†श्री के० दे० मालवीय : मुझे याद नहीं है। मैंने कोई विशेष बात सदन से छपाने की कोशिश नहीं की थी। समाचारपत्र को यह जानकारी कैसे मिली, वह मुझे मालूम नहीं। हमारे कुछ पदाधिकारी इटली गये हुये हैं। क्या वे अभी वापस आये हैं या नहीं, मैं नहीं जानता। इसीलिये मैंने कल वक्तव्य देने के लिये प्रार्थना की है।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री कल वक्तव्य दे सकते हैं। एक विशेषाधिकार प्रस्ताव भी है। इस मामले की पूरी छानबीन होनी चाहिये। यह मामला कल तक उठा रखा जायेगा।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

इंडियन आयल कम्पनी लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) समवाय अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कम्पनी लिमिटेड, बम्बई की वर्ष १९६०–६१ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। [पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०—३३९९/६२]

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : मैं निम्नलिखित पत्र पुनः सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उपधारा (२) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०६६।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दिनांक ९ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०९१ ।

(ग) दिनांक ७ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२३३ ।

(२) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ४ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२४४ ।

(ख) दिनांक १४ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२४६ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या क्रमशः एल० टी० ३३६६/६१ और एल० टी० ३३६७/६२] ।

(३) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १६ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११२५ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (यात्रा भत्ते) संशोधन नियम, १९६१ ।

(ख) दिनांक २१ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२७४ में प्रकाशित भारतीय असैनिक सेवा भविष्य निधि संशोधन नियम, १९६१ ।

(४) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत सेक्रेटरी आफ स्टेट की सेवायें (सामान्य भविष्य निधि) नियम, १९४३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २१ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२७५ ।

(ख) दिनांक २१ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२७६ ।

[पुस्तकालय में रखी गईं । देखिये संख्या क्रमशः एल० टी० ३३६८/६१, एल० टी० ३६६९/६१ और एल० टी० ३३७०/६१] ।

प्रतिलिप्यधिकार के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**वैज्ञानिक अनुसंधान तथा सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : मैं प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक २३, दिसम्बर, १९६१ की एस० ओ० संख्या ३०३९-क ।

(दो) दिनांक १ जनवरी, १९६२ की एस० ओ० संख्या १ ।

(तीन) दिनांक १२ जनवरी, १९६२ की एस० ओ० संख्या १४४ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(चार) दिनांक १ मार्च, १९६२ की एस० ओ० संख्या ६७१ ।

(पांच) दिनांक ११ मार्च, १९६२ की एस० ओ० संख्या ७२३ ।

(छै) दिनांक १२ मार्च, १९६२ की एस० ओ० संख्या ७२४ । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३६००/६२]**

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें और समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : मैं, श्री ब० रा० भगत की ओर से, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं :—

(१) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक १० मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २८६ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, १९६२ की एक प्रति ;

(२) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १९७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक एक्ट, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादनशुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं को एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १० मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २८७ ।

(ख) दिनांक १० मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २८८ ।

(ग) दिनांक १० मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २८९ । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या क्रमशः एल० टी० ३६०१/६२ और एल० टी० ३६०२/६२]** ।

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत आदेश

†**खाद्य उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)**: मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक १७ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३७४ में प्रकाशित रोलर मिल्स गेहूं की चीजें (मूल्य नियंत्रण) आदेश, १९६२ ।

(दो) दिनांक १७ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३७५ में प्रकाशित दिल्ली रोलर फ्लोर मिल्स गेहूं की चीजें (मूल्य नियंत्रण) आदेश, १९६२ । **[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या क्रमशः एल० टी० ३६०३/६२ और एल० टी० ३६०४/६२]** ।

---

†मूल अंग्रेजी में

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

†(श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा) : मैं विदेशी मुद्रा विनियमन, अधिनियम, १९४७ की धारा २७ की उपधारा (३) के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा विनियमन नियम, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :—

(एक) दिनांक १३ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ५० ।

(दो) दिनांक ३ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २६४ ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० ३६०५/६२] ।

प्राक्कलन समिति

एक सौ साठवां, एक सौ इकसठवां और एक सौ बासठवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थित करता हूं :—

(१) सूचना और प्रसारण मंत्रालय (भाग ३)—भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय, अनुसन्धान और निर्देश विभाग तथा फोटो विभाग के बारे में एक सौ साठवां प्रतिवेदन ;

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड और भारतीय हस्तशिल्प विकास नियम लिमिटेड के बारे में एक-सौ-इकसठवां प्रतिवेदन ; और

(३) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—वस्त्र आयुक्त का कार्यक्रम (भाग १) के बारे में एक-सौ-बासठवां प्रतिवेदन ।

वित्त विधेयक—जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री मोरारजी देसाई द्वारा २४ मार्च, १९६२ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी ; अर्थात् :—

"कि १९६२–६३ के वित्तीय वर्ष के लिये आय-कर और अधि-कर की वर्तमान दरों को जारी रखने और प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करारों के अन्तर्गत कुछ वायदों को जारी रखने तथा उक्त वर्ष के लिये नमक पर शुल्क को बन्द कर देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वासुदेवन् नायर (तिरुवल्ला) : सभी मानते हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, और हमारे सभी प्रयास निष्फल रहे हैं। तृतीय योजना काल की समाप्ति पर भी देश में बेरोजगारी बनी रहेगी।

अभी केरल के वित्त मंत्री ने अपने आय-व्ययक भाषण के दौरान राज्य में बेरोजगारी के बारे में कुछ आंकड़े बताये थे। १९५९ और १९६० में राज्य के काम दिलाऊ दफ्तरों में प्रति वर्ष एक लाख से ऊपर बेरोजगार व्यक्तियों ने अपने नाम पंजीयित कराये थे, लेकिन उनमें से क्रमशः केवल ९,४८७ और ११,००० व्यक्तियों को काम मिल सका था। १९६१ में पंजीयित व्यक्तियों की संख्या और बढ़ेगी, लेकिन उनमें से अधिक से अधिक १४,००० व्यक्तियों को ही काम मिल सकेगा। लगता है कि इस तरह तो जीवन भर बेरोजगारी की समस्या हल नहीं कर पायेंगे।

हम देश में नये उद्योग तो खड़े कर रहे हैं, पर पुराने, जमे-जमाये उद्योग उखड़ते जा रहे हैं। हमारे राज्य में——केरल में—नारियल जटा उद्योग ही सब से पुराना है। उससे पहले ५० हजार व्यक्तियों की रोजी चलती थी। लेकिन वह उद्योग पिछले १५-२० वर्ष से संकट में है और अब केवल १४,००० को ही वह खपा पाता है। उससे हमें प्रति वर्ष लगभग १० करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा मिल जाती थी। पर अब वही उद्योग उखड़ता जा रहा है। उस उद्योग को संभालने के लिये कोई खास मदद नहीं दी गई।

इस उद्योग की मुख्य समस्या विदेशी बाजारों की है। मैं मानता हूं कि वह एक बड़ी पेचीदा समस्या है। लेकिन क्या उस उद्योग की सहायता के लिये स्थापित किये गये अभिकरणों ने अपना कार्य उचित ढंग से किया है ?

अभी मध्य प्रदेश में भिलाई के निकट राजगढ़ में लौह अयस्क की खानों के यंत्रीकरण के फलस्वरूप लगभग हजारों मजदूर बेरोजगार हो गये हैं। खानों का यंत्रीकरण करना तो ठीक है, लेकिन आश्चर्य तो इस बात का है कि सम्बन्धित अधिकारियों को ५,००० मजदूरों की बेरोजगार होने की भी कोई चिन्ता नहीं।

केरल के काजू उद्योग के सामने भी यही समस्या है। और देश के हथकरघा उद्योगों के सामने भी अभी कुछ दिन पहले यही समस्या आई थी, पर भारत सरकार और राज्य सरकारों ने उसे बचा लिया है। हमें अपने देश के परम्परागत उद्योगों की ओर भी इतना ही ध्यान देना चाहिये।

नारियल जटा बोर्ड की स्थापना १९५४ में इसीलिये की गई थी कि वह नारियल जटा उद्योग की समस्याओं को हल करे। इस उद्योग में काम करने वाले मजदूरों ने राज्य सरकार और संघ सरकार के सामने उद्योग के बारे में एक बड़ी व्यापक योजना रखी है। याचिका समिति उस पर विचार कर भी रही है, लेकिन वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय ने पिछले चार महीनों में भी समिति को उद्योग से संबंधित आंकड़े तथा सामग्री नहीं दी है। इसीलिये समिति कोई निर्णय नहीं कर पाई है और अब दूसरी लोक-सभा के साथ समिति का कार्य-काल भी समाप्त हो जायेगा। अब नयी सभा द्वारा गठित याचिका समिति उस पर विचार करेगी।

दूसरी नारियल जटा बोर्ड ने भी उद्योग की सहायता के लिये संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं किया है। प्राक्कलन समिति इसी निष्कर्ष पर पहुंची है कि नारियल जटा बोर्ड हर

†मलयालम से अंग्रेजी में

[श्री वासुदेवन् नायर]

तरह से असफल रहा है । बोर्ड बनने के बाद तो निर्यात व्यापार और भी गिर गया है । प्राक्कलन समिति की राय है कि यदि बोर्ड ठीक समय पर चेत जाता तो परिस्थिति को बिगड़ने से बचा सकता था । समिति की राय है कि बोर्ड का काम करने का तरीका बड़ा विलम्ब-कारी रहा है । बोर्ड की स्थापना १९५४ में हुई थी, पर वह १९५८ तक 'नारियल जटा उद्योग (विनियमन तथा अनुज्ञप्तिकरण) नियम' को अन्तिम रूप नहीं दे सका, जबकि यह एक वर्ष में हो जाना चाहिये था ।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि संघ सरकार और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय इस उद्योग के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं ।

इसीलिये अब इस उद्योग के एक क्षेत्र के मजदूरों ने आन्दोलन छेड़ने का निश्चय कर लिया है । २ अप्रैल से अल्लेप्पी के मजदूर सत्याग्रह आरम्भ कर रहे हैं ।

बोर्ड और केरल सरकार ने संघ सरकार की अनुमति से, अब सुझाव रखा है कि इस उद्योग का तुरंत यंत्रीकरण किया जाये । लेकिन उसके फलस्वरूप बेरोजगार होने वाले १०,००० मजदूरों का क्या होगा ? मजदूर इसीलिये सत्याग्रह की योजना बना रहे हैं । उनकी मांग है कि सरकार को उनके लिये दूसरी रोजी जुटाने का प्रबन्ध करना चाहिये ।

और नये-नये उद्योग खड़े करने के अलावा इसके हल का कोई और मार्ग भी नहीं है।

अल्लेप्पी में हजारों मजदूर बेरोजगार होते जा रहे हैं । वित्त मंत्री को इसकी ओर कुछ ध्यान देना चाहिये ।

यह समस्या किसी क्षेत्र विशेष की नहीं, किसी राज्य विशेष की नहीं है । यह तो हमारे देश के सभी परम्परागत, जमे-जमाये उद्योगों की है । इसकी ओर संघ सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिये ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : मैं वित्त मंत्री का ध्यान सब से पहले अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य-निर्धारण की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । उनके मूल्यों में स्थायित्व लाये बिना जनता के जीवन का असंतोष और दुःख दूर नहीं किया जा सकता । इससे मध्य वर्ग और उच्च मध्य वर्ग के लोगों की बड़ी विडम्बना हो रही है । उनको आय तो स्थिर रहती है, पर अत्यावश्यक वस्तुओं के दाम आसमान पर चढ़ते जा रहे हैं ।

[श्री हेडा पीठासीन हुए]

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने के लिये प्रत्यक्ष तरीके अपनाये जाने चाहियें । यदि नहीं अपनाये जायेंगे तो देश में आर्थिक संकट आने का खतरा है ।

योजनाओं ने देहातों की जनता की ओर उचित ध्यान नहीं दिया है । योजनायें ऊपर से थोपी नहीं जानी चाहियें ।

योजनाओं की प्रगति के बारे में, हमें समय-समय पर जिला कलैक्टरों से रिपोर्टें मंगानी चाहियें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में साढ़े तीन सौ जिले हैं । उनकी रिपोर्टों से हमें यह तो पता चलता रहेगा कि सड़कों के निर्माण और सिंचाई इत्यादि के क्षेत्र में योजना के अन्तर्गत कितनी प्रगति हो रही है । गांवों के लिये बड़ी-बड़ी परियोजनाओं की अपेक्षा, छोटी-छोटी सिंचाई सुविधायें जुटाने की योजनायें अधिक महत्वपूर्ण हैं ।

हमारे देश में मद्रास ही एक ऐसा राज्य है, जहां गांवों का सर्वाधिक विद्युतीकरण किया गया है । पूरे देश में अन्य राज्यों में कुल मिला कर १२,००० गांवों तक बिजली पहुंची है, लेकिन मद्रास राज्य में अकेले ही इतने गांवों में बिजली पहुंच चुकी है । देश के अन्य राज्यों में भी यही किया जाना चाहिये । गांवों में लघु उद्योग आरम्भ किये जाने चाहियें । तभी शिक्षित युवकों की बेरोजगारी दूर की जा सकेगी ।

हमें प्रति वर्ष प्रत्येक जिले के लिये लगभग एक करोड़ रुपये की राशि इसके लिये आवंटित करनी चाहिये । यह राशि जिला समिति की देखरेख में खर्च की जानी चाहिये ।

योजनाकारों ने अभी तक जिलों और राज्यों के स्तर पर अलग से आवंटन करने की बात नहीं सोची है । तभी गांवों की जनता के लिये कम से कम आरम्भिक सुविधायें तो जुटाई जा सकेंगी ।

मैं जानता हूं कि इसमें बड़ी-बड़ी कठिनाइयां हैं । अच्छी सड़कें तक नहीं हैं । कम से कम सड़कें तो होनी चाहियें, जिससे कि गांवों के लोग अपने उत्पाद बाजारों में ले जा सकें ।

दूसरी बड़ी आवश्यकता पीने के पानी के प्रबन्ध की है । गांवों में लोगों को मील-मील भर से पीने का पानी लाना पड़ता है । कुंओं का पानी भी पाइपों के जरिये दूर दूर तक पहुंचाया जा सकता है ।

इसी प्रकार छोटी सिंचाई योजनायें भी अत्यावश्यक हैं ।

ये दोनों सुविधायें पाने पर ही ग्रामीण जनता समझेगी कि उसे स्वतंत्रता का कुछ फल मिला है ।

सरकार अगले तीन वर्षों में लगभग ७५ अरब रुपये व्यय करने जा रही है । इतनी बड़ी राशि व्यय करने के बाद भी यदि गांवों की जनता को जीवन की आरम्भिक सुविधायें भी न जुटाई जा सकें, तो स्पष्ट है कि योजना में कोई बड़ी त्रुटि है । इसीलिये हमारे योजनाकारों को सब से अधिक ध्यान गांवों के विकास की ओर ही देना चाहिये ।

†**श्री पुन्नूस** (अम्बलपुजा) : सब से पहले तो बांध सरकार और योजना आयोग को यह निश्चित करना चाहिये कि देश के सर्वाधिक पिछड़े हुए प्रदेश कौन से हैं । सरकार और योजना आयोग आमतौर पर पिछड़े हुए प्रदेशों की बात करता है । इसी का नतीजा है कि कुछ प्रदेशों की हमेशा शिकायत बनी रहती है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार अगले तीन वर्षों में लगभग ७५ अरब रुपये व्यय करने जा रही है । इतनी बड़ी राशि व्यय करने के बाद भी यदि गांव की जनता को जीवन की आरम्भिक सुविधायें भी न जुटाई जा सकें, तो स्पष्ट है कि योजना में कोई बड़ी त्रुटि है। इसलिये हमारे योजनाकारों को सबसे अधिक ध्यान गांवों के विकास की ओर ही देना चाहिये ।

†**श्री पुन्नूस** (अम्बलपुज़ा) : सब से पहले तो संघ सरकार और योजना आयोग को यह निश्चित करना चाहिये कि देश के सर्वाधिक पिछड़े हुए प्रदेश कौन से हैं । सरकार और योजना आयोग आम तौर पर पिछड़े हुए प्रदेशों की बात करती है । इसी का नतीजा है कि कुछ प्रदेशों की हमेशा शिकायत बनी रहती है कि उनकी उपेक्षा की जा रही है ।

प्रधान मंत्री ने अभी कल ही द्रविड़ कड़गम दल की शक्ति बढ़ने का उल्लेख करते हुए कहा था कि वह देश के लिये चिन्ता का विषय है । उसकी शक्ति बढ़ने का मुख्य कारण दक्षिण भारत की जनता की यह भावना है कि उस की उपेक्षा की जा रही है।

श्री वासुदेवन् नायर ने नारियल जटा उद्योग की दयनीय दशा पर यथेष्ट प्रकाश डाला है। नारियल जटा बोर्ड का पुनर्गठन किया जाना चाहिये ।

चुनावों से स्पष्ट हो गया है कि देश में बड़ा असंतोष है। प्रधान मंत्री ने उसे महसूस किया होगा। इतनी सारी योजनाओं का केवल इतना ही फल निकला है कि शहरों में उच्च मध्यवर्ग के लोगों में थोड़ी खुशहाली आई है, अधिक नहीं। परन्तु निम्नवर्ग के लोगों की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। पर उच्च मध्यवर्ग के लोग चीखते-चिल्लाते ज्यादा हैं और उन्हीं की आवाज सुनी जाती है।

चुनावों में स्थानीय मसलों को ही लोगों ने अधिक महत्व दिया है—हमारे प्रधान मंत्री ने यही कहा है। लेकिन केरल की जनता ने अखिल भारतीय महत्व के मसलों को ही महत्व दिया है। चुनावों से यह स्पष्ट है। केरल की जनता ने बहुमत से कांग्रेस दल के विरुद्ध मत दिया है। उसने अपना विरोध-भाव प्रकट किया है सरकार द्वारा की जाने वाली उपेक्षा के प्रति ।

हमें ऐसे उपाय करने चाहियें कि योजनाओं से आम जनता को लाभ पहुंच सके।

मंत्री महोदय को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि किन-किन राज्यों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जिन राज्यों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है उन्हें पृथक् कर देना चाहिये और पांच या दस वर्षों की अवधि में उन्हें यथासंभव सहायता दी जानी चाहिये । केरल में तीसरी योजना के दौरान एक भी रेल की लाइन नहीं बिछाई गयी है। केरल एक पिछड़ा राज्य है। जिसे प्रत्येक सहायता की आवश्यकता है। राष्ट्रीय एकता के

†मूल अंग्रेजी में

हित में एक ओर तो विभिन्न प्रदेशों और दूसरी ओर जन संख्या के विभिन्न वर्गों के बीच संतुलित विकास होना चाहिये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री नये सदन में अपना विधेयक प्रस्तुत करते समय इस सत्र के सदस्यों की सलाहों पर ध्यान देवें। एक माननीय सदस्य ने अनिवार्य खाद्यान्नों के भाव निश्चित करने का सुझाव दिया है मैं उसका समर्थन नहीं करता क्योंकि मेरे विचार से वर्तमान परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता नहीं है और इससे भ्रष्टाचार फैलेगा।

अब मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न को लेता हूं वह है केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को दिया जाने वाला ऋण तथा उस पर ली जाने वाली व्याज की दर। इस प्रश्न पर राज्य सरकारें कई बार केन्द्र का ध्यान आकर्षित कर चुकी हैं। मैं चाहता हूं कि केन्द्र द्वारा अब तक दी गयी कुल राशि बतलायी जाये और यह बताया जाये कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों से इस पर कितना व्याज ले रही है। इस संबंध में कई राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने जो कि वित्त मंत्री भी हैं अपने विचार प्रगट किये हैं अतः इस विषय पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

अब मैं आपका ध्यान देश के वाणिज्यिक समुदाय की ओर दिलाना चाहता हूं सरकार इनके प्रति सदैव उदार रही है और हर प्रकार से सरकार ने उन्हें वित्तीय या अन्य प्रकार की सहायता दी है, तथापि वे यह माँग कर रहे हैं कि उन्हें व्यवसाय में निर्बन्ध स्वतंत्रता दी जाये क्योंकि किसी प्रकार का अंकुश लगाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर आक्षेप करना और आर्थिक-शास्त्र के बुनियादी तत्वों पर कुठाराघात करना है। इसका तात्पर्य यह है कि वे चाहते हैं कि उनकी बड़ी–बड़ी फर्मों को खुली छट दी जाये जिससे कि वे और अधिक बड़ी हो सकें और इस प्रकार देश में एक औद्योगिक साम्राज्य का विकास हो। अतः यह सरकार और देश के लिये एक चुनौती है जिसका सामना किया जाना चाहिये। खतरा हमें देश में सामन्तवाद का नहीं है क्योंकि वस्तुतः सामन्तवाद समाप्त हो चुका है और ऐसी कोई संभावना नहीं है कि भविष्य में सामन्तवाद का भारत में विकास हो।

उन्होंने सरकार को चुनौती दी है कि वे अपनी सीमा का अतिक्रमण नहीं करें। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार को केवल उसी क्षेत्र में अतिक्रमण करना चाहिये जहां कि मुनाफे की प्रेरणा भी काम नहीं करती है। मैं माननीय मंत्री से यह आग्रह करता हूं कि वे इस बात का स्पष्टीकरण करवायें कि ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां वे सरकार द्वारा हस्तक्षेप करना वांछनीय समझते हैं।

तथापि उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जिनसे मैं पूरी तरह सहमत हूं। उन्होंने कहा है कि प्रशासकीय विलम्ब एवं अदक्षता के कारण देश में औद्योगिक एवं आर्थिक विकास की गति मंद रही है। इस समस्या के समाधान के लिये गृह-कार्य मंत्रालय में एक राज्य मंत्री नियुक्त किया जाना चाहिये।

अब मैं परिवहन की समस्या को लेता हूं। मेरा सुझाव है कि सरकार को चाहिये कि वह अगले बजट सत्र के दौरान इस्पात, खान और तेल मंत्री, उद्योग मंत्री और रेलवे मंत्री का एक सम्मेलन करे जिससे परिवहन में गतिरोध की समस्या पर विचार हो सके। वस्तुतः सारी सरकार इसकी दोषी ठहरती है कि परिवहन के गतिरोध के कारण देश के उत्पादन पर आघात होता है और देश की हानि होती है। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्री इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हरिश्चन्द्र माथुर]

यह कहना कि यह एक विकासशील अर्थव्यवस्था का परिणाम है बिलकुल गलत है। वस्तुतः यह हमारी अक्षमता, असावधानी और शिथिलता का परिणाम है। अतः प्रशासन को इस ओर तत्काल ध्यान देना चाहिये।

†**श्री ले० अचौ सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : हमारे समक्ष जो वित्त विधेयक प्रस्तुत किया गया है उसमें रारोकपण के संबंध में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। हमारे समक्ष इस संधंध में विस्तृत विवरण नहीं होने पर मैं इस संबंध में अधिक विस्तार से नहीं कह सकता हूं।

मेरा सुझाव है कि कर व्यवस्था में आगामी बजट में कुछ परिवर्तन किया जाना वांछनीय है जिससे कि जनता को कुछ .राहत पहुंचे।

मनीपुर में विकास की गति संतोषजनक नहीं है। प्रशासन पंचवर्षीय योजनाओं में उपबंधित निधियों को काम में लाने में असफल रहा है और लाखो रुपये केन्द्रीय सरकार को अध्यर्पित किये जा चुके हैं। सरकार को ऐसा उपाय करना चाहिये कि योजना के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी न रहे।

मनीपुर में सड़कों और पुलों के निर्माण की प्रगति को बढ़ाने के लिये कदम उठाये जाने चाहियें।

इम्फाल की जल संभरण योजना को यथाशीघ्र प्रारम्भ किया जाना चाहिये ताकि नगर की जनता को पीने का पानी उपलब्ध हो सके।

मनीपुर में जलविद्युत् के प्रजनन के लिये बहुत गुंजायश है। बिना बिजली और परिवहन तथा संचार के उचित साधनों के उस क्षेत्र में उद्योग और कृषि का विकास संभव नहीं है। इसलिये इस दिशा में उद्योग और कृषि का विकास संभव नहीं है इसलिये इस दिशा में उचित कदम उठाये जाने चाहियें। उद्योग और कृषि के विभागों का स्तर ऊंचा उठाया जाना चाहिये।

आशा है कि प्रादेशिक परिषद को विधान सभा और प्रस्तावित कार्यकारिणी परिषद को मंत्रिपरिषद जिसे पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी सोंपी जायेगी का स्तर प्रदान किया जायेगा।

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : सभा के समक्ष जो वित्त विधेयक रखा गया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किये गये हैं। पूर्ववत चर्चा में विषयांतर कई बातों का उल्लेख किया गया है तथापि मेरे लिये यह संभव नहीं है कि मैं इस अल्प समय में उनकी आलोचनाओं का उत्तर दे सकूं।

सरकार नारियल जटा उद्योग की कठिनाई से अवगत है। तथा सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है कि उसमें यथा संभव अधिक से अधिक व्यक्ति काम करते रहें। माननीय सदस्यों ने यह शिकायत की है कि नारियल जटा उद्योग का यंत्रीकरण किया जा रहा है और इसको विदेशों में बाजार उपलब्ध नहीं है। मेरे विचार से इस उद्योग की समृद्धि के लिये इसका यंत्रीकरण किया जाना आवश्यक है। क्योंकि यदि यंत्रीकरण नहीं किया जायेगा तो इससे सारे उद्योग को हानि होगी इसका प्रभाव भी श्रमिकों पर पड़ेगा अतः सरकार इन दोनों बातों पर विचार कर जो आवश्यक समझेगी करेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री माथुर ने उस उद्योग की कठिनाई का जिक्र किया है जिससे कि वे संबंधित हैं तथा उन्होंने सरकार की अकुशलता पर भी ध्यान आकृष्ट किया है। हम अकुशलता को दूर करने का सतत प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने इसके संबंध में जो कुछ भी कहा है उस पर संबंधित मंत्री महोदय आवश्यक कार्यवाही करेंगे। हम प्रशासन में यथासंभव कुशलता लाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। यह अधिक अच्छा होगा कि इस संबंध में कुछ धैर्य से काम किया जाय और सरकार तथा जनता के बीच कार्य-व्यवहार में अधिक शीघ्रता लाने के लिये कुछ ठोस सुझाव दिये जायें।

उन्होंने वाणिज्य उद्योग मंडल संघ के सभापति के भाषण का उल्लेख किया है। उन्हें यह नहीं समझना चाहिये कि उस संस्था का अध्यक्ष हमारी नीतियां निश्चित करता है। हमारे देश की नीतियां सरकार निश्चित करती है और प्रधान मंत्री इस सम्बन्ध में स्पष्ट कह चुके हैं। हमें दूसरों के सुझावों को सुन कर धैर्य नहीं खोना चाहिये। सरकार किसी एक पक्ष के सुझावों को सुन कर विचलित होने वाली नहीं है। हम उनकी आलोचनाओं से लाभ उठाते हैं और केवल वहीं उनमें फेर बदल करते हैं जहां वे हमारे हित में होती हैं। इससे हमारे समाजवादी समाज की स्थापना के उद्देश्य पर कोई आघात नहीं होता है। अतः किसी की कड़ी आलोचना करने से कोई लाभ नहीं है।

मैं आशा करता हूं कि सभा वित्त विधेयक का समर्थन करेगी।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि १९६२-६३ के वित्तीय वर्ष के लिये आय-कर और अधि-कर की वर्तमान दरों को जारी रखने और प्रशुल्क तथा व्यापार सम्बन्धी सामान्य करार के अन्तर्गत कुछ वायदों को जारी रखने तथा उक्त वर्ष के लिये नमक पर शुल्क को बन्द कर देने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हम खंडवार विचार आरम्भ करेंगे। इसमें कोई संशोधन नहीं है। अतः सभी खंडों पर एक साथ मतदान होगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड १ से ४, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड १ से ४, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

टेलीग्राफ की तारें (अवैधरूप से रखना) संशोधन विधेयक

†**संचार तथा परिवहन मंत्री (डा० प० सुब्बरायन)** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि टेलीग्राफ की तारें (अवैध रूप से रखना) अधिनियम १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

यह कहने की बात नहीं है कि इस विधेयक की बहुत आवश्यकता है। तांबे के तारों की चोरी एक आम बात हो गई है । इसे रोकने के लिये हम काफी प्रयत्न कर रहे हैं। पहले विधेयक में चोरी के दंड के लिये समुचित व्यवस्था नहीं है । अब इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि पहले अपराध के लिये तो दंडाधिकारी अपनी इच्छानुसार दंड दे सकता है लेकिन दूसरे अपराध पर दोनों ही प्रकार के दंडों अर्थात् कारावास और आर्थिक दंड में वृद्धि कर दी गई है। अतः सदन इस विधेयक से सहमत होगा । ऐसा मेरा विश्वास है ।

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि टेलीग्राफ की तारें (अवैध रूप से रखना) अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**सभापति महोदय** : अब हम इस पर खंडवार चर्चा करेंगे। खंड २ और ३ के बारे में कोई संशोधन नहीं है। मैं उन दोनों को एक साथ रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि खंड २ और ३ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २ और ३ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १--(छोटा नाम)

संशोधन किया गया

पृष्ठ १, पंक्ति ४

"१९६१" के स्थान पर "१९६२" रख दिया जाये।

[डा० पी० सुब्बरायन]

†**सभापति महोदय** : अब मैं खंड १ सभा में मतदान के लिये रखूंगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रश्न यह है :

"कि खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ १ पंक्ति १ "For Twelfth year" ("बारहवां वर्ष") के स्थान पर, "Thirteenth year" ("तेरहवां वर्ष") रख दिया जाये ।

[डा० पी० सुब्बरायन]

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**डा० पी० सुब्बरायन** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

रेलवे आय-व्ययक—सामान्य चर्चा

†**श्री नरसिंहन** (कृष्णागिरि) : हमारे सामने योजना को क्रियान्वित करने का सवाल है और जब तक विद्युत् कोयला और इसी प्रकार की दूसरी चीजों का समर्थन इन विकास कार्यों के लिये नहीं मिलेगा तथा इन में आपस में समन्वय नहीं होगा तब तक इन योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सम्भव नहीं है ।

जब तक परिवहन व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तब तक औद्योगिक विकास भी संभव नहीं है । साथ ही हमें इस बारे में भी सोचना है कि क्या अधिक रेलों को विद्युत् से चलाया जाये या नहीं । जहां पर इकहरी रेलवे लाइन है वहां उसे आसानी से विद्युत् से चलने वाली रेलों में बदला जा सकता है और जहां पहले से ही इकहरी विद्युत् लाइन है वहां उसे

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नरसिंहन]

दुहरा किया जा सकता है। जब तक यह काम नहीं होगा तब तक औद्योगिकी योजना में उन्नति संभव नहीं है। मुख्य परिवहन रेलवे है अतः इसके विकास के लिये कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिये। आजकल भाप से चलने वाले रेलों का जमाना पुराना पड़ता जा रहा है अतः नई रेलवे लाइनों का निर्माण इस ढंग से हो कि वहां विद्युत् से रेलें चलने लगें। अतः अधिक से अधिक संख्या में रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण करना चाहिये। हमारी आर्थिक परियोजना भविष्य का ध्यान रख कर तैयार की जानी चाहिये। बिजली द्वारा चालित रेलों की रेलवे लाइन भाप के द्वारा चलने वाली रेलों की रेलवे लाइनों की अपेक्षा अधिक सस्ती एवं व्यापक होंगी। अतः रेलवे प्रशासन को इस बारे में ध्यान देना चाहिये।

सुना है कि रेलों में किराये बढ़ने वाले हैं। इससे रेलों को हानि ही होगी क्योंकि जब किराये बढ़ जायेंगे तो लोग रेलों के बजाय बस आदि से जाने लगेंगे। इससे सरकार को आय कम ही होगी। क्योंकि लोग सफर भी कम करेंगे।

यह प्रसन्नता की बात है कि बंगलौर सलेम रेलवे लाइन अब पूरी होने जा रही है। यह संकेत दिया गया है कि १९६५ तक बनकर यह तैयार हो जायेगी। मैं आशा करता हूं कि सन् १९६५ तक यह ज़रूर ही बन जायेगी। ममदौरी—विरुदुन नगर रेलवे लाइन निर्धारित समय में पूरी हो जायगी। बंगलोर सेलम रेलवे लाइन के बन जाने से देश की प्रगति भी काफ़ी होगी। इस लाइन के बन जाने से उत्तर से दक्षिण तक सीधे सामान आने जाने लगेगा, बंगलौर से गोआ, हैदराबाद, कुडालौर जैसे स्थान भी मिल जायेंगे। साथ ही देश के कुछ राज्यों से सीधा सम्पर्क स्थापित हो जायेगा इस प्रकार देश में भावात्मक एकता भी बढ़ेगी। प्रतिरक्षा की दृष्टि से भी यह रेलवे लाइन महत्वपूर्ण है। अतः यह लाइन, रेलवे, — राज्यों तथा देश के लिये एक अच्छी खासी आस्ति होगी।

मेरा एक निवेदन है कि इस रेलवे लाइन को बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि बड़े बड़े नगरों के निकट होकर यह लाइन जाये ताकि वे शहर इस लाइन से जुड़ जायें। अन्यथा कुछ निराशा होगी। इस लाइन पर स्टेशन बनाते समय स्थानीय पदाधिकारियों एवं संस्थाओं से परामर्ष लेना भी अच्छा रहेगा।

†**श्री राधे लाल व्यास** (उज्जैन) : रेलवे आयव्ययक का मैं स्वागत करता हूं, तथा नये सुधारों के लिये जो कि किये गये हैं, बधाई देता हूं। साथ ही मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं कि मध्य प्रदेश में परिवहन साधनों की बहुत बड़ी कमी है। इस प्रदेश का बहुत सा भाग ऐसा है जहां रेलवे लाइन बिल्कुल भी नहीं है। बस्तर के आस-पास का इलाका ऐसा है जहां के लोगों ने अभी तक रेलवे लाइन देखी तक भी नहीं है। गुना और बस्तर के बीच एक नई रेलवे लाइन बनाने की घोषणा दूसरी योजना में की गई थी लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कुछ भी नहीं हुआ है। अतः इस रेलवे लाइन का काम शीघ्र ही शुरू किया जाना चाहिये।

मध्य प्रदेश में छोटी लाइनों की संख्या काफी है। अब वह समय आ गया है जब कि रेलवे प्रशासन को उन्हें बदल देना चाहिये क्योंकि इन से रेलों की काफी हानि हो रही है। वहां पर जो छोटी लाइनें हैं वे भी सामान्य छोटी लाइनों की अपेक्षा छोटी है। ग्वालियर

†मूल अंग्रेजी में

से भिड जाने वाली रेलवे लाइन को बदल कर बड़ी लाइन में कर दिया जाये तथा उसे बढ़ाकर इटावा तक कर दिया जाये। इस से काफ़ी बचत भी होगी और सामान के आने जाने में भी सुविधा होगी।

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती पीठासीन हुई]

ग्वालियर से शिवपुरी जाने वाली लाइन भी बड़ी लाइन में बदल दी जाये तथा उसे बढ़ाकर कोटा तक कर दिया जाये। चूंकि यह लाइन नये इलाकों में होकर जायेगी अतः पश्चिम रेलवे पर पड़ने वाले भार में भी कमी हो जायेगी। इसी प्रकार उज्जैन से आगरा तक जाने वाली लाइन को भी बढ़ाकर झालावाड़ सड़क से श्यामगढ़ तक कर दिया जाये। इन्दौर से धार तक जाने वाली रेलवे लाइन को भी शीघ्र ही बनाया जाये इस से अनुसूचित जातियों को अपने सामान भेजने में बड़ी आसानी रहेगी।

एक्सप्रेस तथा मेल गाडियों के देर से आने जाने के मामले में कुछ सुधार हुआ है लेकिन ब्रांच लाइनों पर यात्री गाडियों की दशा अभी तक ज्यों की त्यों है। अतः रेलवे प्रशासन को इस बारे में ध्यान देना चाहिये।

जहां तक उज्जैन की बात है वहां कुछ परिवर्तन करने हैं तथा वहां की स्थिति में सुधार भी करना है। तीसरी श्रेणी के प्रतिक्षालय का विकास करने की आवश्यकता है। आशा है कि इस संबंध में शीघ्र ही कार्यवाही की जायेगी। भूपाल से उज्जैन जाने वाली रेल-गाड़ियों की गति बढ़ानी चाहिये क्योंकि इस में ५ घन्टे लगते हैं जब कि बस द्वारा वे केवल ५ ही घंटे लगते हैं अतः लोग बस से यात्रा करना अधिक पसंद करते हैं। इस क्षेत्र में पटरी बिछाने के काम में भी शीघ्रता की जानी चाहिये।

उपसभापक्ष महोदय पीठासीन हुए]

रेलवे कर्मचारियों में काफ़ी असंतोष है। आजकल रेलों पर बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। इन दुर्घटनाओं को कम करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये।

एक आम शिकायत यह है कि रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्म बहुत छोटे होते हैं। अतः उन्हें बढ़ाना चाहिये। ताकि दुर्घटनाएं भी कम से कम हों सकें। उदाहरणा के लिये विक्रमगढ़-अलोर की ओर विशेष रूप से तथा शीघ्र ही ध्यान दिया जाना चाहिये।

सामान के चोरी हो जाने की भी बड़ी सूचनाएं मिलती हैं यह बात नहीं कि यात्रियों का ही सामान चोरी जाता हो। बल्कि रेलवे का सामान भी काफ़ी मात्रा में चोरी हो जाता है। उदाहरण के लिए उज्जैन से काफी मात्रा में कोयला चोरी जाता है। खेद की बात तो यह है कि यह चोरी कोयला उज्जैन आते समय रेलों में ही होती है। इस प्रकार की चोरी से माल मंगाने वाले तथा रेल दोनों को ही हानि होती है। क्योंकि रेलों को प्रतिकर देना पड़ता है। अतः रेलवे प्रशासन को इस बारे में ध्यान देना चाहिये। रेलों में होने वाली चोरी, जैसे बल्ब, आदि, का अनुमान सारे भारत का लगाया जाय तो इसकी राशि करोड़ों रुपये बनती है। यह एक इस प्रकार से अपव्यय ही है। अतः रेलवे प्रशासन को इन सब बातों के बारे में ध्यान देना चाहिये।

†श्री प्रभात कार (हुगली): रेलवे दुर्घटनाओं की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। हालांकि इन को रोकने के लिये बारबार प्रयत्न किया जा रहा है। आजकल प्रायः

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रभात कार]

प्रतिदिन और हर एक लाइन पर रेलवे दुर्घटनाओं के होने के समाचार सुनने को मिलते हैं। इन दुर्घटनाओं में भले ही जीवन की हानि न होती हो किन्तु रेलवे डिब्बे पटरी आदि जैसी चीज़ की हानि तो जरूर होती है । इसलिये इस सम्बन्ध में शीघ्र ही कार्यवाही की जानी चाहिये ।

दूसरी बात यह है कि उपनगरों में चलने वाली रेलगाड़ियों में बहुत भीड़ चलती है । सियालदह हावड़ा के बीच कार्यालय के समय बड़ी भीड़ होती है । अतः इस लाइन पर इस भीड़ को कम करने के लिये अवश्य ही कुछ किया जाना चाहिये । साथ ही इस लाइन पर गाड़ियां देर से भी आती जाती हैं जिन के कारण कार्यालय जाने वाले कर्मचारी देर से पहुंचते हैं। फिर उन्हें इसके लिये हानि भी उठानी पड़ती है ।

रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों पर शेड़ तक नहीं है । बंगाल में वर्षा के दौरान में यात्रियों को शेड न होने के कारण पानी में भीगते खड़े रहना पड़ता है । अतः जिन प्लेटफार्मों पर शेड नहीं हैं वहां शीघ्र ही शेडों की व्यवस्था की जानी चाहिये। जिन स्टेशनों पर दो प्लेटफार्म हैं वहां एक प्लेट फार्म से दूसरे प्लेटफार्म तक जाने के लिये कोई पुल नहीं है । इस कारण रेलवे लाइन पार करना पड़ता है जो कि कानूनन जुर्म है । अतः इन स्थानों पर ऊपरी पुलों की व्यवस्था की जानी चाहिये।

जब से रेलों ने भोजन व्यवस्था अपने हाथ में ले ली है तब से खाने की क्वालिटी गिर गई है । सभी लोग इस खाने की शिकायत करते हैं। अतः खाने की किस्म में सुधारने की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। साथ ही इसका मूल्य भी कम किया जाना चाहिये ।

रेलों में चोरियां भी बहुत हो रही हैं। हालांकि पुलिस की व्यवस्था है किन्तु फिर भी चोरियां बराबर हो रही है । अतः इस ओर ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता है ।

रेलों में बल्ब, और पंखा चुराने, बैठने के स्थानों को खराब करने, गद्दे फाड़ने के बहुत से मामले आये दिन होते रहते हैं। लेकिन इस संबंध में कुछ भी नहीं किया जा रहा है । अतः इस सम्बन्ध में कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनायें फिर से न हों । मुझे तो इस में रेलवे पुलिस वालों की भी शरारत नज़र आती है ।

गाड़ियों के लेट चलने के बारे में भी मैंने उल्लेख किया है। इससे यात्रियों को काफी परेशानी होती है। अभी हाल ही में मैंने दिल्ली मेल को १८ घंटे लेट चलते देखा। इससे दूसरी गाड़ियों पर भी प्रभाव पड़ता है और इससे लोगों को जो असुविधा होती है उसका आप अन्दाजा लगा सकते हैं। साथ ही मेरा निवेदन यह है कि हावड़ा तथा स्यालदह और हावड़ा से अन्त तक छोटी गेज की लाइनों को जिन्हें गैर सरकारी उपक्रमों द्वारा चलाया जा रहा है, सरकार द्वारा ले लिया जाना चाहिये। यह मैं मान नहीं सकता कि सरकार इन दो लाइनों का नियंत्रण नहीं संभाल सकती।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (विल्लोर) : रेलवे की सफलताओं के लिये मैं माननीय रेलवे मंत्री को मुबारकबाद देता हूं। परन्तु इस विचार से कि इस दिशा में और अधिक सुधार संभव था, मैं कुछ एक बातें निवेदन करूंगा। नयी लाइनों के बारे में कुछ माननीय वक्ताओं ने अपने अपने मत प्रस्तुत किये हैं। इस दिशा में मैं सरकार की कठिनाइयों को अनुभव करता हूं परन्तु मेरा विचार

†मूल अंग्रेजी में

यह है कि नयी लाइनों के निर्माण के मामले में सरकार को कम विकसित क्षेत्रों को प्राथमिकता देनी चाहिये। कई बार उन क्षेत्रों में लाइनें डाल दी जाती हैं जहां लाइनें होती हैं और उन क्षेत्रों की उपेक्षा कर दी जाती है जहां लाइनें नहीं हैं। अतः इस दिशा में सरकार को सचेत रहना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया गया तो अविकसित क्षेत्रों में असन्तोष बढ़ जायेगा। चालन क्षमता की वृद्धि की दृष्टि से भी रेलवे लाइन चालू की जा सकती है।

मैं यह भी निवेदन करेना चाहता हूं कि रानीपेट–वालाजा रोड लाइन को तोड़ कर रानीपेट को मुकुन्दरापुरम् के साथ मिला देना चाहिये ताकि वर्तमान ब्रांच लाइन मुख्य लाइन में बदल जाय। इसमें तीन मिनिट अधिक लगेंगे और तीन घंटे की परेशानी हट जायेगी। इसके साथ ही रेलवे कर्मचारियों में व्याप्त असन्तोष दूर किया जाना चाहिये ताकि वे अधिक दक्षता से कार्य करें। इस दिशा में एक बात उल्लेखनीय है कि गार्डों के बारे में वेतन आयोग ने कोई सिफारिश नहीं की है। मैं यह आग्रह करना चाहता हूं कि उन्हें भी अन्य श्रेणियों की तरह लाभ मिलना चाहिये। इसके अतिरिक्त अपनी पेंशन इत्यादि के बारे में फैसला करने का भी उन्हें पूरा अधिकार दिया जाना चाहिये।

मैं इस बात की ओर भी ध्यान आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि मद्रास से विलीपुरम् तक की लाइन पर बिजली से रेल चलाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। यह कार्य मद्रास से आरकोणम् की ओर बढ़ना चाहिये। साथ ही समय सारणिया इस प्रकार बनाई जानी चाहिये कि यात्रियों को असुविधा न हो। कम दूरी के यात्रियों के लिये भी तेज चलने वाली गाड़ियां चलाई जानी चाहिये। इसके साथ ही मैं यह भी जोर देना चाहता हूं कि रेलवे कर्मचारियों को अपनी कल्याण निधि में अंशदान करने को कहा जाना चाहिये। इस का व्यय उनकी सांस्कृतिक गतिविधियों पर किया जा सकता है।

बिना टिकट यात्रा करने वालों का जहां तक संबंध है मेरा यह मत है कि बिना टिकट यात्रा बन्द करने का प्रभावपूर्ण ढंग यह होगा कि बिना टिकट लोगों को गाड़ी में चढ़ने ही न दिया जाय। यात्रियों को बिा टिकट की यात्रा को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये। इन शब्दों से मैं आय-व्ययक का समर्थन करता हूं।

†**डा० भा० श्रो० अणे** (नागपुर) : मैं केवल उन बातों का उल्लेख करना चाहता हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेरा यह निवेदन है कि सरकार यह बताये कि नागपुर-उमरेर लाइन संबंधी सर्वेक्षण किस मतलब के लिये है। क्या यह छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिये है अथवा एक समानान्तर बड़ी लाइन बनाने के लिये है। मेरा विचार है कि उन स्टेशनों के बीच बड़ी लाइन बनाने का कार्य आरम्भ किया ही जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त फाटकों पर पुल बनाये जाने चाहियें। इससे यातायात की काफी असुविधा होती है। अमरावती में लेविल क्रासिंग पर एक ऊपरी पुल बनाया जाना चाहिये। अकोला के लिये भी इसकी आवश्यकता है। मैं इस बात का भी आग्रह करना चाहता हूं कि दरेहा-पूसद लाइन, जो गत युद्ध के दौरान में तोड़ दी गयी थी फिर बनाई जानी चाहिये। जो कार्यक्रम सामने रखा गया है उसमें इस लाइन का उल्लेख नहीं है, उसे लाया जाना चाहिये।

इसके अतिरिक्त मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर भी आकृष्ट करवाना चाहता हूं कि स्वस्थ लोग तो यात्रा करते ही हैं कभी कभी मेरे जैसे अपाहिजों को भी यात्रा करनी पड़ती है। उनकी सुविधा के लिये कुर्सियों इत्यादि की कोई व्यवस्था रेलवे द्वारा नहीं की जाती है। मैं निवेदन

†मूल अंग्रेजी में

[डा० मा० श्री अणे]

करूंगा कि समस्त बड़े स्टेशनों पर अपाहिजों की कुर्सियों की व्यवस्था की जानी चाहिये और केरियरों की दरें भी निश्चित की जानी चाहिये ।

और अन्त में मेरा कहना है कि वर्धा और वल्लारशाह के बीच मजरी स्टेशन पर कम से कम एक तेज चलने वाली गाड़ी अवश्य रुकनी चाहिये और वहां एक प्रतीक्षालय भी बनाया जाना चाहिये । मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री मेरी इन बातों की ओर ध्यान देंगे और जो कुछ इस दिशा में संभव होगा उसे कार्यान्वित करेंगे ।

†**श्रीमती मंजुला देवी** (ग्वालपाड़ा) : रेलवे के संबंध में मेरा अनुभव कुछ सन्तोषजनक नहीं है । बिना टिकट यात्रा करने वालों को मैंने देखा है, कई उन्हें पकड़ना रेलवे अधिकारियों के बस की बात नहीं होती । उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का तो मुझे विशेष अनुभव है । परन्तु मुझे आशा है कि उत्तर पूर्वी सीमांत पर रेलगाड़ियों के चलाने के बारे में स्थिति में अपेक्षित सुधार किया जायेगा । बिना टिकट यात्रा को रोकने तथा इस बात को सुनिश्चित करने के लिये भी पग उठाये जाने की आशा है जिससे रेलवे स्टेशन भिखारियों का शरणास्थान ही बन कर न रह जाये । क्योंकि देखने में आया है कि स्टेशनों पर भिखारी बहुत पड़े रहते हैं । इस ओर समुचित ध्यान दिया जाना चाहिये । कई बार यह भी देखा गया है कि स्वस्थ शरीर के बच्चे, औरतें और पुरुष भी भिक्षा मांगते हैं । यह बहुत खतरनाक बात है जिसका उपचार होना चाहिये । इसी तरह मैं इस बात पर जोर देना चाहती हूं कि व्यवहारिक पग उठा कर तीसरे दर्जे के यात्रियों को कुछ सुविधायें प्रदान की जानी चाहिये । मेरा सुझाव है कि ढुबरी–अमीनगांव के बीच रेल गाड़ियों को पुनः चलाने से आसाम में अधिक भीड़भाड़ को कम किया जा सकता है ।

रेलवे की ओर से इस बात को सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि उनके द्वारा जो भूमि ली गयी है, उसके लिये प्रतिकर का भुगतान शीघ्र ही किया जायेगा । इसके साथ ही उत्तर पूर्वी सीमांत पर उपलब्ध की जा रही खुराक के संबंध में सुधार किया जाना चाहिये । खानसामों को बिल्ले दिये जाने चाहियें ताकि उन्हें आसानी से पहिचाना जाय । इसके अतिरिक्त गाड़ियों के साथ जाने वाले कर्मचारियों, विशेषतः गार्ड आदि के वेतन और भत्ते की स्थिति में सुधार किया जाना चाहिये । मेरा सुझाव यह है कि प्रत्येक गाड़ी पर दो गार्ड होने चाहिये । रेलवे द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं से टिकट-चैकरों को वंचित न रखा जाय ।

मुझे मंत्री महोदय के मुंह से यह सुन कर बहुत ही प्रसन्नता हुई कि रेलवे कर्मचारियों के कल्याण कार्यों की ओर अधिक ध्यान दिया जा रहा है । मेरा यह भी सुझाव है कि चलती गाड़ियों में समाज कल्याण अधिकारी होने चाहिये और यदि वे महिलायें हों तो बहुत अच्छा है । ये बच्चों, औरतों के अतिरिक्त सफाई का भी अधिक ध्यान रख सकती है । आशा करनी चाहिये कि इस में कार्यवाही की जायेगी और कल्याण कार्यों में संभव वृद्धि कर दी जायेगी । चलती गाड़ियों में कल्याण अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में भी विचार किया जायेगा ।

†**श्री बलराज मधोक** (नई दिल्ली) : रेलवे आय व्ययक पर अलग से चर्चा करना स्वाभाविक ही है । हमें बताया गया है कि १६ करोड़ रुपये का राजस्व होगा, परन्तु फिर भी कहा गया है कि वर्तमान स्थिति में रेलवे भाड़ों तथा किरायों में वृद्धि की जायेगी । मेरा मत यह है कि इसका कुछ भी औचित्य नहीं है । मैं तो इस बात पर जोर दूंगा कि कम से कम तीसरे दर्जे के किरायों में कोई वृद्धि नहीं होनी चाहिये । वे पहिले ही काफी बढ़ कर ढाई गुणा हो चुके हैं तथा यात्रियों के लिये जिन

†मूल अंग्रेजी में

सुविधाओं की व्यवस्था की गयी है, वे इस वृद्धि के अनुपात से ठीक नहीं बैठती है। सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिये कि किसी गाड़ी में यात्रियों की संख्या नियत "सीटों" से अधिक न हो। यदि यह संभव नहीं है तो और अधिक गाड़ियां चलाई जायें। आखिर हर हालत में भीड़भाड़ को तो कम करना ही है।

रेलवे में वातानुकूलित तथा डीलक्स डिब्बे लगाने के संबंध में तो कार्यवाही की जाती है परन्तु गाड़ियों में तीसरे दर्जे के डिब्बे बढ़ाने के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। आप जानते हैं कि पहले दर्जे के डिब्बे में जितना स्थान होता है उतने में चार आदमी बैठते हैं परन्तु तीसरे डिब्बे में उतने ही स्थान में २० आदमियों के बैठने की व्यवस्था है और बैठते हैं २० आदमियों से भी अधिक परन्तु उनकी सुविधाओं के लिये डिब्बों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती है। मैं चाहता हूं कि गाड़ियों में तीसरे दर्जे के डिब्बे बढ़ाये जाने चाहिये।

अब मैं सोने के डिब्बों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इन डिब्बों में सोने की व्यवस्था उन व्यक्तियों के लिये होती है जो ५०० मील की यात्रा करते हैं। परन्तु देखा ऐसा गया है कि इन ५०० मीलों में से यात्री दिन में २०० मील तथा रात में ३०० मील की यात्रा करता है। और सोने की सुविधा भी रात में ही मिलती है तो यदि इस सुविधा को ५०० मील के स्थान पर ३०० मील की यात्रा करने वाले यात्रियों के लिये कर दिया जाये तो अधिक उचित होगा।

आज सरकार एकीकरण के लिये बड़े बड़े सम्मेलन बुलाती है। आंदोलन करती है परन्तु जिससे वास्तविक एकीकरण हो सकता है ऐसे काम नहीं करती है। मेरा सुझाव है कि यदि सरकार उत्तर तथा दक्षिण के ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक रुचि वाले स्थानों के लिये रियायती टिकट जारी करे तो उससे उत्तर के लोग दक्षिण तथा दक्षिण के लोग उत्तर में आयेंगे तथा एक दूसरे से मिलेंगे जो एकीकरण की ठोस नींव होगी। चीन का उदाहरण हमारे सामने है। चीन में जब से सम्राटों ने पेकिंग से नानकिंग तक की नहर बनाई तब से उत्तर तथा दक्षिण में यातायात बढ़ गया और उनमें एकता की भावना उत्पन्न हुई। मेरा अनुरोध है कि रेलवे को रियायती टिकटों के द्वारा ऐसी ही भावना हमारे देश में भी उत्पन्न करनी चाहिये। मेरा यह भी सुझाव है कि कन्याकुमारी, जो तुलना में काश्मीर के समान ही दर्शनीय है, तक रेलवे लाइन बनानी चाहिये।

बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि सरकार नई रेलवे लाइनें बना रही है। मैं चाहता हूं कि कथुवा तक बनाई जाने वाली लाइन की मार्ग रेखा कुछ उत्तर में और ले जाई जानी चाहिए। इससे इसका सामरिक महत्व बढ़ जायेगा।

दिल्ली के बारे में हमें कल बताया गया था कि 'रिंग रेलवे' परियोजना बनाई जा रही है। दिल्ली में परिवहन समस्या बड़ी कठिन है इसलिए इस रिंग रेलवे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। मेरा यह भी सुझाव है कि इसका विद्युतीकरण किया जाना चाहिए जिस से शीघ्र तथा सेवा चलाई जा सके। विद्युतीकरण के बारे में मेरा यह भी सुझाव है कि पहले बिजली उन लाइनों पर लगाई जानी चाहिए जिन पर कोयला ढोया जाता है तथा जो कोयला खानों के निकट हैं।

अब मैं रेलवे के ऊपरी पुलों के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। दिल्ली में इन ऊपरी पुलों की अत्याधिक आवश्यकता है। उदाहरणतया करौल बाग से सब्जी मंडी जाने के लिए तीन रेलवे लाइनें क्रास करनी पड़ती हैं। यदि करौल बाग से सब्जी मंडी तक एक ऊपरी पुल बना दिया जाये तो विश्वविद्यालय जाने वालों तथा अन्य कार्यों से जाने वालों को बड़ी सुविधा हो जायेगी। मेरा रेलवे मंत्री से अनुरोध है कि ऐसे सभी स्थानों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

[श्री बलराज मधोक]

अन्य सरकारी कर्मचारियों के समान ही रेलवे कर्मचारी जीवन निर्वाह व्यय के कारण बड़े चिंतित हैं। मूल्य बढ़ते जा रहे हैं और जीवन निर्वाह देशनांक १२ पाइन्ट बढ़ गये हैं। इसलिये महंगाई भत्ता बढ़ाया जाना चाहिये। रेलवे में प्रविधिक कर्मचारी भी कम वेतन होने के कारण काम करना नहीं चाहते हैं। अधिक वेतन का पद मिलने पर वह चले जाते हैं अतः मेरा अनुरोध है कि उनका वेतन-क्रम भी बढ़ाया जाना चाहिये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : ये बड़े ही खेद की बात है कि रेलवे मंत्री ने अपने आय-व्ययक भाषण में परिवहन समस्या का कोई जिक्र नहीं किया है। इसके बारे में बहुत से प्रश्न पूछे गये हैं और मैं समझता था कि रेलवे मंत्री इस सम्बन्ध में सभा में कुछ बतायेंगे परन्तु उन्होंने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया।

परन्तु रेलवे बोर्ड के एक डायरेक्टर ने अपने एक लेख कोल ट्रांसपोर्ट बोर्ड रेलों में कोयले के परिवहन की स्थिति के बारे में कुछ बताया है। मैं उसी का सहारा लेता हूं। वह लिखते हैं कि इस्पात संयंत्रों को १,४३४ वैगन तथा अन्य सभी वस्तुओं के परिवहन के लिये ३,५९६ वैगन दिए गए। परन्तु राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने यह बताया है कि परिवहन की कठिनाइयों के कारण कोयला उत्पादन के जो लक्ष्य थे उनमें ३० लाख के उत्पादन को कम किया गया था। उत्पादन पर प्रतिबन्ध लगाया गया। उनका कहना था कि कोयले का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है परन्तु परिवहन की कठिनाई के कारण उत्पादन में ३० लाख टन की कमी की गई। आशा है कि सरकार वास्तविक स्थिति बतायेगी तथा परिवहन कठिनाइयों को दूर करने के लिए जो कार्यवाही कर रही है उनको भी स्पष्ट करेगी क्योंकि विकास निगम ने ही बताया है कि दूसरी योजना में कोयले के उत्पादन के लक्ष्य पूरे न किये जाने की जिम्मेदारी उन पर नहीं अपितु परिवहन की व्यवस्था करने वालों पर है। यही स्थिति सीमेंट, कपड़ा तथा अन्य उद्योगों की भी है। मेरा यही अनुरोध है कि माननीय मंत्री स्थिति स्पष्ट करें।

रेलों पर काम अधिक बढ़ जाने के कारण जोनों म ठीक प्रकार से काम नहीं हो पा रहा है। और जोनों के जनरल मैनेजर उतनी प्रभावोत्पादकता से अधीभरण नहीं कर पाते हैं जितना कि जरूरत है। मेरा इससे यह मतलब नहीं है कि जोनों की संख्या बढ़ा दी जाये। अपितु मेरा सुझाव है कि इन डिवीजनों के अधिकारियों को वास्तविक तथा प्रभावी अधिकार दिये जाने चाहिये जिससे जनरल मैनेजरों के काम कम हो सकें। और यह छोटे अधिकारी कर्मचारियों के उचित अधिकरण कर सकें।

हम सभी जानते हैं कि रेलवे ने कितना काम किया है। परन्तु फिर भी मैं समझता हूं कि प्रशासन को और कठोर बनाने की आवश्यकता है। तीसरे दर्जे के यात्रियों को सुविधा देने के कारण पहले दर्जे के यात्रियों की सुविधायें कम नहीं की जानी चाहिये। क्योंकि इन डिब्बों में विदेशी पर्यटक यात्रा करते हैं और ऐसा नहीं कि उनको कोई असविधा हो।

अन्त मे मैं यह कहना चाहता हूं कि विकास निधि में वृद्धि की जानी चाहिये क्योंकि इसी निधि मे से कल्याण कार्य तथा विकास कार्य किए जाते हैं जो रेलवे की दक्षता बढ़ाने में सहायक होते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : उपाध्यक्ष महोदय मैं रेलवे मंत्री को बधाई देती हूं कि सैलम-बेंगलौर लाइन पर काम उत्साहपूर्वक किया जा रहा है । मैं आशा करती हूं कि इस लाइन पर काम इसी उत्साह से होता रहेगा ।

लाइनों को दोहरा करने का काम भी सैलम के निकट ही आरंभ किया गया था । परन्तु श्वेत पत्र तथा रेलवे आय-व्ययक देखने पर मालूम होता है कि लाइनों को दोहरा करने के काम में कुछ शिथिलता आ गई है । मैं चाहती हूं कि इस काम में शीघ्रता दिखाई जानी चाहिये ।

माननीय रेलवे मंत्री के भाषण से यह मालूम होता है कि यात्री किराये तथा भाड़ा दरें बढ़ जायेगी । मैं बताना चाहती हूं कि जनता में ऐसी भावना है कि किराया अधिकतम सीमा तक बढ़ चुका है । मैं आशा करती हूं कि रेलवे मंत्री और किराया नहीं बढ़ायेंगे ।

पिछले ही सत्र में रेलवे पर दुर्घटना बढ़ने के बारे में चर्चा हुई थी । मैंने उस समय यह कहा था कि मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में एक समिति नियुक्त करनी चाहिये । मुझे प्रसन्नता है कि समिति नियुक्त की गई थी । परन्तु खेद भी है कि दुर्घटना फिर भी बहुत हो रही हैं । पिछले तीन महीनों में ही कई दुर्घटनायें हुई हैं । मैं जानना चाहती हूं कि समिति को क्या सभी गुड्स शैड तथा स्थापनायें हो आदि में जाने की अनुमति है जिससे पूरी पूरी जांच की जा सके । मैं अनुरोध करती हूं कि माननीय मंत्री कृपा करके स्पष्टतया बताये कि समिति किस प्रकार की दुर्घटनाओं के बारे में जांच करेगी ।

कहा जाता है कि रेलवे कर्मचारियों को राजनैतिक दलों की कार्यवाहियों में भाग नहीं लेना चाहिये । परन्तु मैं स्वयं बता सकती हूं कि एक यूनियन के रेलवे कर्मचारियों ने सक्रिय रूप से कांग्रेसी उम्मीदवार के लिये काम किया था । मैं इसका विरोध नहीं करती हूं अपितु चाहती हूं कि उन्हें यह अधिकार दिया जाना चाहिये । मेरा अनुरोध है कि उनको राजनीतिक दलों में भाग लेने की छट दे दें ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी बहन ने बड़ी ही सुन्दर भाषा में कहा कि रेल कर्मचारियों पर जो यह बंधन लगाया गया था कि वे राजनीतिक में भाग न लें, यह बंधन बहुत ठीक था । लोकतंत्र में यह अब आवश्यक है कि . . .

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कल जारी रखना चाहेंगे ?

श्री रघुनाथ सिंह : जी हां ।

उपाध्यक्ष महोदय : फिर वह कल अपना भाषण जारी रखें ।

इसके पश्चात् लोक-सभा मंगलवार, २७ मार्च, १९६२/६ चैत्र, १८८४ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।)

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, २६ मार्च, १९६२]

[५ चैत्र, १८८४ (शक)]

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	. . . .	७२१–५१
तारांकित प्रश्न संख्या		
१८८	पाकिस्तानी विमानों द्वारा भारतीय सीमा का अतिक्रमण .	७३१–३३
१८९	आसाम में संगठित रूप से अवैध प्रवेश . .	७३३–३५
१९६	दिल्ली में प्रशासनिक और नगरपालिका व्यवस्था .	७३५–३६
१९७	संघ राज्य-क्षेत्र . . .	७३६–३७
१९८	निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा . . .	७३७–३९
१९९	भारी गलाये जाने वाले रद्दी लोहे का निर्यात . .	७३९
२१३	रद्दी लोहे का निर्यात	७४९–४१
२००	बिजनौर में इंनजीनियरिंग कालेज . . .	७४१–४२
२१२	कम लागत के पूर्वनिर्मित मकान . . .	७४२–४३
२१४	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति का प्रतिवेदन	७४३–४५
२२०	भारी गलाये जाने वाले रद्दी लोहे के निर्यात पर "लेवी" .	७४५
२२१	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जांच समिति का प्रतिवेदन	७४५–४७
२११	प्रतिरक्षा पदाधिकारियों के वेतन मान . . .	७४८
२०५	दिल्ली में "मैजिस्ट्रेसी" तथा "पुलिस" का विस्तार .	७४८–५०
२१९	पुलिस अधिकारियों के वेत नक्रम .	७५०–५१
प्रश्नों के लिखित उत्तर	. . . . .	७५१–८२
तारांकित प्रश्न संख्या		
१९०	मद्रास में विधि मन्त्रालय की शाखा . . .	७५१
१९१	कोयले की श्रेणियां बनाने के लिए समिति . .	७५१
१९२	फौजदारी कानून के अधीन अधिसूचित क्षेत्र . .	७५१–५२

विषय **पृष्ठ**

प्रश्नों के लिखित उत्तर (क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१९३ ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापिकायें . ७५२
१९४ उड़ीसा में निर्वाचन पर व्यय . . ७५२
१९५ खेतरी में तांबा पिघलाने का संयंत्र . ७५३
२०१ कम कीमत की कार ७५३
२०२ दिल्ली के सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापक . ७५४–५४
२०३ दिल्ली के स्कूलों के विद्यार्थियों को सहायता . . ७५४
२०४ उत्तर प्रदेश में तैल की खोज . . . ७५४
२०६ रूसी जेट विमान-इंजन . . ७५५
२०७ कोयला उद्योग के लिये ब्रिटिश ऋण . ७५५
२०८ हिन्दू धार्मिक न्यास आयोग . ७५५–५६
२०९ अंकलेश्वर के तेल की सफाई ७५६
२१० धातुमिश्रित, औजारी तथा विशेष इस्पात संयंत्र . ७५७
२१५ एम० ए० की परीक्षाओं में दो श्रेणियां . ७५७
२१६ कनिष्ठ कर्मचारी परिषद् . . . ७५७
२१७ शारीरिक शिक्षा तथा युवक-कल्याण सम्बन्धी समन्वय समिति ७५७
२१८ तैल का उत्पादन ७५८

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२८६ क्लर्क द्वारा स्तीफा ७५८
२८७ पंजाब के सरहाली क्षेत्र में निर्वाचन . . . ७५८–७५९
२८८ उड़ीसा के मुख्य मंत्री के पास विदेशी मुद्रा . . ७५९
२८९ महाराष्ट्र में खानें . ७५९
२९० नानावती का मुकदमा ७५९–६०
२९१ हवाई प्रतिरक्षा रडार सेटों का निर्माण . . . ७६०
२९२ निर्यात संवर्द्धन के लिये आय-कर . . . ७६०
२९३ खनिजों का सर्वेक्षण और उनकी खोज . . . ७६०–६१
२९४ स्नेहन-पदार्थ ७६१–६२
२९५ भारत सहायता 'क्लब' की बैठक . . . ७६२
२९६ द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में बचत राशि . . ७६२–६३
२९७ वरिष्ठ कर्मचारी परिषद् . . ७६३
२९८ वरिष्ठ कर्मचारी परिषद् . ७६३

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
अतारांकित		
प्रश्न संख्या		
२९९	वरिष्ठ कर्मचारी परिषद्	७६३–६४
३००	वरिष्ठ कर्मचारी परिषद्	७६४
३०१	वरिष्ठ कर्मचारी परिषद्	७६४–६५
३०२	वरिष्ठ कर्मचारी परिषद्	७६५
३०३	वरिष्ठ कर्मचारी परिषद्	७६६
३०४	चुनाव उम्मीदवार	७६६
३०५	जामा मस्जिद दिल्ली के पास विस्फोट	७६७
३०६	विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन	७६७
३०७	राष्ट्रीय एकीकरण सम्मेलन	७६७–६८
३०८	आज़ाद हिन्द फौज के भूतपूर्व सैनिक	७६८
३०९	भारतीय लेखक	७६८
३१०	उड़ीसा के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों के लिये मकान	७६९
३११	उड़ीसा में मतदान	७६९
३१२	निवृत्ति-वेतन नियम	७६९–७०
३१३	कोयला धोने के कारखाने	७७०–७१
३१४	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम	७७१
३१५	नई दिल्ली की सड़कों पर तांगों और रेहड़ों का चलना	९७१–७२
३१६	दिल्ली में सहायता-प्राप्त स्कूलों के अध्यापक	७७२
३१७	दिल्ली में हत्या और आक्रमण के मामले	७७२–७३
३१८	उड़ीसा को बढ़ सहायता	७७३
३१९	लोहा तथा इस्पात नियंत्रक के कार्यालय के कर्मचारियों का स्थायीकरण	७७३–७४
३२०	दिल्ली के स्कूल	७७४–७५
३२१	दिल्ली के स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश	७७५
३२२	जम्मू तथा काश्मीर में अखनूर मन्दिर के समीप चित्र संकेतों का मिलाना	७७५
३२३	सामान्य निर्वाचनों के आंकड़े	७७५–७६
३२४	इंजीनियरों का लन्दन सम्मेलन	७७६
३२५	"स्कूल स्कैप"	७७६
३२६	इस्पात संयंत्रों को कच्चे माल का संभरण	७७७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

३२७ भारी गलाये जाने वाले रद्दी लोहे का निर्यात . . ७७७—७८

३२८ आसवान बांध के स्थान पर आबू सिम्बेल का मन्दिर . . ७७८

३२९ केन्द्रीय ऐक्टों का हिन्दी अनुवाद . . . ७७९

३३० केन्द्रीय शिक्षा संस्था . . . . ७७९—८०

३३१ दिल्ली में नये कालिज . . . ७८०

३३२ दिल्ली में पुलिस . . . . . ७८०—८१

३३३ सरकारी कर्मचारी ७८१

३३४ कोयली में तेल शोधक कारखाना . . . ७८१

३३५ चाय पर केन्द्रीय तथा राज्य कर . . . ७८१—८२

स्थगन प्रस्ताव . . . . . ७८२—८५

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना उनमें से प्रत्येक के सामने बताये गये सदस्यों ने दी थी, पेश करने की अनुमति नहीं दी :—

(१)	उत्तर कछार पहाड़ियों में हाफलांग के निकट ६ गांवों में नागा विद्रोहियों द्वारा कथित मार-काट और आगजनी।	सर्वश्री एस० एम० बनर्जी, प्रेमजी आर० आसर, ब्रजराज सिंह और बलराज मधोक ।
(२)	कर्णफूली बांध का श्रीगणेश करने का पाकिस्तान सरकार का कथित निश्चय, जिसके पूरा होने पर भारतीय राज्य-क्षेत्र का कुछ भाग पानी में डूब जायेगा ।	श्री हेम बरूआ ।
(३)	इटेलियन फर्म के साथ तेल समझौता ।	श्री प्र० गं० देव

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ७८५—८८

(एक) कम्पनीज अधिनियम, १९५६ की धारा ६१९क की उप-धारा (१) के अन्तर्गत इंडियन आॅयल कम्पनी लिमिटेड, बम्बई की वर्ष १९६०–६१ का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे और उस पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों सहित ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(२) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०६६ ।

(ख) दिनांक ९ सितम्बर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १०९१ ।

(ग) दिनांक ७ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२३३ ।

(३) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत भारतीय प्रशासन सेवा (वेतन) नियम, १९५४ की अनुसूची ३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ४ अक्तुबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२४४ ।

(ख) दिनांक १४ अक्तूर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२४६ ।

(४) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित नियमों की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १६ सितम्बर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ११२५ में प्रकाशित अखिल भारतीय सेवायें (यात्रा भत्ते) संशोधन नियम, १९६१ ।

(ख) दिनांक २१ अक्तूबर, १९६१ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १२७४ में प्रकाशित भारतीय असैनिक सेवा भविष्य निधि संशोधन नियम, १९६१ ।

(५) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत सेक्रटरी आफ स्टेट की सेवायें (सामान्य भविष्य निधि) नियम, १९४३ में कुछ संशोधन करने वाली निम्न-लिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक २१ अक्तूबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२७५ ।

(ख) दिनांक २१ अक्तुबर, १९६१ की जी० एस० आर० संख्या १२७६ ।

(६) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम १९५७ की धारा ४३ के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्याधिकार आदेश, १९५८ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक २३ दिसम्बर, १९६१ की एस० ओ० संख्या ३०३९-क ।

(दो) दिनांक १ जनवरी, १९६२ की एस० ओ० संख्या १ ।

(तीन) दिनांक १२ जनवरी, १९६२ की एस० ओ० संख्या १४४ ।

(चार) दिनांक १ मार्च, १९६२ की एस० ओ० संख्या ६७१ ।

(पांच) दिनांक ११ मार्च, १९६२ की एस० ओ० संख्या ७२३ ।

(छै) दिनांक १२ मार्च, १९६२ की एस० ओ० संख्या ७२४ ।

(७) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियस, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत दिनांक १० मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० २८६ में प्रकाशित केन्द्रीय उत्पादन शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, १९६२ कीं एक प्रति ।

(८) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १९७८ की धारा ३३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९६० में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक १० मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २८७ ।

(ख) दिनांक १० मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २८८ ।

(ग) दिनांक १० मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २८९ ।

(९) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १७ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३७४ में प्रकाशित रोलर मिल्स गेहूं की चीजें (मूल्य नियंत्रण) आदेश, १९६२ ।

(दो) दिनांक १७ मार्च, १९६२ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ३७५ में प्रकाशित दिल्ली रोलर फ्लोर मिल्स गेहूं की चीजें (मूल्य नियंत्रण) आदेश, १९६२ ।

पृष्ठ

(१०) विदेशी मुद्रा विनिय्रमन, अधिनियम, १९४७ की धारा २७ की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विदेशी मुद्रा विनियमन नियम, १९५२ में कुछ और संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) दिनांक १३ जनवरी, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या ५० ।

(दो) दिनांक ३ मार्च, १९६२ की जी० एस० आर० संख्या २६४ ।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित ७८८

निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित हुए :—

(१) एक सौ साठवां प्रतिवेदन ।

(२) एक सौ इकसठवां प्रतिवेदन और

(३) एक सौ बासठवां प्रतिवेदन ।

विधेयक पारित . . . . . ७८८—९७

१ वित्त विधेयक १९६२ पर विचार करने के प्रस्ताव पर अग्रेत्तर चर्चा समाप्त हुई । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार चर्चा के पश्चात् विधेयक पारित किया गया ।

(२) परिवहन तथा संचार मंत्री (डा० प० सुब्बरायन) ने प्रस्ताव किया कि टैलीग्राफ की तारें (अवैध रूप से रखना) संशोधन विधेयक पर विचार किया जाये । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । खंडवार विचार के पश्चात् विधेयक संशोधित रूप में पारित किया गया ।

रेलवे आयव्ययक—सामान्य चर्चा . . . . . ७९७—८०५

वर्ष १९६२–६३ के रेलवे आयव्ययक पर सामान्य चर्चा आरम्भ हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

मंगलवार, २७ मार्च १९६२/६ चैत्र १८८४ (शक) के लिये कार्यावलि

वर्ष १९६२–६३ के रेलवे आयव्ययक पर अग्रेत्तर सामान्य चर्चा और वर्ष १९६२–६३ की रेलवे के संबंध में लेखानुदानों की मांगों पर मतदान, विनियोग (रेलवे) लेखानुदान विधेयक १९६२ और विधि जीवी (संशोधन) विधेयक, पर विचार और उसका पारित किया जाना

———